महानगर नई दिल्ली गुरुवार 22 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

प्रणय रॉय, राधिका रॉय पर सीबीआइ ने कसा शिकंजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों के उल्लंघन के मामले में एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह मामला 2007- 09 के बीच किए गए विदेशी निवेश से जुड़ा है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है। सीबीआइ ने समाचार चैनल के तत्कालीन सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सीबीआइ ने 2016 में शुरुआती जांच की थी, उसी के आधार पर यह मामला (एफआइआर) दर्ज किया गया है।

सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को सीबीआइ की एक टीम ने चंद्रा के आवास पर छानबीन की। जनरल इलेक्ट्रिक की इकाई एनसीबीयू द्वारा एनडीटीवी की 30 नवंबर, 2006 को लंदन में बनाई गई कंपनी नेटवर्क पीएलसी में किए गए निवेश की सीबीआइ ने जांच शुरू की

एनडीटीवी के प्रवर्तकों के खिलाफ एफडीआइ नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज

है। सीबीआइ का आरोप है कि नेटवर्क पीएलसी को 2009 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से जो मंजूरी मिली है, उसमें एफडीआइ नियमों का उल्लंन हुआ है। इसमें कहा गया है कि नेटवर्क पीएलसी को कुल 16.34 करोड़ रुपए का एफडीआइ प्राप्त हुआ और इसे एनडीटीवी की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में निवेश किया गया।

एनडीटीवी ने हालांकि एक बयान जारी कर सीबीआइ के बाकी पेज 8 पर

और ये हैं एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवॉर्ड्स के विजेता...

नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवॉर्ड्स के मौके पर पुरस्कार विजेताओं के साथ मौजूद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, जितेंद्र सिंह और द एक्सप्रेस ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका।

विजेताओं की सूची पेज 8 पर

NxtGen Infinite Datacenter presents
The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

आइएनएक्स मीडिया मामला

सीबीआइ ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार देर रात घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद सीबीआइ की दो टीमें बुधवार रात चिदंबरम के घर पहुंचीं और कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब सीबीआइ की टीमें वहां पहुंची, तब वहां जमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

चिदंबरम बोले, सारे आरोप झूठे, कानून से भागा नहीं, मांगा संरक्षण

लोकसभा सदस्य कार्ती चिदंबरम ने ट्वीट कर दावा किया कि उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है जबकि उनके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है।

इससे पहले कांग्रेस दफ्तर में भी सीबीआइ की टीमें पहुंची लेकिन तब तक प्रेस से बात करके चिदंबरम अपने जोरबाग स्थित घर पहुंच चुके थे।

चिदंबरम की गिरफ्तारी से पहले उनके जोरबाग स्थित घर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सीबीआइ के अधिकारी व अन्य कर्मी दरवाजा नहीं खोले जाने पर दीवार फांदकर उनके घर पहुंचे। सीबीआइ की सहायता के लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। इस बीच वहां पर बाकी पेज 8 पर

आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में बुधवार को दो बार नाकाम रहे। अदालत ने आइएनएक्स मीडिया मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय कर दी। यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के दौरान गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मंगलवार के फैसले पर रोक की मांग की है। इसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और सीबीआइ और ईडी की तरफ से दायर मामलों में गिरफ्तारी की राह आसान कर दी।

उनकी याचिका का वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल न बाकी पेज 8 पर

सीबाआइ टीम चिदंबरम को जोरबाग स्थित घर से ले जाती हुई।

सीबीआइ का लुकआउट परिपत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

आइएनएक्स मीडिया व एअरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआइ ने चिदंबरम के खिलाफ बुधवार को लुक आउट परिपत्र जारी किया। जांच एजंसी ने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों को सतर्क कर दिया है, ताकि चिदंबरम को देश से बाहर जाने से रोका जा सके। दूसरी ओर, ईडी ने धन शोधन मामले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि चिदंबरम एवं उनके पुत्र से हिरासत में पूछताछ करने की बाकी पेज 8 पर

हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत तीन की मौत

हादसा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट में राहत कार्य में लगा एक हेलिकॉप्टर बुधवार दोपहर सवा बारह बजे बिजली के तारों से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। (खबर पेज 8 पर)

आयुध कारखानों के 83 हजार कर्मचारी हड़ताल पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

भारतीय सैन्य बलों के लिए हथियार और गोला-बारूद बनाने वाले आयुध कारखाना बोर्ड के लगभग 83,000 कर्मचारी मंगलवार से एक महीने की हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के द्वारा कारखानों के निगमीकरण के प्रस्ताव के विरोध में यह कदम उठाया। हड़ताल को लेकर बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया जताई कि कर्मचारी भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं। निजीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

कारखानों के निगमीकरण के प्रस्ताव के विरोध में एक महीने के लिए हड़ताल पर गए

इन कारखानों को मिलाकर नया सरकारी उपक्रम बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आयुध कारखानों के उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी कीमत ज्यादा है और खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायतें भी। सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है। भारतीय आयुध बाकी पेज 8 पर

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा कैबिनेट सचिव नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को बुधवार को दो साल के कार्यकाल के लिए अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। झारखंड कैडर के 1982 बैच के आइएएस अधिकारी गौबा शुरू में कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर काम संभालेंगे और बाद में मौजूदा कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की जगह देश के शीर्ष नौकरशाह का पद ग्रहण करेंगे। गौबा के अलावा सरकार ने रक्षा सचिव, लोकपाल के सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव पद पर भी नई नियुक्तियां की हैं।

एक सरकारी आदेश के अनुसार, 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव के तौर पर राजीव गौबा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2019 से दो साल या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगा।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा की कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। वह कार्यभार संभालने से लेकर कैबिनेट सचिव का पद संभालने तक इस पद पर रहेंगे।' गौबा ने 31 अगस्त, 2017 को गृह सचिव के तौर पर कामकाज बाकी पेज 8 पर

राम जन्मस्थल अपने आप में देवता : वकील

नई दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा)।

राम लला की ओर से पैरवी कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जन्मस्थल अपने आप में एक देवता है और कोई भी महज मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर इस पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता।

दशकों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकारों में से एक 'राम लला विराजमान' ने कहा कि हिंदुओं ने 'जन्मस्थान' पर हमेशा से पूजा-अर्चना के अपने अधिकार का

इस्तेमाल और दावा किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय पीठ नौवें दिन मालिकाना विवाद मामले में सुनवाई कर रही थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने पीठ से कहा कि न तो निर्मोही अखाड़ा और न ही मुसलिम पक्ष प्रतिकूल कब्जा के कानूनी सिद्धांत के तहत अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर सकते हैं। वैद्यनाथन ने पीठ से कहा, 'हिंदुओं ने जन्मस्थान पर हमेशा पूजा-अर्चना के अधिकार का दावा किया है और इसलिए यह प्रतिकूल कब्जे का मामला नहीं हो सकता।' प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत की बात तब आती है जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का स्वामित्व न हो, लेकिन वह वास्तविक स्वामी द्वारा 12 साल तक नहीं निकाले जाने और अपने कब्जे के आधार पर संपत्ति का मालिक बन जाता है। वैद्यनाथन ने कहा, 'यदि संपत्ति स्वयं में भगवान राम का जन्मस्थल है तो इस पर कोई महज मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर स्वामित्व अधिकार का दावा नहीं कर सकता।'

दरअसल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मुहर | कवायद | सेना के लिए अलग सतर्कता प्रकोष्ठ

सेना मुख्यालय के पुनर्गठन को मंजूरी मिली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

रक्षा मंत्रालय ने सेना में पहले चरण के सुधारों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सेना मुख्यालय से 206 अधिकारियों को फील्ड में भेजने, एक अलग सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने और मानवाधिकार मुद्दों पर अलग विभाग बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। सेना ने 12 स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर 13 लाख सैन्य बल में कटौती करने और इसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए सुधार के खाके को पिछले साल अक्तूबर में अंतिम रूप दिया था।

रक्षा मंत्री के ताजा फैसले के बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'रक्षा मंत्री ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन संबंधी कई फैसलों को मंजूरी दी है।' मंत्रालय ने कहा कि 206 सैन्य अधिकारियों को सेना मुख्यालय से दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है और वे विभिन्न सैन्य संरचना व सैन्य टुकड़ी को कमान करने के लिए उपलब्ध होंगे। जिन अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, उनमें तीन मेजर जनरल, आठ ब्रिगेडियर, नौ कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर हैं।

सेना मुख्यालय से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के 206 अधिकारी फील्ड में भेजे जाएंगे। *मानवाधिकार* के लिए अलग विभाग बनेगा, सेना के उप प्रमुख होंगे प्रभारी, जांच के लिए एसएसपी/एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी रखा जाएगा।

सेना प्रमुख के तहत अलग सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किए जाने की भी राजनाथ सिंह ने मंजूरी प्रदान कर दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 'सेना प्रमुख (सीओएएस) के तहत एक स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ काम करेगा। इसके तहत अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) को सीधे सीओएएस के अंतर्गत रखा जाएगा।' सतर्कता प्रकोष्ठ में कर्नल स्तर के तीन अधिकारी होंगे, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना से एक-एक अधिकारी होंगे। भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार की शिकायतों को देखने के लिए सीधे थलसेना अध्यक्ष के तहत सतर्कता प्रकोष्ठ काम करेगा। इसकी अगुआई के लिए मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) बनाया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में कर्नल रैंक के समकक्ष सेना के तीनों अंगों से एक-एक अधिकारी को भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अभी जो व्यवस्था काम कर रही है उसमें सेना प्रमुख के लिए विजिलेंस का काम कई एजंसियों के माध्यम से होता है। इसके लिए कोई अकेली विंडो (सिंगल इंटरफेस) मौजूद नहीं है।

मानवाधिकार के लिए विशेष अनुभाग उप थलसेना प्रमुख के तहत काम करेगा। मानवाधिकार समझौतों व इससे जुड़े मूल्यों को शीर्ष प्राथमिकता देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही। मानवाधिकार प्रकोष्ठ या सेक्शन सेना के उप प्रमुख के मातहत होगा और इस की अगुआई मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करेंगे। यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों को देखने के लिए नोडल बॉडी के तौर पर काम करेगा।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Vikas Kumar S/o Shri.Chhoteylal R/o House No.56, Ward No.4, Mehrauli, New Delhi-110030, have changed my name from Vikas Sewal to Vikas Kumar for all purposes. 0040508899-5

I,Upendra Singh S/o Ganga Singh R/o-6 Ist Floor Pkt-A-1, Sector-6 Rohini N.D-110085, have Changed my Name to Upender Singh Bisht for all purposes 0040508841-1

I,Smita @ Smita Singh D/o Maharaj Singh R/o H.No. A-104 ,Flat No.2, Gali No. 2/2,west Nathu Colony,Delhi-93 have changed to my name Smita Singh for all Purposes. 0040508925-4

I,Pershotam Kumar S/o Sh.Dhanu Ram Manektalia, R/o-F-2/6, 2nd-Floor, Malviya Nagar, N.Delhi-110017,have changed my name to Purshotam Kumar for all purposes. 0040508865-1

I,Narender Tomer S/o Satyavir Singh R/o-B-100/8 Kanti Nagar Ext. Delhi-110051,have changed the name of my minor son Ashish Tomer(14-Years) and he shall hereafter be known as Gatik Tomer. 0040508900-10

I,Nandan Singh S/o-Ganga Singh Bisht R/o-Madhav Appt.Flat.No.TF-1, PlotNo.2,3, Kh.No.189, Kakrola, Dwarka Sector-16B, N.Delhi-110078, changed my name to Nandan Singh Bisht. 0040508899-10

I, hitherto known as Gursharan Singh Bajwa@ Gursharan Singh,S/o Gudial Singh R/o-S-2/149, Near-Arya Samaj-Mandir, Jugial-Colony, Shahpurkandi-Township, Tehsil &-Distt. Pathankot-145029 have changed my name and shall hereafter be known as Gursharan Singh. 0040508899-8

I, Tarun S/o Mahabir Parsad R/o 241/10 Housing Board Colony Near Post-Office Sonipat Haryana-131001 changed my name to Tarun Aggarwal. 0040508929-9

I, Sundus D/o-Makki Hasan Khan R/o-Amouli Dhamouli Via-Pachperwa, Dist. Balrampur, U.P.271206, have changed my name to Sundus Makki Hasan Khan., Permanently. 0040508899-3

I, Sujata Gautam W/o Sh. Yoginder Singh R/o C-36, Radhey Shyam Park Extn. Delhi -110051) have changed my from Sujata Singh to Sujata Gautam for all future purposes. 0040508872-1

I, Subhash Chander S/o Shri Hukam Singh R/o Village Jakholi, Tehshil Rai, Distt. Sonipat Haryana, have changed my name to Subhash Chauhan for all future purposes. 0040508888-1

I, Sona Chawla,D/o Jai Ram Chawla R/o-6A/34, Ground-Floor, Sat-Nagar, Karol-Bagh, Delhi-110005, have changed my minor son name from Yash Aneja to Yash Chawla for all future purposes including school-records. 0040508899-7

I, Sharad Chandra Keer, R/O-Flat No.1804, Tower-B, Sethi Max Royal, Sector-76, Noida, Gautambudh Nagar, U.P. 201304, Changed My Minor Son Name Ryan Keer To Shreyansh Keer. 0040508929-8

I, Shaji C.S. alias Shaji S/o Shri.John R/o-G-91 Sector-20, Noida-20131(UP) have. changed my name to Shaji Chirakkakam Samuel.for all purposes. 0040508900-4

I, Shaima D/o-Makki Hasan Khan R/o-Amouli Dhamouli Via-Pachperwa, Dist. Balrampur, U.P.271206, have changed my name to Shaima Makki Hasan Khan Permanently. 0040508899-2

I, Sanjeev Jain S/O Kailash Chand Jain R/O-3368/8 Gali No-2 Raghubarpura.No-2 Gandhi-Nagar Delhi-110031 Have Changed My Name To Sanjiv Jain. 0040508900-8

I, Sandeep Dhadial, W/o Gurbachan Singh Gable, R/o D-2, Khankhana Tomb, Nizamuddin East, Delhi-110013, have changed my name to Sandeep Kaur. 0040508853-1

I, Sadeea Khaan D/O Sanaullah Khan Resident Of Plot No-17 West Zakir Nagar Okhla Delhi-110025 Have Changed My Name To Sadeea Khan. 0040508900-7

I, Rupesh Kumar S/o-Dharam Singh R/o-A2/61A, Hastsal-Road, Near-MCD School, Uttam-Nagar, Delhi-110059, name of my father wrongly-written as Dharm Singh in my School-certificates his correct-name is Dharam Singh. 0040508899-9

I Niha Sudan W/O Arindam Palit, H. No.206, Mohyal Colony, Sector 40 Gurgaon Have Changed My Name To Neha Sudan. 0040508929-7

I Mohd Naeem Bukhari S/o Mohd Ashfaq Bukhari R/o C-58, Gali No.9, Near Jama Masjid, Wazirabad Village Burari Delhi have Changed my Name From Mohd Naim Bukhari to Mohd Naeem Bukhari for All Future Purposes. 0040508849-1

व्यक्तिगत

I, Roshan R/O 42-B, Begumpur, Malviya Nagar, Delhi-110017. Have Changed My Child Name Reshabh To Reshabh Kumar. 0040508929-4

I, Riddhi Sachdeva S/O Aakash Sachdeva R/O Flat No-57, Sg-Pocket, Dilshad-Garden, Jhilmil, Delhi-110095 Have Changed My Name To Purnima Gorla. 0040508892-7

I, Ravinder F/o Vivek R/o Plot No. 148, Dharam Colony, Palam Vihar Extn., Gurugram, Haryana, has changed my son's name from Kana Kumar to Vivek for all future purposes. Also his correct Date of Birth 25-05-2004 (Which is wrongly mentioned as 01/01/2002 in Aadhar Card No. 659789263913 as Kana Kumar). 0040508732-1

I, Ranjit Kumar Sharma S/O, Raghunath Sharma R/o House No-98, Saini Mohalla Near IOCL Main Gate Bijwasan, ND-61, have changed my name to Ranjit Sharma for all purposes. 0040508880-1

I, Ram Rattan S/O Jogi Ram R/O B-54, Block-B, Bindapur Extn. Bindapur, Delhi-110059. Have Changed My Name To Rattan Lal. 0040508929-5

I, Rakesh s/o Ram Sewak r/o SF, A-3/245, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my name to RAKESH GARG. 0040508870-2

I, Rajesh Kumar S/O Roshan Lal R/O A-61, Shani Bazar Road, Krishan Vihar, Delhi-110086. Changed My Name To Rajesh Mittal. 0040508929-2

I, Rajesh Kumar S/O Krishan Lal Talwar H. No-165 A New Colony Gurgaon-122001 Have Changed My Name To Rajesh Talwar. 0040508929-6

I, Raja Ram Bharti S/o Late Shri D.P. Bharti R/o C-93, Sector-20, Distt-G.B. Nagar, have changed to Rajesh Rai Bhartia for future all purpose. 0040508894-1

I, Rahul Sethi R/O-M-80, G/F, Greater-Kailash Part-1, New Delhi-110048,Have Changed My Minor Daughter's Name.From Mishika Sethi To Mishka Sethi Permanently. 0040508899-1

I, R Subbalkshmi W/O Marimuthu Soundararajan H.No-510, Sector-7, R K Puram, Delhi-110022 Have Changed My Name To Soundararajan Subba Lakshmi. 0040508892-4

I, Pravinkumar Ranganathan S/o Shri Ranganathan Arjun Kutil R/o F-4, B-230, Aditya Apartment, Shalimar Garden Main, Ghaziabad-201005, U.P. Have change my name From Pravinkumar Kutil to Pravinkumar Ranganathan For all Purposes. 0040508879-1

I, Pradeep Singh Kataria S/o Phool Singh Kataria R/o-55/28, Jyoti-Park, Gurugram (Haryana) 122001, have changed my name to Pradeep Kataria. 0040508892-1

I, Sanya Nagpal D/o Lalit Nagpal R/o 122/2, Krishankunj Extn. Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Sannya Naggpal. 0040508900-3

I, Noorul Huda D/o Mohd. Nayab R/o H.No. 2566 Gali, Haji Qayamuddin Baradari, Balli Maran, Delhi-110006, have changed my name to Bushra. 0040508848-1

I, Nitish Kumar Gaund S/o Shiv Charan Gaund, R/o D-27, Harkesh Nagar, Okhla, Phase-2, Okhla Industrial Estate, Delhi-110020 have changed my name to Nitish Kumar Gond S/o Shiv Charan Gond for all future purposes. 0040508844-1

I, Nisha Singhal W/o Sunil Kumar Aggarwal R/o-348, G.F., Deepali Enclave, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Nisha Aggarwal for all purposes. 0040508887-1

I, Nayantara Bhartia W/o Shamit Bhartia D/o Bhadrashyam Harshad Kothari, R/o 19, Friends Colony, Sriniwaspuri, Delhi-110065, have changed my name to Nayantara Bhadrashyam Kothari. 0040508899-6

I, Narender Tomer S/o Satyavir Singh R/o-B-100/8 Kanti Nagar Ext.Delhi-110051,have changed the name of my minor daughter Aanshi(4-Years) and she shall hereafter be known as Kavyanshi Tomer. 0040508911-2

I, Narender Kaur, Wo Kishan Singh, R/o. WZ-470-H, Gali-8, Road-3, MS-Block, Harinagar, Delhi-110064, have changed my name to Narinder Kaur. 0040508853-2

I, Ms. Bhagy Shree Tailor, W/o Nikesh Kumar R/o Kalrawas, Naichana, Rewari, Haryana - 123501, have changed my name to Bhagyashree. 0070671033-1

I Jyoti Spouse of Sep Nilesh Kumar Ghoswal R/O H.No.2 Bilotipura Veer Durga Das Marg PO-Danigate Tehsil-Ujjain District-Ujjain Pin-456006 have changed my name from Jyoti to Jyoti Ghoswal vide-affidavit no.IN-DL42671044470467R dated 21-August-2019 before Notary Patiala House Court New Delhi. 0040508900-6

I Hitherto known as Krishana(Age 35 Years) W/o Late Maninder R/o-JB-4/53, Street No.4 Welcome, Seelampur 3 Delhi-110053,have changed my name & shall hereafter be known as Ayesha. 0040508900-9

I, Meena Devi W/o Shri Feran Lal Rajouriya R/o Shiv-Mandir, CPWD-Colony, Vasant-Vihar, New Delhi-110057,have changed my name to Meenakshi Rajouriya. 0040508900-5

I, Manoj Kumar S/o Sh.Ram Dhan Kochar, R/o H.No.77, Radheypuri-Extn-2, Delhi-110051 have changed my name to Manoj Kochar.for all purposes. 0040508892-2

I, Mangu Singh S/o Ganga Mahesh Tyagi Resident H.No. 192, Gali No. 6, Mandoli Extention Delhi-110093, have changed my name to Ashok Tyagi forever. 0040508861-1

I, Mahesh Joshi S/O-Gauri Dutt Joshi R/O-337 G-2, Sector-3A, Rachna Vaishali, Ghaziabad, U.P.201010, changed My Name To Mahesh Chandra Joshi. 0040508940-2

I, Mahendra Kumar S/o Chhabil Dass R/o-C-90, Second Floor, Kewel Kunj Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-85, have changed my name to Mahender Kumar for all purposes. 0040508912-1

I, Kapil Kumar Mahendru S/o Late Sh.Laxmi Narayan Mahendru, R/o H.No.16, Vindhychal Apartment, Inder Enclave, New Delhi-110087 have changed my name to Kapil Mahendru for all purposes. 0040508869-1

I, Heena Ikram D/o Ikram Ul Haque R/o-908, 30/7, Indra-Chowk, Jafrabad, Delhi-110053, have changed my name to Shifa Jabeen. 0040508900-2

I, Hav.Bharat Bhushan, R/o-33 Armd DOU att with IHQ of MOD(Army)have changed my son's name,from B.tussar to Tushar,for all future purposes. 0040508929-10

I, Harvinder Singh Bindra R/O Hno.32,Roadno.7, East Punjabi Bagh,Delhi- 110026. Changed my Child Name Simar Bindra To Simar Kaur Bindra. 0040508929-1

I, Hammad s/o-Makki Hasan Khan R/o-Amouli Dhamouli Via-Pachperwa, Dist. Balrampur, U.P.271206, have changed my name to Hammad Makki Hasan Khan Permanently. 0040508899-4

I, Gurjas S/O Jaspal Singh R/O G-26, Pratap Nagar, Near Metro Station, Delhi-110007, Changed My Name To Gurjas Singh. 0040508892-8

I, Gur Dutt S/o Shri Chand R/o A-245, Chhattarpur Extension, New Delhi-110074 have changed my name from Guru Dutt to Gur Dutt for all future purposes. 0040508860-2

I, Gunjan Malik W/o Kapil Tannan residing at 431, Anand Kunj, Vikaspuri, New Delhi-110018, have changed my name to Gunjan Tannan for all future purpose vide affidavit No. 1137 dated 20.08.2019. 0040508835-1

I, Glory Sadh W/o Robin Sadh R/o B-39, Gali No.4, East Azad Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Geetika Sadh. 0040508877-1

I, Gaurav Kumar Sarswat S/O, Brijwasi Lal Sarswat R/o House No 262, Gali No 3, Moji Wala Kuaan, 8 Biswa, Gurgaon, Haryana, have changed my name to Gaurav Sarswat for all relevant as passport and government ID purposes. 0040508906-1

I, Dr. Sanjeev Kumar S/o Yugal Kishore Prasad R/o 724/17, D.G.E.R.C, Sector-3, Dwarka, New Delhi-110076, have changed my minor daughter's name from SHREYA to SHREYA MALVIYA for all future purposes. 0040508893-1

I, Dipti Singhal, spouse of Parveen Singhal, resident of Tanki Road Brahampuri Muradnagar, Ghaziabad U. P. have changed my name from Dipti Singhal to Deepti Singhal for all purpose. vide affidavit dated 07.08.2019 before District Court, Ghaziabad U. P. 0040508866-1

I, Dinparbha W/o Gur Dutt R/o A-245, Chhattarpur Extension, New Delhi-110074 have changed my name from Deenparbha to Dinparbha for all future purposes. 0040508860-1

I, Dhruv S/O Rajesh Mittal R/O A-61, Shani Bazar Road, Krishan Vihar, Delhi-110086. Have Changed My Name To Dhruv Mittal. 0040508929-3

I, Dhian Kaur W/O, Darshan Singh R/o B4/91, Ashok Vihar, Phase-II, ND-52, have changed my name to Dayan Kaur for all purposes. 0040508876-1

I, Chirag S/o- Ram Mehar Singh R/o- H.No-108 Ext-3 Nangloi Delhi-110041, Changed My Name To Chirag Kumar. 0040508940-1

I Rahul S/o Kashmiri Lal R/o H.No.B-9, Block-B, Chandan Vihar, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi 110041 have changed my father's name from Kashmiri to Kashmiri Lal for all purposes. 0040508900-1

I Prince Malohtra S/O Anil Malhotra R/O-D-86 Sector-13, Delhi Citizen-Apartment Rohini New Delhi-110085, Have Changed My Name To Prince Malhotra. 0040508892-6

I Archana W/O Sh.Rajesh Chauhan R/O-5/260-261 Dakshinpuri Extension NewDelhi-110062 inform that in my passport no.B2098948 my name has been wrongly-written as Archna instead of Archana. 0040508940-4

व्यक्तिगत

I, Chetlal Prajapati S/o Shri Rijho Kumhar R/o CSKM Public School, Satbari, Chattarpur, New Delhi -74. I have changed to Chetlal Pandit S/o Shri Rijho Pandit for all purposes. 0040508868-1

I, Charan Jeet Singh S/o Shri Harsh Pal Singh R/o Q-18 Sriniwaspuri New Delhi-110065 have changed my minor Son name from Shreyas Kamboj to Shreyas Jeet Singh for all purposes. 0040508847-1

I, Bindiya Mandal W/o-Chandrahas Mandal R/o-Flat-295, Adarsh Apartment, Sector-3,Dwarka, Delhi-110078,have changed,my name,from Bindiya Mandal to Bindiya Rani vide,affidavit dated-16/04/2019 before, Notary Public,Delhi. 0040508925-7

I, Bhawana Tyagi W/O Ajay Kumar Tyagi R/O-Flat.No.11, Golf-Link Sadan Golf-Link, New-Delhi-110003,Have Changed My Name Bhawana Tyagi To Bhawna Tyagi.,For All Future Purposes. 0040508892-9

I, Bajrang Jangra & Bajrang s/o Sh.Bhanu Ram R/o 4-J-1, R.H.B, RHB Colony, Milakpur Goojar, Bhiwadi, Rajasthan, have changed my name to Bajrang for all purposes. 0040508942-1

I, Ashok Gupta S/o Des Raj Gupta R/o A-39, Upper Ground floor, Bhagwati Garden Extension, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Ashok Kumar Gupta permanently. 0040508859-1

I, Arvind Chaudhary S/O Madan Lal Chaudhary R/O-Pnc-051 The Pinnacle-Dlf Ph-V Gurgoan. Have Changed my Surname To Arvind Choudhary. 0040508892-10

I, Amit Goel S/o Surendra Kumar Goel R/o M-1/405, Gulmohar Enclave, Rakesh Marg, Ghaziabad, UP-201001, have changed my minor daughter's name from Divyanshi Goel aged 13 years to Ridhima Goyal forever. 0070671043-1

I Shashank Jain S/o Sh.Phool Chand Jain R/o 7, New Colony, Model Basti, Behind Filmistan Cinema, Karol Bagh, Delhi-110005 have changed the name of my minor son from Rithvik Jain to Rethvik Jain for all purposes. 0040508836-4

I Shashank Jain S/o Sh.Phool Chand Jain R/o 7, New Colony, Model Basti, Behind Filmistan Cinema, Karol Bagh, Delhi-110005 have changed the name of my minor son from Dhruv Jain to Dhrruv Jain for all purposes. 0040508836-3

I Saroja W/O Babulal Pal R/O H.No.02 Pehladpur Delhi Cantt-110010,have changed my name to Saroja Pal for all official purposes. 0040508911-1

I Rohit S/o Sh.Harish Pahwa R/o 28, New Market, Timarpur, Delhi-110054 have changed my name to Rohit Pahwa for all purposes. 0040508836-5

I Rajesh Kumar S/O Sh.Om Prakash Chauhan R/O-5/260-261 Dakshinpuri-Extension New Delhi-110062.have changed my name to Rajesh Chauhan for all purposes 0040508940-3

I Hitherto Known As Amit Prakash, S/O Jai Prakash R/O-II/51, Desu-Colony, Kilokri Delhi-110014.,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Aditya Prakash. 0040508892-5

I Gajesh Kumar Baswala S/o Sh.Mohan Lal R/o 15-A, DDA Flats, Pandav Nagar, New Delhi-110008 have changed my name to Gajesh Kumar for all purposes. 0040508836-1

I Ashok Sharma @ Ashok Kumar Sharma S/o Shree Ram Kishan Sharma R/o G-6/21, Sector-11, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Ashok Sharma for all purposes. 0040508836-2

I Vikram Kumar S/O Damodar Prasad Soni R/O 707 A-Block Shastri Nagar Delhi-52. Have Changed My Name To Vikram Soni. 0040508892-3

रिक्त स्थान

Courier Co wants 2/3 yrs exp. Good Speed Computer Operator & Delivery Boys with Bike Good Salary + petrol. 7498999950/52/54. 0050153743-1

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **MR. RAJ KUMAR S/O LATE SH. DAYA CHAND & SMT. KUSUM LATA W/O SH. RAJ KUMAR BOTH R/O B-410, JAHANGIR PURI, DELHI- 110033,** have been left/debar all relations from their daughter namely **SMT. SANDHYA W/O SH. SACHIN** & her children's due to their misbehavior, from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrl. No. D/152/88

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that my clients Sh. Gulab Rai Motwani S/o Late Sh. Hukumat Rai Motwani and Smt. Sheela Motwani W/o Sh. Gulab Rai Motwani R/o U-26A/4, First Floor, White Town House, DLF Phase-III, Gurugram, Haryana-122002, have disowned/ debarred their son namely Sh. Puneet Motwani and his wife namely Smt. Aparna (Batra) Motwani both residents of F-003, BPTP Park, Grandeura, Sector-82, Faridabad, Haryana from all their movable and immovable properties/ assets/business (whatsoever) and they are not in control of my clients in any manner, if anybody deals with them in any manner will do so at his/their own risk and responsibility, my clients shall not responsible for the acts, deeds and things done by the above said son and daughter-in-law of my clients.

Sd/-
J.S. Arora (Advocate)
Ch. No. 356, Saket Court, New Delhi-17

खोया+पाया

I, PARAMJEET PURI D/O LATE MR.GURMUKH SINGH PURI R/o-21, NEW ROHTAK ROAD, KAROLBAGH, NEW DELHI-110005,have lost original Perpetual Lease Deed dated-13th September-1939 of PROPERTY BEARING PLOT-NO.21, BLOCK-62, SITUATED AT NEW ROHTAK ROAD, KAROL-BAGH, NEW DELHI, if found please contact at above address. 0040508839-1

I, SARABJEET Singh sidhu S/o Manjinder Singh R/o-B/2 police-colony mehram-nagar Delhi-10., have lost my original certificate class-10th year-2011 Rollno-8185575 CBSE-Delhi. 0040508911-8

I,Deepak Asnani,S/o-Daulat Ram,R/o-WZ-84/3,1st-Floor,Gali.no.6,Virender Nagar,N.Delhi-110058,has been lost their original Allotment Letter,Physical Possession Letter,bearing Property no.Shop.No.2, Block. No.7,Chhoti Subzi Mandi, Janak Puri,N.Delhi-110058. Finder Contact above address. 0040508925-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate year-2016-2017, class-10th, Roll.No-8754058 issued by CBSE has been actually lost. candidate name-Vijay Ph-7800814057 0040508911-6

I, CHIRAG Baisoya S/o Sunil Baisoya R/o-p-6 pillanji-village sarojni nagar Delhi -23 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8236688 CBSE, Delhi. 0040508911-9

I, ANNU Ajmani D/o Ashok Kumar Ajmani R/o h.no-3067 sec-4b Akash ganga apartment vashundhara gzb up have lost my original-certificate class-10th year-2002 Rollno-6143936 CBSE-Ajmer. 0040508911-7

"सार्वजनिक सूचना"

अधोहस्ताक्षरी अपने मुवक्किल एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड की ओर से सूचित करता है कि **श्री बोधलाल** पुत्र जानकी एल.आई.सी. एच.एफ.एल. से भवन निर्माण हेतु ऋण ले रहे हैं। विक्रय विलेखों की श्रृंखला में मूल विक्रय-विलेख, दिनाँकित 10.11.2003 जो कि बोधलाल पुत्र जानकी द्वारा सुरेन्द्र पाल पुत्र स्व. सुखलाल के हक में निष्पादित है तथा जो भूखण्ड सं.-54ए, रकबा-850 वर्ग फिट, खसरा संख्या-155, स्थित ग्राम-बेगरिया, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ से सम्बन्धित है, खो गया है। जिस किसी वित्तीय संस्था अथवा व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियाँ, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा बन्धकधारक एवं बन्धककर्ता का कोई दायित्व न होगा।

Sd./-
O.P. Jauhari
Advocate
Civil Court, Lucknow
(ओ.पी. जौहरी)
एडवोकेट
342/18, नौबस्ता, लखनऊ।
मो.नं.-7753916910
एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लि.
एरिया आफिस-आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।
फोन नं.-0522-2422995

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Shri. Mohammad Tahir and Smt. Saira, both R/o F-19/A, Nafees Road, Joga Bai, Jamia Nagar, Near Jama Masjid Batla House, Okhla, South Delhi, Delhi-110025 severs all relations and debar their son Shri Mohammad Kamil from all moveable and immovable property(s). My clients will not be responsible for his any acts.

Sd/-
MOHD. WASIQ KHAN
(Advocate)
C-406, First Floor,
Near Gate No. 04
Janta Flats, Jasola Vihar,
New Dalhi-110025

PUBLIC NOTICE

It is for the general public information that my client Sh. Ramesh Chand Sharma S/o Sh. Sohan lal Sharma R/o G-70, Sector 39, Noida, GB Nagar (UP) alongwith his wife have debarred, disown and break down all the relationship from Mr. Anuj Sharma aged about 35 years S/o Sh. Ram Kumar Sharma R/o Village Gijore, Sector 53, Noida; Mrs. Krishna Devi W/o Sh. Ram Kumar Sharma R/o Village Gijore, Sector 53, Noida; Mrs. Ruchi Sharma W/o Pankaj Sharma R/o Village Dundahera, Ghaziabad (UP) due to their misconduct, disobedience and misbehavior attitude. My client along with his wife will not be responsible in future for acts done by them.

Yogesh Kumar Mahur, Advocate,
902, B.S. Mehta Squarelane,
Patiala House Courts, New Delhi,
Mob: 9810253685

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

CS(OS) No. 110/2019

Satish Kumar Gupta Plaintiff
Vs.
Santosh Puri and Ors
To Defendants....

DEFENDANT NO. 3
Rita Puri,
D/o Late Sh. Raj Kumar Puri
R/o A-2/150, First Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029

WHERSAS the plaintiff above mentioned has instituted a **SUIT FOR SPECIFIC PERFORMANCE AND PERMANENT INJUNCTION** against you, the above named defendant and whereas Hon'ble Court issued summons in Suit on 23.02.2019 and whereas it has been shown to the satisfaction of this Court that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by publication directing you, the above named defendant to make appearance before the **Joint Registrar (Judicial) of this Court on 30.08.2019 at 11:00 AM.**

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this court on this the 14th day of August, 2019.

Assistant Registrar(O)
for **REGISTRAR GENERAL**
SR

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल प्रमलता गर्ग पत्नी सुरेन्दर कुमार गर्ग निवासी 148/B हरिजन बस्ती सुल्तानपुर माजरा एक्सटेन्शन नई दिल्ली ने अपने पुत्र नवीन गर्ग को गलत चाल-चलन के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं मेरे मुवक्किल इसके किसी भी कृत्य/लेनदेन/मुकदमे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे **Sd/-**
Pradeep Kumar
(Advocate)

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Sanjeev Kaul S/o Sh. Shiv Kumar Kaul resident of E-371, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048 has disowned/debarred, his son namely Mr. Sagar Kaul from all his movable and immovable properties/ assets/business and severed all relations with Mr. Sagar Kaul due to his and his wife's (Mrs. Shipra Mishra) misbehaviour /misconduct towards my client Sh. Sanjeev Kaul and his wife, he and his wife are not in control of my client, if anybody deals with Mr. Sagar Kaul and Mrs. Shipra Mishra in any manner whatsoever, will do so at his/her/their own risk and responsibility, my client shall not be responsible for the same.

Sd/-
KALIM UR REHMAN (Adv.)
Ch. No. 847 Saket Court, N. Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Be it known to everybody that my client **Harvinder Jit Singh** age 62 yrs. S/o Hardev Singh R/o B-27, Mansarover Garden, New Delhi-110015 has disowned, debarred, and divested his son **Simran Jeet Singh** aged 29 yrs. From his all moveable and immovable properties and has severed all his relationship with him because of his misbehavior and misconduct with him. Any person dealing with him in respect of his properties or on his behalf will be doing so at his/her own cost, risk and consequences. My client would not be responsible for any act monetary or whatsoever done by his son as my client has severed all relationship with his son.

Amit Kochar (Advocate)
Enrollment No-D/2132/2011

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Ashok Kumar, s/o Late Sh. Kesar Dass, r/o BH-142, East Shalimar Bagh, New Delhi-110088, has lost his original documents i.e. allotment letter, demand letter, possession letter, site possession, bank challans/ receipts etc. all related to property No. BH-142, East Shalimar Bagh, Delhi, any person found, be returned the same. to my client and not to misuse the same. Any person if misuses the same then my client shall not be responsible for the same.

Sd/-
Rajiv Hooda
(Advocate)
Mob. 9811867559

PUBLIC NOTICE

Under instructions of my client Sh. Babu Lal S/o Late Kishan Lal R/o 19/17, Street No.2, West Moti Bagh, Flyover, Onkar Nagar, Delhi-110035, Do have by inform that my son namely Sh. Kapil Gaur S/o Babu Lal & his wife namely Sonam Both R/o 19/17, Street No.2, West Moti Bagh, Flyover, Onkar Nagar, Delhi-110035 from today have no relations both are liable themselves for their acts & works. I am doing disown from my moveable and immoveable property. I have no family relations with both of them.

Abhijeet Sah (Advocate)
Ch.No.27, Old Lawayers Chambers, Supreme Court of India
New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Sh. Satish Kumar Gupta, Proprietor of M/s Satish Kumar Gupta at WZ-88A, Janak Park, Gali No. 7, Hari Nagar, New Delhi-64 is going to enter into Partnership with his Sons namely Rohit Gupta (32 Yrs.) & Nitish Gupta (30 Yrs.) both R/o WZ-88A, Janak Park, Gali No. 7, Hari Nagar, New Delhi-110064.
Any person having any objection or claim shall contact within 15 days from publication of this notice.

Sanjay Kapoor & Associates
788, Tis Hazari Court, Delhi

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री हरी चंद पुत्र स्वर्गीय श्री फूल सिंह पता मकान नं. एफ-3/122, सुल्तानपुरी दिल्ली-110086 को स्थायी निवासी हैं उन्होंने अपने तीनो पुत्रों **1. श्री हजारी लाल व उसकी पत्नी श्रीमति सोनिया 2. श्री मनोज कुमार व उसकी पत्नी श्रीमति आशा 3. श्री प्रलाद व उसकी पत्नी श्रीमति आरती** से अपने सभी तरह के सम्बन्धों से त्याग कर दिया है। तीनो बेटे व उनकी पत्नियों के दुर्व्यवहार के लिए उनकी सभी चल और अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है और उनसे अपने सभी तरह के सम्बन्धों से अपने आप को अलग कर लिया है। भविष्य में मेरा मुवक्किल तीनो बेटों व उनकी पत्नियों के द्वारा किये गए किसी भी तरह के लेन देन व कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विवेक चौधरी (अधिवक्ता)
चै.न. 608, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली-85

Public Notice

Be it known to all that my clients Om Parkash Aggarwal and his wife Smt. Sunita Aggarwal resident of House No. D 12/129, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have severed all their connections and relations with their son named Kapil Aggarwal and his wife Smt. Joyotsna Aggarwal, because of their continuous hostile behavior with my clients. My clients disown both of them and declare that they shall have no interest, right, title or claim in their movable and immoveable properties. Any person dealing with them, shall be doing so at his own risk and responsibility.

Vinod Khera, Advocate,
R-556, Shankar Road,
New Delhi- 110060

PUBLIC NOTICE

General Public, Bank(s), Financial Institution(s) & all concerned are hereby informed & notified that my client Mr. Brijesh Kumar S/o Sh. Arjun Singh had already entered into legal transaction with Owner/Builder Mr. Chander Shekhar Pandey for Purchase of property bearing No. WZ-161 (Second Floor) Naraina Village, New Delhi - 110028 (admeasuring about 108 sq. yds.) along with one two-wheeler Parking Space on Ground Floor with all rights, title, interest easements, privileges and appurtenances thereto on 28th Oct, 2018 upon payment of substantial Sale consideration amount equivalent to 95% of total Sale amount. In consideration thereof, my client had already been placed in peaceful physical possession of the said property/Floor in question in part performance by said owner/builder. However, as of now the said Builder/Owner has become dishonest & is refusing to complete the sale bargain by further threatening to create 3rd party interest for which my client is contemplating to take legal action.
Public at large is hereby-cautioned not to enter into any Agreement of any sort with any person(s) in respect of aforesaid property No. WZ-161 (Second Floor) Naraina Village, New Delhi - 110028 (admeasuring about 108 sq. yds.) or any part thereof else he/she shall be doing so at his/her own risk, cost & consequences and may invite civil as well as criminal action.

DILIP KUMAR (Advocate)
(15, Lawyers Block-I, Delhi High Court, New Delhi-3)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली/भोपाल, 21 अगस्त।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर का बुधवार सुबह यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गौर (89) के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि उनका लंबा राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और वह राज्य के विकास की खातिर किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता की सेवा एवं राष्ट्र के विकास के प्रति उनका समर्पण सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर भोपाल स्थित सुभाष नगर विश्राम घाट पर किया गया। उनके पोते आकाश गौर ने उनकी चिंता को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, केंद्रीय मंत्रीगण नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत व नित्यानंद राय, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह व कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इससे पहले उनके शव को उनके निवास से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के दर्शनार्थ के लिए फूलों से सुसज्जित वाहन में लाया गया।

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, MUKUL CHANDRA SARKAR S/O SH. NITAI CHANDRA SARKAR residing at K-380, J.J. COLONY, SHAKURPUR DELHI -110034, declare that name of mine has been wrongly written as MUKUL SARKAR in my minor son MRIDUL SARKAR aged 16 years and his educational documents. The actual name of mine is MUKUL CHANDRA SARKAR, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

"General public is hereby informed that my clients namely Sh. Madan Lal Sharma S/o Late Sh. Jagdish Chander and Smt. Nirmala Devi W/o Sh. Madan Lal Sharma both R/o. H. No. 18, Jeetram Colony, Budhpur Delhi- 110036 debar/disown their son namely Shashi Kumar and his wife namely Dayawati from their all moveable & immovable properties and swear all relations from them as they are out of their control and sayings and my clients have no concern with them".

Sd/-
S.K. KAUSHIK & ASSOCIATES
Enrol. No. D-1332/04 (Advocates)

PUBLIC NOTICE

**Be it known to public that my clients Sh. Ram Kishan and his wife Smt. Babita residing at E-9 Patel Chest, Maurice Nagar Delhi-110007, have severed all relations and debarred their son

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**

अधिकतम–36.1 डि.से. सूर्योदय– 5:54

न्यूनतम– 26.4 डि.से. सूर्यास्त– 18:55

घट रहा यमुना का जलस्तर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के मुताबिक इस स्तर में गिरावट शुरू हो गई है। देर शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बह रही थी। जल स्तर 206.44 मीटर दर्ज किया गया। अब गुरुवार को यह स्तर घटकर 205.25 मीटर तक जाने की संभावना है। दिल्ली में पुराना रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी के लिए खतरनाक स्तर 205.33 निर्धारित है। यमुना नदी गुरुवार को शाम तक खतरे के निशान से नीचे होगी। बीते तीन दिनों में हथिनीकुंड बैराज से करीब 8.27 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जल स्तर में दर्ज की जा रही गिरावट के बाद अब बाढ़ के खतरे की संभावना नहीं है।

गुरुवार को यमुना नदी में अधिक पानी होने की वजह से यमुना खादर में पानी भर गया था और इस क्षेत्र में रह रहे लोग यमुना क्षेत्र से बाहर निकल कर सरकारी शिविरों में पहुंए गए थे। इस बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र में होने वाली खेती को नुकसान पहुंचा है और हजारों की संख्या में लोग पुश्ते पर बने राहत शिविरों में रह रहे हैं।

हालात का जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में बुधवार को भाजपा नेताओं ने भी हालात का जायजा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इन क्षेत्रों का मुआयना किया और लोगों की मदद की। विजय गोयल ने आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान लोगों ने उस्मान खादर इलाके में शिविरों, शौचालयों और भोजन की अनुपलब्धता की शिकायत की। उन्होंने की हालत यह है कि लोग धूप में

बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार ने केवल दिखावे के लिए बस स्टॉप के पास ही कुछ टैंट लगाए हैं। वे उस्मानपुर व गढ़ी मांडु में जांच के लिए पहुंचे थे।

'बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार दे मुआवजा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

यमुना में आई बाढ़ से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई हजार एकड़ में लगी फसल का नुकसान हुआ है। इलाके में मछली पालन करने वाले किसानों की मछलियां जमुना में बह गईं। नाविकों के छोटे नाव भी बह गए। बुराड़ी विधानसभा के पूर्व भाजपा उम्मीदवार और भाजपा असंगठित मोर्चा के नेता गोपाल झा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख कर प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात कही है।

गोपाल झा ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र में पीड़ितों के बीच रहने के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि करोड़ों के नुकसान के बावजूद राजस्व जिला के मध्य में होने के कारण कानूनी तौर पर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुराड़ी क्षेत्र को राजस्व जिला के उत्तरी जिला में शामिल कर इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का निर्देश देना चाहिए। झा ने कहा है कि फसल, फल और सब्जी के साथ मछली पालन करने वाले परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। वे जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार के आला पदाधिकारी तक पीड़ितों की बात पहुंचा रहे हैं।

अब चैन की सांस लें, बाढ़ का खतरा टला : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली से बाढ़ का खतरा टल गया है। लगातार कुछ घंटों से यमुना नदी में पानी का स्तर कम हो

रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से बीते दो दिन से तनाव की स्थिति थी और दिल्ली सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुई थी। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही। यमुना नदी के निचले इलाकों के डूबने के बाद नदी के मैदानी हिस्से में रह रहे 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी एजंसियों की ओर से लगाए शिविरों में भेज दिया गया है। राहत शिविरों में रह रहे लोग दिल्ली सरकार की कोशिशों की सराहना कर रहे हैं। भोजन, पानी और अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के समन्वय से चौबीस घंटे काम कर रहे हैं।

फॉर्म नं. यूआरसी–2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना देने का विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (ख) और कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में]

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, कार्यालय कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019 के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया गया है कि मैसर्स नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस (एनएफसीजी), भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत गठित एक ट्रस्ट को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर एक धारा 8 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. प्रस्तावित कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:–
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में कम्पनी के कार्यक्रमों के लाभार्थियों को अनुसंधान, परामर्श एवं तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रैक्टिस, क्षमता निर्माण, मानक स्थापना, प्रतिपालन, रेटिंग, मॉनीटरिंग, मान्यता, वित्तीय एवं अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना;
- अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की महत्ता पर पेशेवरों एवं कॉर्पोरेट नेतृत्वकर्ताओं को कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर प्रोत्साहन, परामर्श, सहायता प्रदान करना और एक मंच प्रदान करना तथा उन्हें जागरूक करना;
- कॉर्पोरेट सुशासन को बढ़ावा देने हेतु, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं बहु–पक्षीय संगठनों, संबंधित संस्थानों, साझेदार संगठनों, उद्योग संघों, नियामकों/सरकारों को सहायता एवं वित्तीय सहयोग देने के लिए;
- कॉर्पोरेट सुशासन के क्षेत्र में सभी भागीदारों के मूल्यवर्द्धन की रणनीतियाँ तैयार करने और उद्योग जगत एवं बृहत्तर समाज के लिए इनके दीर्घकालिक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए;
- कॉर्पोरेट सुशासन के क्षेत्र में सूचना एवं जानकारी के प्रसार के लिए किसी व्यक्ति/संगठन को खुद या अन्य किसी के सहयोग से शोध पत्र, नियतकालिक पत्रिका, रिपोर्ट या पुस्तक की तैयारी, मुद्रण एवं प्रकाशन करने के लिए।

3. प्रस्तावित कम्पनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी का निरीक्षण पंजीकृत कार्यालय – द संतोष सोधी सेंटर, 23, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003, भारत में कर सकते हैं।
4. यह सूचित किया जाता है कि यदि इस आवेदन पर किसी को आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के अंदर लिखित रूप में रजिस्ट्रार को सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), फ्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिन कोड – 122050 पर भेज दें। एक कॉपी एनएफसीजी को भी पंजीकृत पर भेज दें।

नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस
हस्ता./–
कार्यकारी निदेशक
नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आज 22 अगस्त, 2019 दिनांकित

पंजीकृत कार्यालय: द संतोष सोधी सेंटर, 23, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) का राजस्व विभाग अन्य संबंधित मुद्दों के साथ पानी/सीवर शुल्कों के बिलिंग तथा संग्रहण के लिये उत्तरदायी है। कार्यक्षमता, तेजी आदि की दृष्टि से अपने उपभोक्ताओं को विकसित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये दि.ज.बो. राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) 1.0 से आरएमएस 2.0 की ओर बढ़ रहा/स्थानांतरित हो रहा है। इस प्रवासन में सक्रिय रूप से डैटा माइग्रेशन तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये डाउन टाइम की आवश्यकता होगी। अतएव, 23.8.2019 से 30.8.2019 तक राजस्व प्रबंधन प्रणाली के एक नियोजित डाउन टाइप करने का फैसला किया गया है। इस अवधि के दौरान, सभी बिलिंग, संग्रहण, नए अनुरोध तथा अंचल राजस्व कार्यालयों में कैश काउन्टर्स सहित समस्याओं के समाधान से संबंधित ऑन लाइन सेवाऐं हमारे उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होंगी। ऐसे ग्राहकों जिनका उपरोक्त अवधि के दौरान बिल भुगतान की तिथि नियत हो, उनसे लिये यह अवधि बिना किसी विलम्बित भुगतान अधिभार के 9 सितम्बर, 2019 तक स्वतः आगे बढ़ जायेगी अथवा ग्राहक अंचल राजस्व कार्यालयों में उपलब्ध कियोस्क्स में यह भुगतान कर सकते हैं।

जबकि, सभी अंचल राजस्व कार्यालयों में ऑफ–लाइन कार्य जारी रहेंगे। किसी भी ऑफ–लाइन जानकारी जैसे अंचल कार्यालयों के पते, अधिकारियों के सम्पर्क के विवरणों आदि के लिये उपभोक्ता 1916 पर डायल करना जारी रखें।

उपरोक्त अवधि के दौरान दिल्ली के नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिये अत्यधिक खेद है।

हस्ता./–
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — निदेशक (राजस्व)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 283/2019–20 — दिल्ली जल बोर्ड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रिकवरी विभाग, सर्किल कार्यालय: उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110025 फोन: 011–25744163
ई–मेल: condelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक ऋणधारक के समक्ष नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगेजरी (यहां के बाद ऋणधारक के रूप में वर्णित) से बकाया राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी किया था। पुनः वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने नीचे सूचीबद्ध ऋणधारकों को स्वीकृत ऋण/साख सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में धारित नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कब्जा कर लिया है। जैसा कि मांग सूचना के अनुसार ऋणधारकों से पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिभूत बकाए ऋण तथा वसूली, यदि बाद में कोई की गई हो, को घटाकर उस पर बैंक द्वारा वहन की गई लागतों एवं चार्जेज के साथ आगे के ब्याज की वसूली के लिए यह बिक्री सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जाएगी। आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पात्र संपत्ति के लिए बैंक बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित राशि बकाया	मॉर्टगेजर (संपत्ति के स्वामी) के नाम के साथ सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	खाता का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से ईएमडी जमा की जाएगी	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	बोली बृद्धि राशि (रुपए में)	प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम एवं संपर्क सं.	सरकारी बकाया देयता, यदि कोई हो
1.	मै. इस्पात एलॉयज (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	18.11.2014 रु. 2958.18 लाख	मै. इस्पात उद्योग के नाम में मारबारहराना तहसील सितारगंज, ऊधम सिंह नगर–262405, उत्तराखंड की ग्रामीण सीमा के भीतर, एल्डेको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क, सितारगंज, खसरा नं. 38 में क्षेत्रफल 1023.57 वर्ग मीटर में स्थित लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट नं. सी–95, फेज–III	भौतिक	रु. 24.30 लाख	रु. 2.43 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
2.	मै. इस्पात एलॉयज (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	18.11.2014 रु. 2958.18 लाख	मै. इस्पात उद्योग के नाम में मारबारहराना तहसील सितारगंज, ऊधम सिंह नगर–262405, उत्तराखंड की ग्रामीण सीमा के भीतर, एल्डेको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क, सितारगंज, खसरा नं. 38 में क्षेत्रफल 1023.57 वर्ग मीटर में स्थित लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट नं. सी–96, फेज–III	भौतिक	रु. 24.30 लाख	रु. 2.43 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
3.	मै. इस्पात एलॉयज (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	18.11.2014 रु. 2958.18 लाख	श्री प्रशांत कुमार शर्मा के नाम में ग्राम बुरानगर, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर–263152, उत्तराखंण्ड राज्य में खाता नं. सी–98, खसरा नं. 291, मिन, रकबा 0.120 हेक्टेयर में स्थित भूमि	भौतिक	रु. 54.00 लाख	रु. 5.40 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
4.	मै. इस्पात एलॉयज (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	18.11.2014 रु. 2958.18 लाख	मै. इस्पात एलॉयज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम में ग्राम अम्बकटा, पीओ डनरा, पीएस बरकोर्ट, जिला देवगढ़, उड़ीसा में प्लान्ट एवं मशीनरी के साथ फ्रीहोल्ड फैक्ट्री भूमि एवं भवन (माप 18.16 एकड़)	भौतिक	रु. 525.00 लाख	रु. 52.50 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
5.	रिशी खारी, बीओः एआरएमबी मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091	20.1.2018 रु. 96.10 लाख	खसरा नं. 13/8, गली नं. 2 (अब, गली नं. 1 के नाम से विदित, पुरानी बस्ती के नाम से विदित आबादी, अब संजय कॉलोनी विदित, साफियाबाद रोड, ग्राम नेरला, दिल्ली–110040 का भाग, माप 480 वर्ग यार्डस)	भौतिक	रु. 100.00 लाख	रु. 10.00 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
6.	मै. केडीएस ग्रीव लैंड बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स (पी) लि. बीओः एआरएमबी मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091	7.10.2015 रु. 629.34 लाख	विकास शर्मा के नाम में फ्लैट नं. जी–1, भू तल, प्लॉट नं. आई/200, ज्ञान खंड 1, इन्दिरा पुरम, गाजियाबाद, 1553 वर्ग फीट	भौतिक	रु. 55.00 लाख	रु. 5.50 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
7.	इन्ट्रैण्ड कॉटन (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091	5.10.2012 रु. 958.87 लाख	इन्ट्रैण्ड कॉटन पी.लि. के नाम में नं. 65, रोज का मेओ, इंडस्ट्रियल एरिया सोहना, हरियाणा–122006, फ्रीहोल्ड में स्थित भूमि के प्लॉट माप 740.80 वर्ग यार्ड्स पर फैक्ट्री भूमि तथा भवन	भौतिक	रु. 450.00 लाख	रु. 45.00 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
8.	मै. मंजू राज बेवरेजेज (पी) लिमिटेड बीओः एआरएमबी मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091	15.7.2014 रु. 64.59 लाख	मै. मंजू राज बेवरेजेज (पी) लिमिटेड के नाम में फ्रीहोल्ड किल्ला नम्बर 13, 14/1, खसरा नं. 74, खेवत नं. 48, खाता नम्बर 63, सेक्टर 27, ग्राम दरचाना, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी तथा उपरोक्त प्लॉट माप 0.856 एकड़ पर प्लान्ट एवं मशीनरी	भौतिक	रु. 40.00 लाख	रु. 4.00 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफ एससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
9.	मै. एशियन थाई फूड्स एंड इन्वेस्टमेन्ट्स (पी) लिमिटेड बी.ओ.: एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, नई दिल्ली	16.7.2016 रु. 848.22 लाख	मै. एशियन थाई फूड्स एंड इन्वेस्टमेन्ट्स (पी) लिमिटेड (पूर्व में अभिशेक विनियोग प्राईवेट लिमिटेड के नाम में विदित) के नाम में प्लॉट नं. 1–4, सेक्टर–3, आईआईई पंत नगर (ग्राम कल्याणपुर) किच्छा रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड–263153 में स्थित लीजहोल्ड सम्पत्ति (भूमि एवं भवन), माप 14145 वर्ग मीटर	भौतिक	रु. 560 लाख	रु. 56.00 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफएससी कोडः PUNB0440800	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/–	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंदा भंजा, एम नं. 7044070801, बीओः एमआर एम बी, मयूर विहार, दिल्ली नोडल अधिकारी श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
10.	श्री मोहित गौर बीओः कृष्णा नगर, दिल्ली	10.7.2017 रु. 105.97 लाख	श्री मोहित गौर तथा निधि गौर के नाम में 2रा तल, बिना छत के अधिकार के, फ्लैट नं. एस–2, प्लॉट नं. 11/एमएल–2, गौर शॉपर्स एम्पायर्स, सेक.–11, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र. में भूमि माप 2480 वर्ग फीट (अर्थात् 230.40 वर्ग मी.) पर निर्मित फ्रीहोल्ड आईपी	भौतिक	रु. 99.20 लाख	रु. 9.92 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0646003171160, खाता नामः ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफएससी कोडः PUNB0064600	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/–	प्राधिकृत अधिकारीः श्रीमती आशा देसाई, एम नं. 8130694640, बीओः कृष्णा नगर, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर. के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	ज्ञात नहीं
11.	मै. सोमसिद्ध ओवरसीज (पी) लिमिटेड बी.ओ.: सिविल लाइन्स दिल्ली	3.1.2017 रु. 1624.76 लाख	श्रीमती कविता गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सह आवासीय सम्पत्ति सं. 4831/5, दूसरा तल एवं तीसरा तल, फ्रान्ट कॉर्नर भाग, डिप्टी गंज, मैन रोड, सदर बाजार, दिल्ली–110006, माप लगभग 66,89 वर्ग मी. (80 वर्ग यार्ड्स)	भौतिक	रु. 104 लाख	रु. 10.40 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफएससी कोडः PUNB0011500	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/–	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 8588837770/ 9453045241; बी.ओ.: सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी, श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427) उप सर्किल प्रमुख पीएनबी, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
12.	मै. सोमसिद्ध ओवरसीज (पी) लिमिटेड बी.ओ.: सिविल लाइन्स दिल्ली	3.1.2017 रु. 1624.76 लाख	श्रीमती कविता गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति प्रा. शॉप नं. 5, सम्पत्ति सं. 280 ए, जीएफ, कूचा संजोगी राम, नया बांस, फतेह पुरी, खारी बावली, दिल्ली–110006, माप 59.38 वर्ग फीट (लगभग 5.51 वर्ग मी.)	भौतिक	रु. 9 लाख	रु. 0.90 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफएससी कोडः PUNB0011500	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/–	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 8588837770/ 9453045241; बी.ओ.: सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी, श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427) उप सर्किल प्रमुख पीएनबी, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
13.	मै. सोमसिद्ध ओवरसीज (पी) लिमिटेड बी.ओ.: सिविल लाइन्स दिल्ली	3.1.2017 रु. 1624.76 लाख	श्रीमती कविता गुप्ता के नाम में व्यावसायिक सह आवासीय सम्पत्ति नं. 47 (पुराना नं. 357), 1ला तल, कूचा बेला मल, बाजार मस्जिद, नया बांस, दिल्ली–110006), माप 54 वर्ग यार्ड्स (लगभग 45.15 वर्ग मी.)	भौतिक	रु. 20.00 लाख	रु. 2.00 लाख	9.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता का नाम ''पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता'' आईएफएससी कोडः PUNB0011500	5.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप. तक	12.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/–	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 8588837770/ 9453045241; बी.ओ.: सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी, श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427) उप सर्किल प्रमुख पीएनबी, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
14.	मै. एशियन कार्गो मूवर्स बीओः एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली– 110092	2.7.2018 रु. 538.98 लाख	विपुल बंसल, पुत्र गणपति राय बंसल तथा श्रीमती हर्षिता बंसल, पत्नी विपुल बंसल के नाम में फ्रीहोल्ड डुप्लेक्स फ्लैट नं. 17 सी, दूसरा तल तथा तीसरा तल, सूर्य विहार, डुण्डाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा– 122016, साइट का एरिया 2391 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया 2150 वर्ग फीट	भौतिक	रु. 144 लाख	रु. 14.40 लाख	24.9.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4904003171160, पीएनबी एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0490400	21.9.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	27.9.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृ

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.1 डि.से.	36.1 डि.से.	34.3 डि.से.	35.1 डि.से.
न्यूनतम	24.8 डि.से.	24.8 डि.से.	24.6 डि.से.	27.2 डि.से.

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : देश में स्वास्थ्य देखभाल पर चर्चा, कमलादेवी ब्लाक, सभागार 2 और 3, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यपालक अभियंता (एम–I) आरजैड का कार्यालय
रोड नंबर 44, ग्राम पीतमपुरा, दिल्ली–110034

ई.ई.(एम–I)/आरजैड/टीसी/2019–20/17 दिनांक: 14.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा दस्तावेज की बिक्री आरम्भ होने की तिथि : 14-08-19 को 17.00 बजे
निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 29-08-19 को 14.00 बजे तक
बिड जमा करने की अंतिम तिथि : 30-08-19 को 15.00 बजे तक
वित्तीय बिड खोलना : 31-08-19 को 15:15 बजे तक

क्र. सं. 1. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 58-एन, .एम-I/आरजैड में यूनिक अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 23,07,069/-, **धरोहर राशि:** रु. 50,750/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/01

क्र. सं. 2. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 60-एन, .एम-I/आरजैड में न्यू मॉडर्न अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 23,08,159/-, **धरोहर राशि:** रु. 50,800/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/02

क्र. सं. 3. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 58-एन, .एम-I/आरजैड में शान्ति अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 26,14,494/-, **धरोहर राशि:** रु. 57,500/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/03

क्र. सं. 4. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 60-एन, .एम-I/आरजैड में सुखधाम अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 32,41,435/-, **धरोहर राशि:** रु. 71,300/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/04

क्र. सं. 5. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 58-एन, .एम-I/आरजैड में लकी होम अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 33,05,561/-, **धरोहर राशि:** रु. 72,700/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/05

क्र. सं. 6. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 58-एन, .एम-I/आरजैड में अनुभव अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 34,39,344/-, **धरोहर राशि:** रु. 75,650/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/06

क्र. सं. 7. कार्य का नाम: वार्ड नंबर 58-एन, एम-I/आरजैड में तरुण अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी में आरएमसी उपलब्ध कराने द्वारा रास्ते का सुधार विकास, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 34,88,222/-, **धरोहर राशि:** रु. 76,750/-, **समापन अवधि:** 3 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 500/-, **निविदा सं.:** 17/07

क्र. सं. 8. कार्य का नाम: एसी-13/आरजैड में दिल्ली सिटीजन अपार्टमेंट, विश्वा अपार्टमेंट, सुनहरी बाग अपार्टमेंट, पाकेट डी-10, सेक्टर-7, माधव कुंज अपार्टमेंट, न्यू यंग फ्रेन्ड्स अपार्टमेंट, वेलकम अपार्टमेंट, जनयुग अपार्टमेंट, पटेल अपार्टमेंट में रिक्रिएशन हॉल का निर्माण, **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** रु. 57,33,098/-, **धरोहर राशि:** रु. 1,26,100/-, **समापन अवधि:** 4 माह, **दर वैधता अवधि:** 5 माह, **निविदा का मूल्य:** रु. 1000/-, **निविदा सं.:** 17/08

निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर डाउनलोड किया जा सकता है तथा वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर अनुमोदित तथा ग्राह्य ठेकेदारों द्वारा बिडिंग के लिए भी उपलब्ध है। एनआईटी का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

आर.ओ. नं. 57/डीपीआई/उत्तरीडीएमसी/2019-20 कार्यपालक अभियंता (एम–I)/आरजैड

संत के मंदिर पर संग्राम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को मंदिर को गिराए जाने के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों से आए दलित समुदाय के लोगों ने हाथों में नीले रंग झंडे लेकर प्रदर्शन किया। बाद में कुछ प्रदर्शनकारी उस स्थल की ओर जाने की कोशिश करने लगे जहां मंदिर था। इस वजह से भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दलित संगठन भीम आर्मी ने दावा किया कि उनके नेता चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने गोलियां चलाईं।

विरोध में शामिल नवगठित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर संयुक्त संरक्षण समिति ने गिराए गए रविदास मंदिर को 26 नवंबर तक दोबारा बनाने का अल्टीमेटम दिया है। समिति के संयोजक अशोक भारती ने संतों की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। इसके बाद संत समाज, दलित समुदाय व संगठनों की ओर से उठाए गए उग्र कदम के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इससे पहले रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से दोबारा मंदिर बनाने की मांग की। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए प्रदर्शनकारी 'जय भीम' के नारे लगा रहे थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि संबंधित जमीन दलित समुदाय को सौंप दी जाए और मंदिर दोबारा बनवाया जाए। यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां तुगलकाबाद के संबंधित स्थल पर या किसी अन्य वैकल्पिक स्थल पर मंदिर बनवाने की मांग कर रही हैं।

प्रदर्शन में शामिल हुए भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद। फोटो : रुष चोपड़ा

भाजपा दलित विरोधी : गौतम

दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने केंद्र सरकार के इशारे पर करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक इस मंदिर को ढहा दिया। इस मामले को लेकर मैंने 12 अगस्त को प्रधानमंत्री को खत लिखा था, लेकिन उस पर कोई जवाब नही आया। यह भाजपा का दलितों के प्रति दूषित मानसिकता को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि मंदिर को दोबारा वही स्थापित कराया जाए। हालांकि केंद्र सरकार के सुस्त रवैये अपना रही है। वह जान-बूझकर समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है।

मां ने डर से छिपाया था बच्चे का शव, 20 दिन बाद हुआ खुलासा

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 21 अगस्त।

जेवर इलाके के गोपालगढ़ में रहने वाली एक महिला हेमा की लापरवाही से आठ महीने के बच्चे दीपक की मौत हो गई। घरवालों की नाराजगी से बचने के लिए उसने बच्चे को बोरी में डालकर अनाज की टंकी में छिपा दिया। करीब 20 दिन बाद शव से तेज दुर्गंध आने पर मामला सामने आया।

महिला ने पुलिस को बयान दिया है कि 11 अगस्त को दिन में ही बच्चे को पलंग पर खेलते हुए छोड़कर कुछ काम करने चली गई। उसी समय वह नीचे फर्श पर गिर गया और सिर में गहरी चोट लगने से मौत हो गई थी। बच्चे की मौत से वह सदमे में आ गई और घरवालों की फटकार के डर से उसने बच्चे के शव को बोरी में डालकर अनाज की टंकी में छिपा दिया था। इसके बाद पति रोहताश के घर लौटने पर रोती हुई बच्चे के अगवा किए जाने की जानकारी दी। घरवाले परेशान होकर थाना जेवर पहुंचे और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इस मामले में कुछ लोगों पर अपहरण का शक जताते हुए पुलिस ने पूछताछ भी की थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को जब अनाज की टंकी से तेज दुर्गंध आई तब घरवालों को बोरी में दीपक का शव होने का पता चला। तब बच्चे की मां हेमा ने अपनी लापरवाही मानी और रोने लगी। इसके बाद घरवालों ने शव को कुछ दूरी पर बिटौरे के ढेर के पास रख दिया। बच्चे का शव बिटौरे के पास देख गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की तो बच्चे की मां ने पूरा वाक्या बताया। थाना जेवर के एसएचओ अजय अग्रवाल के मुताबिक बच्चे का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पलंग से गिरकर हुई थी मौत

जेएनयू में मिलकर चुनाव लड़ेंगे वाम छात्र संगठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पदाधिकारियों के लिए होने वाले चुनाव में सभी वाम छात्र संगठन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में सभी वाम छात्र संगठनों की जेएनयू इकाइयां मिलकर जल्द ही घोषणा कर देंगी।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता डे के मुताबिक पिछले सालों की तरह इस बार भी 'वाम एकता' के तहत पूरा पैनल उतारा जाएगा। किस पद पर किस संगठन का उम्मीदवार उतारा जाएगा इसका निर्णय जल्द ही आपस में बैठकर कर फैसला लिया जाएगा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के दिल्ली राज्य समित सदस्य प्रतीश मेनन ने बताया कि हम पूरी तरह से वाम एकता के साथ हैं और इस साल होने वाले चुनाव में भी वाम छात्र संगठनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि अभी इस संबंध में किसी संगठन से बात नहीं हुई है लेकिन जल्द ही बातचीत करने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआइएसएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वल्लीउल्लाह कादरी ने कहा कि वाम एकता के अलावा सभी जनवादी और बहुजनवादी संगठन भी साथ आएं। उन्होंने कहा कि हम संप्रदायिकता के खिलाफ सभी को एक मंच पर लाने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिरसा आंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा) सहित अन्य छात्र संगठन भी हमारे साथ आएं। पिछले साल वाम एकता में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) भी साथ था और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वह वाम संगठन के साथ ही रहेगा।

सलाहकारों की संख्या बढ़ी

जेएनयू में इस बार ईडब्लूएस कोटा लागू होने की वजह से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला मिला है जिससे कुल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। इसको देखते हुए डीन स्टूडेंट्स ने सलाहकारों (काउंसलर्स) की संख्या में इजाफा किया है। पहले जहां कुल काउंसलर्स की संख्या 31 होती थी, जो अब बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है।

जेएनयू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआइएस) से एमफिल कर रहे शशांक पटेल को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है।

अधिग्रहित जमीन पर बने 36 कमरे और दो दुकानें सील

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 21 अगस्त।

अवैध निर्माण और अधिसूचित जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण के जारी अभियान के तहत बुधवार को याकूबपुर गांव में बने 36 कमरों और दो दुकानों को सील किया। करीब चार हजार वर्ग मीटर जमीन पर बने कमरे और दुकानों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसानों को तीन दिन का समय दिया गया है। दस्तावेजों की जांच में निर्माण के अवैध साबित होने पर प्राधिकरण इन्हें ध्वस्त कर देगा। वहीं, बकाया वसूली को लेकर सेक्टर- 6 में प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन के बाहर स्थित कैनरा बैंक और विजया बैंक की शाखा की लीज डीड रद्द कर दी। दोनों बैंक शाखा पर करीब आठ करोड़ रुपए बकाया है। सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जगह का भौतिक कब्जा लेने और आरसी के जरिए बकाया वसूली के निर्देश दिए गए हैं। याकूबपुर गांव में प्राधिकरण को करीब 17 हजार वर्ग मीटर जमीन अपने कब्जे में लेनी है। याकूबपुर गांव के खसरा नंबर-31 की जमीन पर कर्मवीर, महरसिंह और धीर सिंह कब्जा है। इस जमीन को लेकर प्राधिकरण ने 26 सितंबर 2006 को धारा-चार और धारा-छह के तहत कार्रवाई की।

ऐक्सिस बैंक — आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. स.	ऋणी/ सह–ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1.	**श्री गुरू घनेश कुमार (ऋणी)** पुत्र श्री महेश प्रसाद **श्रीमती वन्दना तिवारी (सह–ऋणी)** पत्नी श्री गुरू धनेश कुमार निवासी म.नं0 74/7, महाराज सिंह नगर, पुलिया नं0–9, झाँसी खास, सिप्री बाजार, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284003	स्थित हंसारी गिर्द (महाराज सिंह नगर) आराजी नं0 132, वार्ड–17, कछियाना पुलिया नं0–9 झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284003 जोकि **गुरू घनेश** के नाम **क्षेत्रफल–109.91 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** सड़क, **पश्चिम :** विक्रेता का प्लाट, **उत्तर :** सड़क, **दक्षिण:** माहौर का प्लाट	रू. 6,50,257.00 एवं रू. 6,23,060.00 दिनांक 14.05.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 14.05.2019** **कब्जा दिनांक 17.08.2019**
2.	**श्री गुरू घनेश कुमार (ऋणी),** पुत्र श्री महेश प्रसाद निवासी म.नं0 74/7, महाराज सिंह नगर, पुलिया नं0–9, झाँसी खास, सिप्री बाजार, झाँसी, उ0प्र0, भारत–284003 **श्रीमती वन्दना तिवारी (सह–ऋणी)** पत्नी श्री गुरू धनेश कुमार निवासी म0नं0 74/7, कछियाना–2, पुलिस स्टेशन–प्रेम नगर, तहसील एवं जिला–झाँसी, उ0प्र0, भारत–284003	स्थित कछियाना पुलिया नं0–9, वार्ड नं0–17 कछियाना झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284003 जोकि **श्रीमती वन्दना तिवारी** के नाम **क्षेत्रफल–100.92 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती इन्दु निशा का मकान, **पश्चिम :** सड़क, **उत्तर :** साहू जी का प्लाट, **दक्षिण:** सड़क	रू. 24,21,517.00 दिनांक 14.05.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 14.05.2019** **कब्जा दिनांक 17.08.2019**
3.	**श्री विशाल वर्मा (ऋणी),** पुत्र श्री प्रभुदयाल **श्रीमती सरोज (सह–ऋणी),** पत्नी श्री विशाल वर्मा निवासी 466/1, एम.एस. राजपूत स्कूल के पीछे, कछियाना पुलिया नं0–9, मौजा रूण्ड पंप महल, निकट पुलिस चौकी से झलकारी नगर रोड, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284003	स्थित 466/1, एम.एस. राजपूत स्कूल के पीछे, कछियाना पुलिया नं0–9, मौजा रूण्ड पंप महल, निकट पुलिस चौकी से झलकारी नगर रोड, झाँसी, उ0प्र0, भारत–284003 जोकि **श्रीमती सरोज** के नाम **क्षेत्रफल–167.29 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** विक्रेता का प्लाट अब सड़क **पश्चिम :** 15 फुट सड़क, **उत्तर :** विक्रेता की भूमि (भोपे) **दक्षिण:** जगदीश का प्लाट	रू. 24,73,180.00 दिनांक 23.07.2018 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 25.07.2018** **कब्जा दिनांक 17.08.2019**
4.	**श्री अभिषेक गौर (ऋणी),** पुत्र श्री सुभाष चन्द गौर **श्रीमती अमिता गौर (सह–ऋणी),** पत्नी श्री सुभाष चन्द गौर निवासी मकान नं0 355, साहूकारा, पुलिस स्टेशन किला, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत, 243001	स्थित प्लाट नं0 एम–53, मोहल्ला–मठकमल नैनपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत–243001 जोकि **श्रीमती सरोज** के नाम **क्षेत्रफल–90.71 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** प्लाट नं0 एम– 34 **पश्चिम :** सड़क, **उत्तर :** विष्णु कुमार की सम्पत्ति, **दक्षिण:** प्लाट नं0 एम–53 का भाग (दीपक वैश्य का मकान)	रू. 14,65,477.00 दिनांक 23.08.2018 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 24.08.2018** **कब्जा दिनांक 17.08.2019**
5.	**श्रीमती किरन देवी (ऋणी),** पत्नी श्री अशोक कुमार निवासी 715–जी, रानी लक्ष्मी बाई नगर, नगर–2, रेलवे सेटेलमेन्ट नोटीफाईड, निकट रेलवे कालोनी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284204 **एवं** : द्वारा पंचायत राज विभाग, विकास खण्ड मौरानीपुर, ग्राम बसरिया, झाँसी, उ0प्र0, भारत–284001 **श्री अशोक कुमार (सह–ऋणी),** पुत्र श्री कुरी निवासी 715–जी, रानी लक्ष्मी बाई नगर, नगर–2, रेलवे सेटेलमेन्ट नोटीफाईड, निकट रेलवे कालोनी, झाँसी, उ0प्र0, भारत–284204 **एवं** : निवासी नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, रेलवे हॉस्पिटल, निकट डीआरएम आफिस, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284001	स्थित कं–349/2ए, के.के.पुरी कालोनी, नन्दनपुरा तृतीय, मौजा लहर गिर्द, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत–284204 **क्षेत्रफल–97.58 वर्ग मी0** **चौहद्दी:** **पूर्व:** चार्लिस चौहान का मकान, **पश्चिम :** नाला उसके बाद अन्य की भूमि, **उत्तर :** सड़क, **दक्षिण:** सड़क	रू. 29,23,556.00 दिनांक 20.04.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि 20.04.2019** **कब्जा दिनांक 17.08.2019**

दिनांक : 22.08.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

डूसू से प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति लेने को कहा है : एबीवीपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बुधवार को कहा कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे डीयू प्रशासन से अनुमति मिलने तक कला संकाय के बाहर स्थापित सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और वीर सावरकर की प्रतिमाओं को डूसू कार्यालय में रखें। डूसू ने बिना अनुमति के कला संकाय के बाहर प्रतिमाएं स्थापित की थीं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने प्रतिमाएं लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एनएसयूआइ की ओर से थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है।

एबीवीपी के प्रदेश सचिव सिद्धार्थ यादव के मुताबिक प्रतिमाएं डूसू की पहल पर स्थापित की गई थीं। एबीवीपी का मानना है कि ऐसा उचित मंजूरी के साथ किया जाना चाहिए। एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने वीर सावरकर की प्रतिमा को डीयू में लगाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका है कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से किसी भी तरह तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध जाकर इन प्रतिमाओं को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हमने इस संबंध में मौरिस नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

'केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का कहना है कि दिल्ली में निरंतर गिरती कानून व्यवस्था हत्या, बलात्कार, बढ़ती लूट की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार को राजधानी का ध्यान रखना चाहिए। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान ने कहा कि अब सड़क पर महिलाओं और वृद्धों का चलना भी दूभर हो गया है। अनजान ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार लुटेरे दहशत पैदा कर रहे हैं और उन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पत्नी अपर्णा मेहता का रविवार को मंडी हाउस पर सरेआम पर्स लूट लिया गया। यह कानून व्यवस्था चलाने वालों के लिए एक और शर्मनाक हादसा है। संभवतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या केंद्र सरकार से हटाकर दिल्ली पुलिस को बेहतर सेवा के लिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए और जवाबदेह होने के लिए दिल्ली सरकार को सौंपा जाए।

बारामूला मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी मारा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शहीद हो गया। एक उपनिरीक्षक घायल हुआ है। पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद से यह पहली मुठभेड़ हुई है।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, मंगलवार को शुरू हुई यह मुठभेड़ बुधवार सुबह तक चली। इसमें मारे गए आतंकवादी की पहचान बारामूला निवासी मोमिन गोजरी के रूप में हुई है। गोजरी लश्कर से जुड़ा हुआ था और विभिन्न आतंकवादी अपराधों में संलिप्त था। मुठभेड़ स्थल से कई हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में जान गंवाने वाले एसपीओ की पहचान बिलाल अहमद के रूप में की गई है। मुठभेड़ में उप निरीक्षक अमरदीप परिहार घायल हो गए हैं, जिन्हें यहां के बादामी बाग स्थित सेना के 92 आधार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुंछ में पाक की गोलीबारी में युवक की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के मुताबिक, मंगलवार देर रात मेंढर सेक्टर के डब्राज गांव में एक मकान पर मोर्टार का एक गोला गिरा, जिसमें मोहम्मद अब्दुल करीम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फौरन ही पास के एक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टरों में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर से मोर्टार दागे गए और गोलीबारी की गई।

इसमें थल सेना के सैनिक नाइक रवि रंजाम कुमार शहीद हो गए जबकि चार अन्य कर्मी घायल हो गए। पाकिस्तानी गोलाबारी में करीब आधा दर्जन मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की इस हरकत के चलते दोनों सेक्टरों में एहतियाती कदम उठाते हुए आसपास के स्कूलों को बंद करना पड़ा।

'हम 44 साल पुराने मिग-21 उड़ा रहे हैं, इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

भारतीय वायुसेना को अगले महीने लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप मिल जाएगी। 2022 तक कुल 36 रफाल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। आने वाले समय में 114 लड़ाकू विमान वायुसेना के पास होंगे, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि वायुसेना को 44 साल पुराने मिग-21 विमानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

एअरफोर्स ऑडिटोरियम में एक सेमिनार के दौरान वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने इस स्थिति पर तंज कसते हुए कहा, 'हम अब भी 44 साल पुराने मिग-21 उड़ा रहे हैं। इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता।'

उन्होंने कहा कि इंजीनियरों के रख-रखाव और मेहनत के कारण इन विमानों को सेवा में बनाए रख पाना संभव हो पा रहा है। वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को लेकर सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना का मिग 21 विमान चार दशक से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी यह सेना की रीढ़ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई देश इतना पुराना लड़ाकू विमान उड़ाता है। हमारे पास इसका विकल्प भी नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वायुसेना पूरे दमखम के साथ इसके भरोसे न केवल सरहद की हिफाजत करती है, बल्कि दुश्मन की चुनौतियों का जवाब भी देती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना एक पेशेवर वायुसेना है, बालाकोट हमले के बाद दुनिया ने हमारा लोहा माना है।

रक्षा मंत्री की मौजूदगी में धनोआ ने कहा

सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना का मिग 21 विमान चार दशक से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी यह सेना की रीढ़ बना हुआ है। दुनिया में शायद ही कोई देश इतना पुराना लड़ाकू विमान उड़ाता है। हमारे पास इसका विकल्प भी नही है।

वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा कि हम स्वदेशी तकनीक द्वारा पुराने हो चुके लड़ाकू उपकरणों को बदलने का इंतजार नहीं कर सकते, न ही हर रक्षा उपकरण को विदेश से आयात करना समझदारी होगी। हम अपने पुराने हो चुके हथियारों को स्वदेश निर्मित हथियारों से बदल रहे हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव पर उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना हमेशा से सतर्क रहती है। ऐसा नहीं है कि तनाव हुआ है तभी हम सतर्क हैं। वायु रक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी हमारी है और हम सतर्क हैं।

देश भर में 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बुधवार को 'नेशनल इनिशिएटिव फोर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलीस्टिक एडवांस्डमेंट यानी निष्ठा' कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लर्निंग आउटकम में सुधार लाना है।

इस मौके पर निशंक ने कहा कि यह अपनी तरह का दुनिया का पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि 'निष्ठा' के माध्यम से शिक्षकों में गहन सोच के प्रति प्रेरित करना है। इसके माध्यम से शिक्षक विभिन्न तरह के कौशल सीख सकेंगे जो योग्यता आधारित शिक्षा, स्कूल सुरक्षा, शिक्षण में आइसीटी व एआइ, स्वास्थ्य, इको क्लब, यूथ क्लब, रसोई गार्डन आदि से संबंधित होंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षक हमारे देश के पावर हाउस हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता को होना चाहिए।

इस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर 120 से 150 और राज्य स्तर पर 33 हजार से अधिक प्रशिक्षक कार्य करेंगे। केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं अकादमिक संस्थान (नीपा), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और कुछ गैर सरकारी संगठन जुड़े हैं। वहीं, राज्य स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आदि जुड़े हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि सभी शिक्षकों को पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रमवार दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण की शुरुआत बुधवार से ही हो गई है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य छह महीने रखा गया है लेकिन इसमें इससे भी अधिक समय लग सकता है।

उत्तर प्रदेश : पहले विस्तार में 23 मंत्रियों ने ली शपथ

लखनऊ, 21 अगस्त (जनसत्ता)।

दो साल पांच महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बुधवार को 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इन मंत्रियों के जरिए योगी ने उप चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है।

योगी मंत्रिमण्डल में छह को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इनमें चार- महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, सुरेश राणा- पहले राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर थे। इन चारों के काम का इनाम इन्हें कैबिनेट मंत्री बना कर दिया गया है। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री के रूप में दो नए चेहरे, राम नरेश अग्निहोत्री और कमला रानी वरुण, को स्थान दिया गया है। इसके अलावा छह राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली है। बुधवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मंत्रिमंडल विस्तार में युवा चेहरों को खास तरजीह दी है। जातीय व क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पिछड़ों व दलितों को मंत्रिमंडल में सबसे अधिक हिस्सेदारी दी गई है। इनकी संख्या दस है। तीन क्षत्रिय विधायक मंत्री बने हैं जबकि छह ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया है। जानकार इसे योगी की दूरदर्शी सोच के साथ ही संतुलित विस्तार मान रहे हैं।

ये बने कैबिनेट मंत्री : मुख्यमंत्री ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे चार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रोन्नत किया है। इनमें मुख्य रूप से ग्राम्य विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर के अलावा दो नए चेहरों राम नरेश अग्निहोत्री और कमला रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर शपथ दिलाई गई।

ये बने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार : स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों में सूचना मंत्री वाराणसी से डॉ नीलकंण तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, एमएलसी अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान, वाराणसी उत्तर से रवींद्र जायसवाल शामिल हैं।

11 बने राज्यमंत्री : राज्यमंत्री बनने वालों में अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, डॉ गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदयभान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय रमाशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल।

जब से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हुई, तमाम बड़े नामों पर कयास लगाए जाने लगे थे।

संगठन से सरकार तक बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन योगी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जिन्हें जगह दी उनके नामों से साफ हो गया कि काम को उन्होंने अधिक तरजीह दी है। इनमे रामनरेश अग्निहोत्री और कमलरानी वरुण का नाम चौंकाने वाला है। ब्राह्मण परिवार से आने वाले रामनरेश अग्निहोत्री पहली बार विधायक बने हैं। उनकी विधायकी की खास बात यह है कि उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ और मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की भोगांव सीट से चुनाव जीतकर बड़ा धमाका किया था।

पहाड़ से सौ फुट नीचे ट्रक गिरा, वायुसेना के तीन जवानों की मौत, तीन घायल

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 21 अगस्त।

राजस्थान में पाक की सीमा से सटे बाड़मेर जिले के चौहटन में बुधवार को भारतीय वायुसेना का एक ट्रक पहाड़ी से सौ फुट नीचे गिर गया। इस हादसे में वायुसेना के तीन जवानों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर घायल हो गए। चौहटन के तहसीलदार सुनील कटेवा और पुलिस के उप अधीक्षक अजीत सिंह हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि चौहटन की पहाड़ी पर इन दिनों वायुसेना का निर्माण काम चल रहा है। वायुसेना के छह जवान बुधवार को दिन में करीब साढे ग्यारह बजे पहाड़ से नीचे आ रहे थे। इस इलाके की सड़क इन दिनों बुरी तरह बदहाल है। नीचे उतरते समय ट्रक चालक संतुलन खो बैठा, इससे ट्रक पत्थरों से टकराते हुए सड़क पर लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा था। इससे उसमें सवार तीन जवान दूर जा गिरे। घटनास्थल पर दो जवानों की मौत हो गई और एक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई।

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 9, 2019 filed with the stock exchanges, namely National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and BSE Limited (**"BSE"**) and the Securities and Exchange Board of India, (**"SEBI"**), on July 16, 2019 (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**).

5paisa.com

5PAISA CAPITAL LIMITED

5paisa Capital Limited (**the "Company"**) was originally incorporated as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 as "India Infoline Finance Holdings Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated July 10, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (**"RoC"**). Thereafter, our Company obtained the certificate for commencement of business on July 19, 2007 from the RoC. The name of our Company was subsequently changed to "IIFL Capital Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 6, 2007, consequent upon change of name, was issued by the RoC. Thereafter, the name of our Company was changed to "5paisa Capital Limited", and a fresh certificate of incorporation, consequent upon change of name, was issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai (where the registered office of our Company was located), on August 12, 2015. For further details of the change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 104 of the Letter of Offer.

Registered and Corporate Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane 400 604, Maharashtra, India;
Corporate Identification No.: L67190MH2007PLC289249, **Tel:** +91 22 4103 5000; **Fax:** +91 22 2580 6654
Contact Person: Roshan Dave, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** csteam@5paisa.com; **Website:** www.5paisa.com

ISSUE OF UP TO 12,739,022 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 80 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 70 PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 1,019.12 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF 5PAISA CAPITAL LIMITED IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY ONE FULLY PAID-UP EQUITY SHARE (I.E. 1:1) HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MAY 29, 2019 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE IS 8 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 285 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of the Company wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, July 23, 2019 and closed on Tuesday, August 6, 2019. Out of a total of 2,522 Composite Application Forms (**"CAFs"**) (including 1,162 ASBA applications) received, 12 CAFs were rejected on technical grounds. The total number of valid CAFs received were 2,510 for 1,40,20,926 Equity Shares, which is 110.06% of the total Issue size. The Basis of Allotment was approved by NSE, the designated Stock Exchange on August 19, 2019. Pursuant to the approval, the Rights Issue Committee of Board of Directors of the Company in their meeting held on August 20, 2019 allotted 1,27,38,646* Equity Shares. All the valid applications including Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) have been considered for allotment.

1. Information regarding total Applications received and allotted (including ASBA applications):

Category	No. of valid CAFs Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	2,465	97.74	1,31,08,115	104,86,68,017.00	93.48	1,18,40,137	94,72,08,587.00	92.95
Renouncees	57	2.26	9,14,121	7,31,29,354.00	6.52	8,98,509	7,18,80,394.00	7.05
Total	**2,522**	**100.00**	**1,40,22,236**	**112,17,97,371.00#**	**100.00**	**1,27,38,646***	**101,90,88,981.00#**	**100.00**

Excluding ₹ 2,699/- in regard to demand draft charges
*Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

2. The break-up of Applications (including ASBA applications) after technical rejections is given below:

Category	CAFs received	No. of Equity Shares applied for	No. of Equity Shares allotted under Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Shares allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,455	1,31,07,005	1,13,87,809	4,52,328	1,18,40,137
Renouncees	55	9,13,921	8,98,509	-	8,98,509
Total	**2,510**	**1,40,20,926**	**1,22,86,318**	**4,52,328**	**1,27,38,646***

*Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

The listing application filed by the Company has been approved by NSE & BSE vide their letters no. NSE/LIST/21666 dated August 21, 2019 and DCS/PREF/SV/IP-RT/238/2019-20 dated August 20, 2019. The refund instructions were given on August 20, 2019 and the dispatch of Allotment Advice cum ECS Intimation and physical certificates to the allottees, as applicable, has been completed on August 21, 2019. The dispatch of demand drafts has been completed on August 21, 2019. Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on August 21, 2019. The Company has made application to the stock exchanges at NSE & BSE seeking permission for trading of 1,27,38,646 equity shares issued on Rights Basis. The trading is expected to commence on or about August 23, 2019.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE618L01018) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES. INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNNTS, THEY SHOULD TRADE IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVALS HAVE BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY NSE AND BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGES.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in anyway be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the **"Disclaimer Clause of SEBI"** on Page 274 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the **"Disclaimer Clause of NSE"** on Page 278 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the **"Disclaimer Clause of BSE"** on Page 277 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
KEYNOTE **Keynote Financial Services Limited** **(Formerly Keynote Corporate Services Limited)** The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai 400 028 **Tel:** +91 22 6826 6000-3; **Fax:** +91 22 6826 6088 **E-mail:** mbd@keynoteindia.net **Website:** www.keynoteindia.net **Contact Person:** Pooja Sanghvi/Akhil Mohod **SEBI Registration No:** INM 000003606	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 **Tel:** +91 22 4918 6200 **Fax:** +91 22 4918 6195 **E-mail:** 5paisa.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration No.:** INR 000004058	**Roshan Dave** **5paisa Capital Limited** IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane – 400 604 **Tel:** +91 22 4103 5000; **Fax:** +91 22 2580 6654 **E-mail:** csteam@5paisa.com Investors may contact the Registrar to the Issue or Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post-issue related matters such as non-receipt of letter of allotment, credit of Rights Equity Shares or Refund orders and such other matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, folio number or demat account number, serial number of the CAF, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application was submitted by the ASBA Investors

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For **5PAISA CAPITAL LIMITED**
on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Roshan Dave
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Place : Thane
Date : August 21, 2019

Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States" or "U.S.") or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" as defined in Regulation S under the Securities Act ("Regulation S"), except in a transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the Securities Act. See "Selling Restrictions" and "Important Information for Investors – Eligibility And Transfer Restrictions" in the section titled "Other Regulatory and Statutory Disclosures" on page 278 of the Letter of Offer.

CONCEPT

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 06/2019 के मामले में

भारतीय स्टेट बैंक आवेदक
बनाम
श्री विपुल जैन एवं अन्य प्रतिवादीगण

सेवा में, डी-1. श्री विपुल जैन, पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार जैन, निवासीः ए-1105, अहिंसा खंड-2, इन्दिरापुरम, एंजल मर्करी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, एम. नं. 9971118087, **साथ ही:** श्री विपुल जैन, पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार जैन, एच. नं. 2639, भूषणपुरा, आई/एसः सुल्तान विण्ड गेट, अमृतसर, पंजाब-143001, **साथ ही:** श्री विपुल जैन, कर्मचारी सं. 80326753, एजिस लिमिटेड, 247, उद्योग विहार, फेज-4, गुड़गाँव, हरियाणा-122016.
डी-2. मै. आइडिया बिल्डर्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालयः सी-294, I ला तल, विवेक विहार, दिल्ली-110095, **साथ ही:** सी-10, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, **साथ ही:** खसरा नं. 998, रेड एपल रेजीडेन्सी, केडीपी सर्किल के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राज नगर एक्टें., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003, ईमेल आईडीः CONTACT@IDEABUILDERS.IN

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 29.8.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 27 **मई,** 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
5ई/7, बी.पी. रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001
फोन न.0129-2420061

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)
अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **16.04.2019** जारी कर **ऋणधारक श्रीमति अल्का शर्मा, नवल किशोर शर्मा, नेहा शर्मा, नेहारिका प्रिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर्स –अल्का शर्मा , नवल किशोर शर्मा, नेहा शर्मा , कैलाश चंद्र शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 28,34,151/- (अट्ठाईस लाख चौतीस हजार एक सौ और इक्यावन मात्र)** वापस लौटाने का निदेश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, **16 अगस्त, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहा नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहा नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करे तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आंध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति से संबंधित सभी अंश और खंड
भूमि और भवन – आवासीय माप लगभग 1800 वर्ग फिट जो 2399/7, रेक्ट न. 43, किला नं. 9.10.11 (खसरा नं 43/9/10/11) फुल चंद किरयाणा स्टोर के पास, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित जो अल्का शर्मा, नवल किशोर शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा के स्वामित्व और अधीन में और **चौहदी पूर्व में** : आनंद सिंह रावत का मकान, **पश्चिम में** : रास्ता, **उत्तर में** : गिरराज का मकान, **दक्षिण में** : रास्ता

दिनांक: 16.08.2019 **चीफ मैनेजर एण्ड प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: फरीदाबाद **आन्ध्रा बैंक**

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन)
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अर्थ बिल्डप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06 फरवरी 2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102DL2013PTC247953
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	बी-100 ; द्वितीय तल ; नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया ; फेज-1, दिल्ली साउथ वेस्ट डीएल 110028
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13-05-2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के निमत्रण की तारीख	17-08-2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	विस्तृत विवरण irp.earthbuildprop@gmail.com पर ई-मेल द्वारा मांगा जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन अग्राह्यता के मानदड :	आईबीबीआई की (www.ibbi.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं अथवा irp.earthbuildprop@gmail.com पर मांगा जा सकता है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	16 सितम्बर 2019
11.	संभावित समाधान आवेदको की अनतिम सूची जारी करने की तिथि	1 अक्टूबर 2019
12.	अनतिम सूची के बारे में आपत्तिया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	6 अक्टूबर 2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	13 अक्टूबर 2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	6 अक्टूबर 2019
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध ऊपर प्वाइंट 8 के अनुसार ग्राह्यता मानदंडों की जांच तथा आईबीसी, 2016 की धारा 29(2) के तहत वचनपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26 अक्टूबर 2019
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	समाधान योजना एक सीलबंद लिफाफे में आइटम नंबर 21 पर वर्णित पते पर प्रस्तुत किया जाएगा।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	11 नवम्बर 2019
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	राकेश कुमार गुप्ता, आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IP-P00833/2017-2018/11418
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पत

जनसत्ता

22 अगस्त, 2019

असुरक्षित मिग

भारत के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने एक बार फिर मिग-21 विमानों के इस्तेमाल को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, उससे यह साफ है कि ये विमान अब किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा है कि इतनी पुरानी तो हम कार भी नहीं चलाते हैं जितने पुराने मिग विमान उड़ा रहे हैं। वायुसेना अध्यक्ष की यह फिक्र वाकई जायज है, क्योंकि शायद ही कोई महीना बीतता हो जब मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई खबर न आ जाती हो। पिछले कुछ सालों में मिग विमानों के हादसे जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह सवाल उठना लाजिमी है कि कब तक हमारे लड़ाकू पायलट अपनी जान जोखिम में डाल कर इन विमानों को उड़ाते रहेंगे। लेकिन वायुसेना में अभी भी जिस बड़ी संख्या में, भले ही मजबूरी में इन विमानों का उपयोग किया जा रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। हकीकत यह है कि आज भी मिग-21 विमान ही वायुसेना की रीढ़ बने हुए हैं। सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश है जो पचास साल पुराने मिग विमानों के दम पर अपनी वायुसेना को धकेले जा रहा है।

वायुसेना प्रमुख पहले भी मिग विमानों के पुराने पड़ने और वायुसेना के आधुनिकीकरण का मसला उठाते रहे हैं। लेकिन वायुसेना की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसके पास पर्याप्त लड़ाकू विमान नहीं हैं। ऐसे में मिग विमानों से ही काम चलाना पड़ रहा है चाहे पायलटों का प्रशिक्षण हो या फिर सैन्य अभियान। पिछले कुछ सालों में हुए मिग हादसों में भारत ने कई जांबाज पायलटों का खोया है। पिछले चार दशकों में पांच सौ से ज्यादा मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और दो सौ से ज्यादा पायलट मारे जा चुके हैं। पायलटों का मारा जाना वायुसेना के लिए मिग खोने से भी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। हालांकि वायुसेना प्रमुख कह चुके हैं कि रफाल विमान मिलने के बाद मिग विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। रफाल विमानों की पहली खेप भारत को अगले महीने मिलेगी और अगले तीन साल में छत्तीस रफाल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में होंगे। इस तरह पहले चरण में 2022 तक मिग-21 विमान हटाए जाएंगे और 2030 तक मिग-27 और मिग-29 विमान भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2030 तक वायुसेना पुराने मिग विमानों का ही उपयोग करती रहेगी और हम अपने लड़ाकू पायलटों को खोते रहेंगे?

आज दुनिया के बड़े देश अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियों में लगे हैं। हाल में भारत ने अंतरिक्ष में निशाना साधने में कामयाबी हासिल की है। पर विडंबना यह है कि एक ओर हम अंतरिक्ष की ताकत बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी वायुसेना के पास जरूरत भर के भी विमान नहीं हैं। अभी वायुसेना को युद्धक विमानों के बयालीस बेड़ों (स्क्वाड्रन) की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ इकतीस बेड़े ही हैं और वे भी पुराने विमानों के। हालांकि पिछले एक दशक में मिग विमानों को बायसन मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने का काम तो हुआ है और इनमें राडार, दिशासूचक प्रणाली आदि को बेहतर किया गया है। लेकिन पुराने विमानों को अद्यतन करने भर से विमान सुरक्षित हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? रक्षा विशेषज्ञ भी मिग विमानों को उन्नत बना कर काम में लेने पर इसलिए चिंता जताते रहे हैं कि विमानों की भी एक उम्र होती है और उसके बाद वे काम लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसे में वायुसेनाध्यक्ष का यह कहना कि इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता है जितने पुराने हम विमान उड़ा रहे हैं, क्या गलत है!

अंधविश्वास की जकड़न

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में हम वैज्ञानिक उपलब्धियों के जरिए मंगल और चांद पर शोध की जो नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, उसे दुनिया भर में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर इसी के समांतर जब अंधविश्वास में डूबी गतिविधियों की खबर मिलती है तो निश्चित रूप से यह बेहद अफसोस की बात है। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दो मृत भाइयों के पुनर्जीवन की इच्छा से जिस तरह के अंधविश्वास का खुला प्रदर्शन देखा गया, उससे फिर यही साफ हुआ है कि अभी इस मोर्चे पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि इंदौर जिला मुख्यालय से करीब तीस किलोमीटर दूर तालाब में डूब गए दो भाइयों को निकाल कर सांवेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। वहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन परिजनों ने चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ा था कि मृतक के शरीर को अगर नमक से ढक कर रखा जाए तो वह फिर से जी उठता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों की राय और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को किनारे कर दिया और शवों को नमक से ढक दिया।

सवाल है कि आखिर किन वजहों से मृतक के परिजनों के साथ-साथ वहां के स्थानीय निवासियों में से किसी को इस बेमानी धारणा पर सवाल उठाना और उसे महज अंधविश्वास बताना जरूरी नहीं लगा। खबरों के मुताबिक ग्रामीणों की भीड़ के दबाव में स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टर भी लाचार थे और वे भी इस घटना को रोक नहीं सके। जैसा कि स्वाभाविक था, अफवाह पर आधारित एक बेमानी कवायद नाकाम हुई और आखिरकार मृत भाइयों के परिजनों और गांव वालों को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा कि किसी मर चुके व्यक्ति को अंधविश्वास के सहारे जिंदा नहीं किया जा सकता। इतना तय है कि वहां कुछ लोग पढ़े-लिखे जरूर होंगे। लेकिन उस पढ़ाई-लिखाई का क्या फायदा जो सामान्य से अंधविश्वास पर आधारित धारणाओं को तोड़ने में भी मददगार साबित नहीं हो सके। ऐसे लोगों के सोचने-समझने के स्तर और उसके लिए जिम्मेदार स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कल्पना या अंधविश्वास को इसलिए सही मान लेता है कि वह सोशल मीडिया पर कहीं लिखा हुआ था।

इस समूची घटना की विडंबना यह भी है कि जो सोशल मीडिया तकनीकी विकास और विज्ञान की उपलब्धियों का एक औजार माना जाता है, वही आज अंधविश्वास को फैलाने का जरिया भी बन रहा है। दरअसल, हमारे देश में विज्ञान विषयों की पढ़ाई तो कराई जाती है लेकिन शायद ही कहीं वैज्ञानिक चेतना के विकास और उसे मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। यह बेवजह नहीं है कि कई बार बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के मौके पर भी आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाने वाली गतिविधियां देखी जाती हैं। जबकि संविधान में मौजूद अनुच्छेद 51-ए (एच) के तहत मानवीयता, वैज्ञानिक चेतना और तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकार और समाज की जिम्मेदारी तय की गई है। सवाल है कि संविधान में दर्ज व्यवस्था के बावजूद समाज में अंधविश्वास पर आधारित गतिविधियां और उसे फैलाने की कोशिशें कैसे बदस्तूर जारी रहती हैं! अंधविश्वास पर आधारित पिछड़ेपन और अफसोसनाक परंपराओं को बनाए रख कर क्या कोई भी समाज केवल साक्षरता दर में इजाफे के बूते और अक्सर बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है? जरूरत इस बात की है कि वक्त के साथ समाज में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए और वैज्ञानिक चेतना के विकास के साथ-साथ उसे मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।

कल्पमेधा

उन व्यक्तियों से मैं महानतम पद भी स्वीकार नहीं करूंगा, जो न तो स्वप्न लेते हैं और न ही इच्छाएं पालते हैं।

– खलील जिब्रान

चीन का संकट बना हांगकांग

संजीव पांडेय

चीन से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह हांगकांग में 'एक देश दो व्यवस्था' को खत्म करने पर क्यों तुला है? हांगकांग के लोगों को मिली स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? हांगकांग के लोगों को उस न्यायिक व्यवस्था में लाने की कोशिश क्यों हो रही है जो एक पार्टी के नियंत्रण में है? चीन ने हांगकांग के लोगों से लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर वादे किए थे, उसे पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया?

चीन को इस वक्त फिर एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो महीनों से हांगकांग की सड़कों पर जिस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है उससे चीन के हाथ-पैर फूलने लगे हैं। चीनी सरकार के खिलाफ इस विद्रोह का मूल कारण कई अपराधों में संलिप्त अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देने वाला विधेयक है जिसका हांगकांग में जोरदार विरोध हो रहा है। हांगकांग सरकार के इस प्रत्यर्पण विधेयक के पीछे चीन है। दरअसल, चीन और ताइवान के साथ हांगकांग की अभी तक कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। प्रस्तावित प्रत्यर्पण विधेयक के पारित होने के बाद हांगकांग, ताइवान और चीन के बीच अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाएगी।

हांगकांग के लोग इसे अपने देश की स्वायत्तता खत्म करने के कदम के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए दो महीने से इसका जोरदार विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह विधेयक उस चीनी न्यायिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों को भेजने का रास्ता है जो एक राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में है। हालांकि विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि प्रत्यर्पण बिल से बड़े वित्तीय और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि भारी विरोध के बाद हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने फिलहाल इस विधेयक को निलंबित कर दिया है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया है। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों पर चीनी सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अमेरिकी के साथ व्यापार युद्ध के मोर्चे पर फंसी चीन अगर हांगकांग में सैन्य कार्रवाई जैसा कदम उठाती है तो इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

हांगकांग के आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है। पहले आंदोलन में छात्र ही शामिल थे। लेकिन बाद में छात्र संघ, सामाजिक कार्यकर्ता, यूनियन कार्यकर्ता, अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारी और शिक्षक भी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन को पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियों ने हांगकांग सरकार के प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि विधेयक की आलोचना की है। ब्रिटेन ने भी हांगकांग के आंदोलनकारियों के प्रति समर्थन जताया है। ब्रिटेन का समर्थन महत्त्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हांगकांग उसका उपनिवेश रहा है। पश्चिमी देशों का भी तर्क है कि प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून लागू होने के बाद चीन की न्यायिक व्यवस्था में हांगकांग के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हांगकांग एशिया का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। यही कारण है कि इस आंदोलन को हवा दे पश्चिमी देश चीन को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रख सकें। हांगकांग का आंदोलन ऐसे वक्त में तेज हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध चरम पर है। चीन पर इस व्यापार युद्ध का असर दिखने भी लगा है। इस साल अप्रैल-जून तिमाही में चीन की विकास दर पिछले सत्ताईस साल में सबसे कम रही है।

हांगकांग के आंदोलन का असर चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वांगडोंग-हांगकांग-मकाऊ बृहतर खाड़ी क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इस प्रस्तावित बृहतर खाड़ी क्षेत्र से चीन, हांगकांग और मकाऊ की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ मिलेगा। चीन की योजना के मुताबिक बृहतर खाड़ी क्षेत्र के विकास के तहत हांगकांग, मकाऊ और ग्वांगडोंग प्रांत को एकीकृत करने की योजना है। इससे पूरे क्षेत्र में और विकास होगा। चीन को शक है कि इस योजना को नुकसान पहुंचाने का खेल भी पश्चिमी ताकतें कर रही हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि हांगकांग के आंदोलन में शामिल लोग परेशान हैं। हांगकांग की अर्थव्यवस्था उन्हें एक बेहतर जिंदगी नहीं दे रही है। पढ़े-लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से पर्याप्त वेतन वाली नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हैं लेकिन उम्मीद के मुताबिक वेतन नहीं है। जो वेतन इस समय हांगकांग में लोगों को मिल रहा है उससे युवा अपने लिए एक घर नहीं खरीद सकता है। चीन के मीडिया ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार आंदोलन में शामिल युवाओं के सामने बेहतर वेतन और रोजगार एक समस्या है। आंदोलन तेज होने के बाद हांगकांग की अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंची है। व्यापार ठप पड़ा है। पर्यटन से लेकर खुदरा कारोबार को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, हांगकांग शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ है। अभी

तक हांगकांग के शेयर बाजार को पांच सौ अरब डालर का नुकसान हो चुका है। संपतियों की बिक्री में पैंतीस फीसद तक की गिरावट आई है।

चीन एक तरह से कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। हाल में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर देने के बाद चीन भी भड़का हुआ है। चीन की नाराजगी लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने को लेकर है। अभी तक लद्दाख को भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा होने के कारण विशेष दर्जा मिला हुआ था। चीन की नजरों में लद्दाख विवादास्पद क्षेत्र है। इसकी सीमा अक्साइ चीन से मिलती है जिस पर भारत का दावा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन ने भारी निवेश कर रखा है। यहां पर चीन बिजली परियोजनाएं लगा रहा है। सड़कों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जाहिर है चीन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने को लेकर चीन की नाराजगी और नीतियों का भारी विरोधाभास हांगकांग में नजर आता है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर चिंता जता रहा चीन हांगकांग के विशेष दर्जे को समाप्त करने की योजना बना रहा है। हांगकांग को लेकर चीन ने जो वादा वहां के लोगों से किया था, उसे आज तक पूरा नहीं किया। और तो और लोकतांत्रिक तरीके से हांगकांग की स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं को चीन अब आतंकी घोषित करने की योजना बना रहा है। हांगकांग के आंदोलन का सैन्य दमन की धमकी भी दे रहा है।

चीन से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह हांगकांग में 'एक देश दो व्यवस्था' को खत्म करने पर क्यों तुला है? हांगकांग के लोगों को मिली स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? हांगकांग के लोगों को उस न्यायिक व्यवस्था में लाने की कोशिश क्यों हो रही है जो एक पार्टी के नियंत्रण में है? चीन ने हांगकांग के लोगों से लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर वादे किए थे, उसे पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? हांगकांग के लोग पश्चिमी देशों की तर्ज पर लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन ने इसे मंजूर नहीं किया। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी को सीधे हांगकांग की जनता द्वारा चुना जाना चीन को मंजूर नहीं है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा मुखिया या मुख्य कार्यकारी का चुनाव एक चुनाव समिति करती है जिसमें सिर्फ बारह सौ सदस्य हैं।

सच्चाई तो यही है कि भारतीय कूटनीति चीन के दबाव में है। ओसाका में हाल ही में हुए जी-20 की बैठक में हांगकांग के आंदोलनकारी नेताओं ने जी-20 के नेताओं को ज्ञापन देकर हांगकांग के आंदोलन के लिए समर्थन मांगा था। आंदोलनकारियों ने ओसाका की बैठक में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों को ज्ञापन देकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने आंदोलनकारियों का पक्ष रखने की अपील की थी। दिलचस्प बात यह थी कि भारत और इंडोनेशिया ने आंदोलनकारी नेताओं का ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। जबकि बाकी देशों के नेताओं ने आंदोलनकारी नेताओं का ज्ञापन भी स्वीकार किया और चीन के सामने हांगकांग के आंदोलनकारियों का मुद्दा भी उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हांगकांग के आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर चिंता जताई।

शब्द के संदर्भ

राजकुमारी

दुनिया मेरे आगे

जड़ता, रूढ़िवादिता, स्थिरता जैसी नकारात्मक मानसिक स्थितियों के विखंडित होने का समय तभी आता है, जब आप वैचारिकता का दामन कस कर पकड़ते हैं और चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। किसी मसले पर होने वाली बात या फिर उठने वाले सवाल पर तपाक से पत्थर या फिर फूल से शब्द बना कर फेंकना और उसे लपकना मुश्किल हो जाता है। यों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के न जाने कितने शब्द टकराते हैं। लेकिन मैं आमतौर पर बोले जाने वाले एक शब्द 'कपल' की बात साझा करना चाहती हूं। इस पर विचार करते हुए यही लगा कि आखिर कब हम जंग लगी बुद्धि को सफाई अभियान के तहत लाकर कूड़ा बाहर फेंकेंगे। यहां बात वैसे व्यक्ति की है जो अंग्रेजियत से नाता तो जोड़ बैठा है, पर उसके संदर्भों को समझना जरूरी नहीं मानता। अगर जुबान पर 'ऑस्सम' या 'नाइस' न रहे तो कैसे दिखाएं 'इंग्लिश-विंग्लिश'!

खैर, जैसे ही कोई कहता है 'ब्यूटीफुल कपल' तो उससे गहरा रोमांच झलकता है। जो असल में 'कपल' हैं, वे बाग-बाग हो जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो इस शब्द के अर्थ की समझ बड़ी तुच्छता लिए है। कोई पुरुष और स्त्री एक साथ दिखे नहीं कि उसे 'कपल' मान लिया, इल्म और अदब दिमाग से फुर्र हो गया। जमाने से दिमाग के बाइस्कोप में दो विपरीतलिंगी व्यक्ति की चिपकी तस्वीरों को देख कर एक ही खयाल का वेग से आना- 'प्रेमी जोड़ा'। इससे इतर भाई-बहन, दोस्त, गुरु-शिष्या, सहकर्मी, सहपाठी- यानी सब रिश्तों पर हावी एक स्थायी विचार रिश्तों का गुड़-गोबर कर देता है। उम्र, हाव-भाव, तस्वीरों में खड़े होने का तरीका, सबको पीछे छोड़ और अक्ल को घास चरने भेज कर मंदबुद्धि लोग चलते-चलते कह जाते हैं और फिर सफाई देते हैं तस्वीर में मौजूद लोग। सुनने वाले दोस्त हैं तो ठहाका मार कर हंस लेते हैं। तब आनंद से मन के पांव थिरकने लगते हैं जब वाकई प्रेमी ही 'कपल' होते हैं। एक दूसरे से नजदीकी सिद्ध करने के चक्कर में सार्वजनिक स्थान के खयाल से भी ऊपर उठ कर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। हाथों की अंगुली मुट्ठी में और अत्यधिक कसावट, सुंदरता में बनावट की मिलावट। यानी दो शब्द क्या-क्या न कराए! लेकिन अगर वे बहन-भाई हुए तो जिज्ञासा रखने वाले झल्ला जाते हैं, मानो जुबान जल जाए। इसके बाद तो पुरुष और स्त्री का साथ बाहर निकलना हुआ तो नियम और शर्तें लागू समझिए, वरना साथ बाहर न निकलने का ऐलान।

इस दौर में असमंजस की स्थिति बड़ी विचित्र है। लड़के-लड़कियों में बढ़ती आधुनिक भेड़चाल, खड़े होने और बैठने की बेढंगी मुद्राएं, बेलगाम व्यवहार, आम बातचीत में गाली-गलौज। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से सामान्य लोग इस प्रचलित शब्द को वरीयता देने लगे। फिर यह बार-बार उपयोग में आने लगा। शब्दों को जुबान से बाहर धकेलने का काम आमतौर पर पार्कों, भ्रमण वाले सार्वजनिक स्थानों, रेस्तरां, मेट्रो की सीढ़ियों आदि पर भी फैलता दिखता है। ऐसे युवा जिनकी जींस पैंट से लगता है कि अब निकल कर गिर जाएगी, वे किसी प्रवाह से गुजरते आसपास के माहौल से बेखबर बेफिक्र लगते रहते हैं! फिर कुछ सोच कर बोलने की गुंजाइशें खत्म ही समझिए।

धीरे-धीरे सोशल मीडिया के मंचों का विस्तार ही हो रहा है। लेकिन इस पर मौजूद दो ठीक-ठाक से दिखने वाले लोग कभी मिले हों किसी मौके पर और उनकी तस्वीरें उनकी वाल पर दिखे तो भी अनुमान से ही इस तरह के शब्द धड़ल्ले से चिपका दिए जाते हैं। ऐसा बोलने वाले बोल कर निकल जाते हैं, उसमें उलझे रहते हैं वे, जिन्होंने अपनी वाल पर तस्वीर डाली होती है। ऐसे में कई बार स्थिति बिगड़ जाने की पूरी गुंजाइश होती है। किसी की नासमझी बेवजह ही भावनात्मक रिश्तों में दरार का कारण भी बन जाती है। इसलिए बिना लगाम के 'कपल' शब्द का प्रयोग करने वाले के बजाय ऐसे लोगों के बीच मजबूत रिश्ते के लिए जरूरी है ऐतबार, समझदारी और सूझ-बूझ। समझदारी हो तो रिश्ता बच जाए और दूसरा न सुने तो बिखर भी जाए। विचारों में नजाकत बाकी होगी, तभी 'कपल' शब्द के मायने समझ सकेंगे। वरना यह शब्द नाइत्तिफाकी के कठघरे में खड़ा रहेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले एहतियात बरतना जरूरी है। इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस शब्द का सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या किस प्रकार उनके निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है।

हमने खूब सुना होगा कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। तो शब्द अपनी अर्थवत्ता खो दे, उससे पहले शब्दों का प्रयोग सही रूप में समझदारी से करने की जरूरत है। अनुचित प्रयोग किसी का अनर्थ करा दे सकता है। पहले तोला जाए, फिर बोला जाए। शब्दों का अपना सौंदर्य है जो खोने न पाए। यानी इल्तजा यह है कि 'कपल' न कहें तो भी चलेगा, मगर गलत उपयोग न करें। किसी भी शब्द का प्रयोग अपनी बुद्धिमता से करें, क्योंकि व्यक्ति और शब्दों की गरिमा, दोनों को बचाना महत्त्वपूर्ण है।

चौपाल

यमुना में बाढ़

हर साल बरसात के दिनों में हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यमुना का अतिक्रमण और दशकों से इसमें कचरा और गाद से भरा होना है। यही हाल देश की अन्य नदियों का भी है जिससे आसपास के इलाके हर साल बाढ़ के पानी में डूबते हैं। इस तरह की आपदा से हर साल जो नुकसान होता है, उसका कोई अनुमान भी नहीं है। आज भी सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में तो बहुत कुछ करने और कदम उठाने के वादे और दावे किए जाते हैं मगर धरातल पर कुछ नहीं है और उसका नतीजा हर साल बाढ़ में डूबे इलाके दिखने के रूप में आता है। दुख की बात तो यह है कि इनके असली बजट का बड़ा हिस्सा तो महज विज्ञापनों पर ही खर्च कर दिया जाता है और असली काम छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले नदियों को अतिक्रमण मुक्त करवा कर इनकी खुदाई और सफाई की अधिक जरूरत है ताकि भविष्य में इनके बाढ़ जैसे फैलाव को रोका जा सके।

● *वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली*

बाढ़ और सबक

जुलाई-अगस्त का महीना देश में अत्यधिक बाढ़ लाने वाला होता है। इसके चलते कई राज्य बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। हाल में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तक में बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए है, लाखों बेघर हो गए हैं, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और अरबों रुपए की क्षति हुई है। लेकिन हमारी राज्य सरकारों का हाल यह है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए पिछली बार से कोई सबक नहीं सीखतीं। पता है कि साल में दो महीने बाढ़ से हालात खराब होते हैं फिर भी बचाव के स्थायी उपाय नहीं किए जाते।

● *अमित कुमार, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

पीओके भी हमारा

जब से भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं, तब से ही पाकिस्तान भेड़िया आया, भेड़िया आया की तर्ज पर कश्मीर का राग अलापता रहा है। अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बारी है कि 'पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर भारत का हक है', इसे लेकर भारत माहौल बनाए रखे। जब सीधी उंगली से बात नहीं बनती है तो हमें टेढ़ी उंगली से ही अपनी बात मनवानी होगी। यह व्यावहारिक और नैतिक कदम है। अब भारत को शांति से नहीं बैठना चाहिए।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

रैगिंग या संस्कार!

इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने सिर मुंडवाए और कक्षा में सिर झुका कर प्रवेश किया। सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो यह है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली रैंगिंग की इस घटना को विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार से पूछा गया तो उन्होंने इसे 'संस्कार' बताया न कि 'रैगिंग'। पहले साल के डेढ़ सौ छात्रों का एक साथ सिर मुंडवाना, एक जैसी पोशाक पहन कर और सिर झुका कर कक्षा में प्रवेश करना कैसे मान लें कि ये मेडिकल कालेज का 'संस्कार' है ? कुलपति द्वारा यह कहना कि कोई छात्र शिकायत करता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और एंटी रैगिंग समिति उसकी जांच करेगी, साफ-साफ नजर आ रहा है कि यह मामला रैगिंग का है। सवाल तो यह है कि कौन जूनियर अपने सीनियर के खिलाफ शिकायत करके जान जोखिम में डालेगा? सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद ज्यादातर संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं आज भी जारी हैं। दुखद तो यह है कि संस्थान न तो ऐसी घटनाओं को रोकते हैं, बल्कि किसी ऐसी घटना के सामने आने पर उसे दबा दिया जाता है।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

पाक की गीदड़ भभकी

भारत के रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया है। रक्षा मंत्री ने हाल में कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नही आता है तो अब उसे उसी की भाषा में सीमा पर ही जवाब मिलेगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर कर उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिए जाने के बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर वे भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चले गए। लेकिन दोनों ही जगहों पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। चीन के अलावा कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल देखने की बात यह है कि अब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तब उसे क्या हासिल होता है। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर भारत ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया तो वह उसे सबक सिखा सकता है, फिर भले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े।

● *राहुल उपाध्याय, बलिया*

बदहाल स्कूली शिक्षा

बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से बच्चों का भविष्य अधर में है। लेकिन सरकार को इसकी को चिंता नहीं है। आज बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए कई योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं जबकि बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार में शिक्षा सुधार न हो पाना आला अधिकारियों की भी कमी है। वे स्कूलों में केवल मध्याह्न भोजन की जांच करते हैं। बिहार की शिक्षा केवल मध्याह्न भोजन तक ही सीमित रह गई है। कई स्कूलों में तो कायदे से पढ़ाई तक नहीं हो रही, कई स्कूलों में बच्चें ही नहीं आते, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी चलती है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो शिक्षा का केंद्र न होकर पशु-गृह और अतिक्रमण के केंद्र में तब्दील हो गए हैं। यहां विकास के लिए आवश्यक संसाधन तक नहीं है। सवाल है ऐसे में बच्चे क्या और कैसे पढ़ेंगे?

● *मनकेश्वर भट्ट, मधेपुरा*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

खेल कार्यक्रम

भारत बनाम वेस्ट इंडीज	22 अगस्त
डायमंड लीग 12	24 अगस्त
आइटीयू ट्राइथलॉन 11	24-15 सितंबर
विश्व जूडो चैंपियनशिप	25 अगस्त
अमेरिकी ओपन	29 अगस्त

जन्मदिन

विनेश फोगाट	25 अगस्त
जीतू राय	26 अगस्त
द ग्रेट खली	27 अगस्त
सीए भवानी देवी	27 अगस्त
मेजर ध्यान चंद	29 अगस्त

विश्व कप के बाद कई देशों ने कोचिंग स्टाफ बदले

संदीप भूषण

किसी भी टीम के लिए क्रिकेट विश्व कप छात्रों के स्कूल और कॉलेजों में होने वाली सालाना परीक्षा की तरह होता है। माना की यह चार साल के अंतराल पर होता है लेकिन परिणाम उसी तरह महत्त्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। जून-जुलाई में इंग्लैंड में खेला गया 2019 क्रिकेट महाकुंभ अपने खिताबी मुकाबले और विजेता के फैसले के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन, इसके बाद क्रिकेट जगत में जो हो रहा है वह भी काबिलेगौर है। दस टीमों में से लगभग सात टीमों के मुख्य कोच या फिर प्रबंधन कर्मचारियों में बड़े फेरबदल की कवायद शुरू हो गई है। कुछ ने अपने मुख्य कोच को तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है तो कुछ अदब के साथ विदाई की तैयारी में हैं।

इस विश्व कप में दस टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें भारत, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इंग्लैंड ने दो सुपरओवर वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड पर चौके-छक्कों के आधार पर जीत दर्ज की और पहला खिताब हासिल किया। जाहिर है इस जीत में मुख्य भूमिका उसके कोच की भी होगी। लेकिन, विश्व कप के तुरंत बाद ही इंग्लैंड के मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस ने टीम से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। वे सेमी फाइनल के समय ही एक संवाददाता सम्मेलन में कह चुके थे कि टीम जीते या हारे, वे पद छोड़ देंगे। बेलिस का अनुबंध इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच चल रही एशेज सीरीज के बाद समाप्त हो जाएगा और वे अब इंडियन प्रीमियर लीग की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे। चर्चा है कि उनकी जगह पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच पद से हटाए गए मिकी आर्थर को मौका दिया जाएगा।

उपविजेता न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो यही हाल अन्य टीमों का है। एशियाई टीम इस मामले में सबसे आगे दिख रही हैं। भारत ने अपने मुख्य कोच रवि शास्त्री को एक और मौका दिया है लेकिन उनके सहायकों को दोबारा बहाल किया जाए इसे लेकर गुरुवार को फैसला होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने मुख्य कोच को विश्व कप फाइनल से पहले ही विदाई की सूचना दे दी। श्रीलंकाई टीम के खराब प्रदर्शन ने भी खतरे की घंटी बजा दी थी।

अफगानिस्तान के मुख्य कोच फिल सिमंस और बोर्ड के झगड़े विश्व कप टूर्नामेंट से पहले ही बाहर आ गए थे। बोर्ड ने विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार बताया है। दक्षिण अफ्रीका ने तो मैनेजमेंट टीम में बदलाव के साथ एक नया ढांचा ही तैयार किया है जिसके तहत उसके कोचिंग स्टाफ और कप्तान चुने जाएंगे।

मिकी आर्थर

पाकिस्तान

कभी दुनिया की शानदार टीमों में शामिल पाकिस्तान के लिए यह विश्व कप काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा। इमरान खान के नेतृत्व वाली टीम के 1992 के प्रदर्शन को दोहराने का सपना लिए सरफराज के रणबांकुरे मैदान पर तो उतरे लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। इन सबके लिए बोर्ड ने चयनकर्ता और कोच को जिम्मेदार ठहराया। इसका परिणाम हुआ कि मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक और मुख्य कोच मिकी आर्थर को पद से हटना पड़ा। इसके साथ ही गेंदबाजी कोच, बल्लेबाजी कोच और ट्रेनर से भी नता तोड़ लिया गया।

इंग्लैंड

क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड 1975 में शुरू हुए विश्व कप में पहली खिताबी जीत दर्ज करने में सफल रहा लेकिन उसके मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस अब उसके साथ नहीं रहेंगे। हालांकि इंग्लैंड के लिए उनका विकल्प तलाशना काफी कठिन होगा। 56 साल के इस पूर्व आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के कोच रहते इंग्लैंड ने कुल 53 टैस्ट मैच खेले जिसमें से 23 में उसे जीत और इतने में ही हार का सामना करना पड़ा। बेलिस की उपलब्धि यहीं तक सीमित नहीं है। 2015 विश्व कप के बाद से उन्होंने इंग्लैंड की टीम में कई अहम बदलाव किए और उसे इस तरह तैयार किया कि वह 50 ओवर के प्रारूप में बादशाहत कायम कर सके।

कार्रवाई

ट्रेवर बेलिस

दक्षिण अफ्रीका

विश्व कप में निराशाजनक अभियान के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने कोच और कोचिंग स्टाफ को बाहर कर दिया है। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए फुटबॉल टीम की नीति पर चलने का फैसला किया है जिसमें एक टीम मैनेजर होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह कोचिंग स्टाफ और कप्तान नियुक्त करे।

श्रीलंका

श्रीलंका के लिए 2019 का विश्व कप काफी निराशाजनक रहा। बोर्ड में आंतरिक उथल-पुथल के कारण पहले ही कमजोर हो चुकी श्रीलंकाई टीम ने इस अभियान के लिए मुख्य कोच को जिम्मेदार बताया और चंदिका हाथरूसिंघा को पद से हटाने का फैसला किया। खेल मंत्री ने उनकी अगुआई वाले सभी कोचिंग स्टाफ को भी हटने को कहा है।

अफगानिस्तान

इस विश्व कप में अफगानिस्तान किसी 'गोल्डन बर्ड' से कम नही था। उसने तीन-चार साल में अपने खेल से दुनिया भर की टीमों को अचंभित किया है। विश्व कप तक के सफर में उसके मुख्य कोच फिल सिमंस ने अहम भूमिका निभाई लेकिन टूर्नामेंट से ठीक पहले बोर्ड के साथ उनके विवाद सामने आने लगे। हाल यह हुआ कि विश्व कप की हार का ठीकरा उनके सर फोड़ दिया गया।

गोल

ईस्ट बंगाल के खिलाफ बुधवार को डुरंड कप के दौरान गोल दागने की कोशिश में गोकुलम केरला के किसेक्का हेनरी।

ऐश्वर्या ने जीता हौसले का खिताब

मनीष कुमार जोशी

बंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह पूरे देश के लिए गर्व वाली बात है। ऐश्वर्या ने एक ऐसे खेल में कामयाबी हासिल की है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है। बाइक राइडिंग और मोटर ड्राइविंग को पुरुषों का खेल कहा जाता है। यह काफी महंगा खेल भी है और हर कोई इसमें हाथ नहीं आजमा सकता। बात जब करिअर की हो तो महिलाओं के लिए इस खेल का सुझाव शायद ही कोई दे। ऐसे में ऐश्वर्या की सफलता को किस तरह देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐश्वर्या की कामयाबी से क्या हासिल होगा? इस सफलता से लड़कियों में क्या संदेश जाएगा? क्या मोटर स्पोर्ट्स की ओर लड़कियां आकर्षित होंगी? जवाब है शायद नहीं, इस सफलता से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि ऐश्वर्या का विश्व खिताब महिलाओं को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला देगा।

ऐश्वर्या ने हंगरी में एफआइएम विश्व कप के फाइनल राउंड के बाद खिताब अपने नाम किया। ऐश्वर्या ने इस टूर्नामेंट का पहला राउंड दुबई में जीता और उसके बाद पुर्तगाल में हुए दूसरे राउंड में वे तीसरे नंबर पर रहीं। तीसरे राउंड में पांचवां और चौथे चरण में चौथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कुल 65 अंक हासिल किए जो सर्वाधिक थे और इस प्रकार उन्होंने एफआइएम का विश्व खिताब जीत लिया। दूसरे नंबर पर रीता विएरा रहीं जिन्हें 45 अंक मिले। ऐश्वर्या ने इस कामयाबी के लिए अपनी मेहनत और लगन को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के लिए उन्होंने काफी कठिन समय गुजारा था लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा पर भरोसा था। आज वे भारतीय महिलाओं के हौसले की प्रतिनिधि बन गई हैं। भारतीय महिलाएं उन्हें देखकर कामयाबी के लिए अपना हौसला बढ़ा सकती हैं।

ऐश्वर्या पिस्से

नई उड़ान

मोटर स्पोर्ट्स आम भारतीय महिला के बस की बात नहीं है। ऐश्वर्या को पिस्से विश्व खिताब जीतने से पूर्व काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस युवा बाईकर को 2017 में गंभीर दुर्घटना से गुजरना पड़ा। इसमें उनकी कॉलर बॉन टूट गई थी। कॉलर बॉन को जोड़ने के लिए ऐश्वर्या को लंबे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। उन्होंने दो महीने अस्पताल में गुजारे। इसके बाद मोटर स्पोर्ट्स में उतरने का साहस करना मुश्किल था। ऐसे में उनके पिता ने हौसला दिया और उन्होंने इस खेल में वापसी की। अपनी मेहनत के बूते उन्होंने सफलता भी हासिल की और देश को गर्व का पल दिया।

ऐश्वर्या को बचपन से ही स्टंट पसंद था। मोटर स्पोर्ट्स को करिअर बनने का ख्याल उन्हें 18 साल की उम्र मे आया। तब से उन्होंने सड़क को जीतने की यात्रा शुरू कर दी थी। उन्होंने बाइक रेसिंग के चार राष्ट्रीय खिताब जीते और 2016 व 2017 में रोड रैली चैंपियनशिप में भाग लिया। वो साल 2018 में स्पेन में आयोजित बजाज एरोगन विश्व रैली को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं और यहीं से विश्व खिताब जीतने की नींव पड़ गई।

आखिर भारत क्यों बना रहे राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा?

श्रीशचंद्र मिश्र

फिलहाल ऐसी संभावना बन रही है कि भारत 2022 में बर्मिंघम (इंग्लैंड) में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा न ले। दरअसल, आयोजकों ने निशानेबाजी को इससे बाहर रखने का फैसला किया है जिसके विरोध में भारतीय ओलंपिक संघ ने खेलों का बहिष्कार करने मन बना लिया है। राष्ट्रमंडल खेल होने में अभी तीन साल हैं। स्थितियां बदल भी सकती हैं। इस बीच प्रमुख खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? बहिष्कार करने की सूरत में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की बिरादरी से निकाले जाने का खतरा भी खड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय खेलों का नुकसान होगा। राष्ट्रमंडल खेल ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों को ठीक-ठाक पदक मिलते रहे हैं। यह अलग बात है कि राष्ट्रमंडल खेलों में मिली सफलता की कलई एशियाई या ओलंपिक खेलों में खुल जाती है। ऐसे में क्या यह बेहतर नहीं होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की सफलता से मोहित होने की बजाए खिलाड़ी एशियाई व ओलंपिक खेलों में कुछ कर दिखाने की कोशिश करें।

आकलन

इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा यह है कि गुलामी की याद दिलाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का भारत हिस्सा क्यों बना रहे? ब्रिटिश उपनिवेश रहे देशों का यह खेल आयोजन अंग्रेजों का आधिपत्य जताने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा जब सिकुड़ने लगा तो इन खेलों का नाम ब्रिटिश एंपायर एंड कामनवेल्थ गेम्स हो गया। यह सिलसिला 1966 तक चला। ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए देशों का राष्ट्रमंडल बना। आजाद होने के बाद भी देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनें क्योंकि इससे ब्रिटेन से मिलने वाली आर्थिक मदद और कारोबार की सुविधा की उन्हें जरूरत थी। लेकिन कुछ साल में स्थिति काफी तेजी से बदली है। राष्ट्रमंडल का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। फिर भी अतीत की एक औपचारिकता निभाने के नाते राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं। 1974 तक इन खेलों से ब्रिटिश जुड़ा रहा। 1978 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से यह आयोजन हुआ। आज भी इन खेलों का उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी या उनकी अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि करता है।

भारत ने 1930 के हेमिल्टन (कनाडा) में हुए पहले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। 1934 में उसे सिर्फ एक कांस्य पदक मिला। 1938 में फिर भारत अनुपस्थित रहा। 1942 व 1946 में विश्व युद्ध ने आयोजन रोका। 1950 व 1954 के खेलों का भारत हिस्सा नहीं बना। राष्ट्रमंडल व्यवस्था से मिलने वाली सुविधाओं का लालच 1958 में उसे खेलों में ले आया। तब से लेकर 1962 व 1986 के अलावा भारत ने हर राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया है। 1982 तक कुल पदकों की संख्या बीस तक पहुंचा पाने में भी भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहे। 1958 में दो स्वर्ण व एक रजत पदक, 1966 में तीन स्वर्ण, चार रजत व तीन कांस्य पदक, 1970 में पांच स्वर्ण, तीन रजत व चार कांस्य पदक, 1974 में चार स्वर्ण, आठ रजत व तीन कांस्य पदक, 1978 में पांच स्वर्ण चार रजत व छह कांस्य पदक और 1982 में पांच स्वर्ण, आठ रजत व तीन कांस्य पदक भारत के हिस्से में आए। 1990 में 13 स्वर्ण, आठ रजत व 11 कांस्य पदकों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 32 पदक जुटाए। 1994 में कुल पदक 24 रहे गए और 1998 में 25 ही हो पाए। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के हिस्सा लेने के औचित्य पर कई बार सवाल उठे।

नई सहस्त्राब्दी में उन सवालों को यह दलील देकर अनसुना कर दिया गया कि राष्ट्रमंडल खेलों का महत्व भले ही कम हो लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत बेहतर सफलता पाने का भारतीय खिलाड़ियों के लिए यही आदर्श मंच है। एक तरह से सही भी है। उसके अलावा दक्षिण एशियाई खेलों में ही नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बंग्लादेश आदि के सामने थैलियां भर पदक बटोर लाने में ही भारतीय खिलाड़ी सक्षम रहे हैं। ओलंपिक खेलों में रो पीटकर नाम मात्र की सफलता मिलती है। एशियाई खेलों में 1951 की सफलता दोहराने में ही खिलाड़ियों के पसीने छूटते रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रमंडल खेल ही रह जाता है जिसमें चौथे-पांचवें पायदान की सफलता पा कर ही गदगद हुआ जा सकता है। 2002 के मैनचेस्टर खेलों, 2006 के मेलबर्न खेलों और 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में मिले पदक श्रेष्ठता का गुमान पाले रखने के लिए पर्याप्त रहे। हालांकि यह सफलता भी गर्व करने लायक नहीं है। 2010 में भारत ने पहली बार सौ पदकों का आंकड़ा पार किया और सिर्फ एक बार पदक तालिका में दूसरा स्थान पाया। उसके अलावा इस सहस्त्राब्दी में भारत के लिए पांचवां या छठा स्थान ही पदक तालिका में सुरक्षित रहा है। 1914 में ग्लासगो में भी बारह खेलों में 215 खिलाड़ी कुल 64 पदकों के साथ पांचवा स्थान ही दिला सके। 2018 में गोल्ड कोस्ट (आस्ट्रेलिया) में हुए खेलों में 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 66 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। तुलना की जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक अट्ठारह आयोजनों में भारत ने 181 स्वर्ण 173 रजत व 150 कांस्य पदक समेत कुल 504 पदक जीते हैं। इससे करीब दो गुने यानी 933 स्वर्ण पदक आस्ट्रेलिया के कब्जे में रहे। आस्ट्रेलिया के कुल पदक जोड़े जाएं तो उनकी संख्या बैठती है 2415 यानी भारत से करीब पांच गुना ज्यादा। यही स्थिति इंग्लैंड की भी है जिसके खाते में 2146 पदक जुड़ चुके हैं। ऐसे में भारतीय सफलता कहां ठहरती है। लेकिन जब कहीं और कुछ पाने की उम्मीद नहीं बंध पा रही है तो राष्ट्रमंडल खेलों का दामन पकड़े रहना मजबूरी ही है।

नई सहस्त्राब्दी में उन सवालों को यह दलील देकर अनसुना कर दिया गया कि राष्ट्रमंडल खेलों का महत्व भले ही कम हो लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत बेहतर सफलता पाने का भारतीय खिलाड़ियों के लिए यही आदर्श मंच है। एक तरह से सही भी है। उसके अलावा दक्षिण एशियाई खेलों में ही नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बंग्लादेश आदि के सामने थैलियां भर पदक बटोर लाने में ही भारतीय खिलाड़ी सक्षम रहे हैं।

जल्द आ सकता है हरियाणा पर कांग्रेस आलाकमान का फैसला

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

● पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के बागी तेवरों के मद्देनजर बीच बचाव में जुटे कांग्रेसी रणनीतिकार

● हरियाणा को लेकर जल्दी फैसला लेगा कांग्रेस हाईकमान

हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बागी तेवरों के मद्देनजर कांग्रेसी रणनीतिकार हुड्डा को पार्टी से बाहर जाने से रोकने में जुट गए हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा में विधायकों की बगावत झेल चुकी कांग्रेस हरियाणा में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस हाईकमान अगले कुछ दिनों में हुड्डा को लेकर निर्णय कर सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच लंबे समय से सियासी खींचतान जारी है। इसके मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फैसला करना है। एक रास्ता है कि हरियाणा में पार्टी का नेतृत्व हुड्डा के हाथों में सौंपकर गुटबाजी खत्म की जाए। बीच का रास्ता है कि जिस प्रकार पार्टी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, उसी प्रकार हुड्डा को भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। इससे हुड्डा गुट की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और तंवर की कुर्सी भी सलामत रहेगी। सूत्रों का कहना है कि चूंकि चुनावों में वक्त कम बचा है, लिहाजा किसी नए चेहरे पर दांव लगाने से पार्टी हाईकमान बचना चाहता है। ऐसे में उसके सामने बीच का रास्ता अपनाना ही बेहतर विकल्प है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने रोहतक की एक रैली में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर अपनी ही पार्टी पर रास्ता भटक जाने का आरोप लगाया था। हुड्डा बीते कई वर्षों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। बावजूद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले तंवर की कुर्सी नहीं हिल पाई। अब चुनाव सामने देख हुड्डा पर आरपार की लड़ाई लड़ने का दबाव है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से तंवर को नहीं हटाया या हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से अलग हो सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि रोहतक रैली से पहले हुड्डा की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पार्टी जलसे के बाद हरियाणा के मुद्दे पर फैसला जरूर किया जाएगा। शायद यही वजह है कि हुड्डा ने भावी रणनीति का फैसला करने के लिए पार्टी नेताओं की एक समिति गठित करने की घोषणा भले कर दी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का एलान नहीं किया। रैली में कांग्रेस के खिलाफ बोलने के बाद उन्होंने न केवल चुप्पी साध ली, बल्कि खुद को पार्टी का वफादार साबित करते हुए राजीव गांधी की जयंती पर उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंच गए।

हुड्डा को लेकर बताया जा रहा है कि वे आगामी 23 तारीख को चंडीगढ़ में भावी रणनीति को तय करने के लिए गठित की जाने वाली समिति के सदस्यों को लेकर घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत कर उनसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने की बात कही है।

रफाल विमान लाने फ्रांस जाएंगे राजनाथ और धनोआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप लाने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना के चीफ बीएस धनोआ फ्रांस जाएंगे। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन पहला राफेल जेट 20 सितंबर को भारत को सौंपेगी।

एक रक्षा अधिकारी ने बताया, 'योजना के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस जाएगा और राफेल जेट ग्रहण करेगा। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी होंगे।'

राजनाथ सिंह और वायुसेना के प्रमुख फ्रांसीसी अधिकारियों से विमान की उत्पादन इकाई में जेट को औपचारिक तौर पर ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही, भारत को रफाल विमान सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करार किया है। ये विमान अगले साल मई तक भारत पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक फ्रांस की कंपनी भारत को जो राफेल विमान देने वाली है, वह फ्रांस की वायुसेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू विमान से भी आगे का संस्करण है। रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने से पहले भारतीय पायलटों ने इन्हें उड़ाने का प्रशिक्षण ले लिया है।

और ये हैं एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवॉर्ड्स के विजेता...

कार्तिकेय मिसरा
पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)
कौशल विकास
● कौशल गोदावरी परियोजना के तहत 16000 युवाओं को रोजगार मिला-नेल्लोर के फॉक्सकॉन में आदिवासी लड़कियों से लेकर दलास के मंदिरों में युवा पुजारियों तक को नौकरी का अवसर मिला।

संदीप नंदुरी
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)
केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन
● सूखा ग्रस्त पूलनकूलम गांव में निकासी प्रणाली विकसित की गई जिसके तहत गंदे जल को परिशोधित करने के लिए 100 से ज्यादा सोख्ता बनाए जा रहे हैं- एक दिन में 32000 लीटर पानी परिष्कृत किया जाएगा।

अय्याज तंबोली
बीजापुर (छत्तीसगढ़)
स्वास्थ्य
● दो साल के भीतर नए ऑपरेशन थियेटर, 50 बिस्तरों वाला मातृत्व एवं नवजात देखभाल केंद्र (नियो-नेटल केयर सेंटर) स्थापित किया गया, जहां 300 से ज्यादा सर्जरी किए जा सकते हैं।

आस्तिक कुमार पांडेय
अकोला(महाराष्ट्र)
समुदायिक भागीदारी
● मोरना नदी को साफ करने के लिए तीन महीने तक जन आंदोलन चलाया गया जिसमें 28000 स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने 19,300 जलकुंभियां एवं 8,440 प्लास्टिक की वस्तुएं निकालीं।

राज कुमार यादव
दक्षिण सिक्किम
पूर्वोत्तर जिले
● रोंग ग्राम पंचायत में छह महीने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके तहत छह स्कूलों का कई मानकों के मुताबिक नवविर्माण किया गया : ढांचा, मध्यान्ह भोजन, स्मार्ट क्लास और करिअर-सुझाव तक।

विवेक यादव
विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)
ऊर्जा
● पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को वैकल्पिक उपायों से बदलने की पहल के तहत कलेक्टर के दफ्तर में एक मेगावाट का सौर ऊर्जा संयत्र लगाया गया और पूरे जिले में सड़कों पर एलईडी लगाए गए।

डॉ. ए शरथ
जागतिअल (तेलंगाना)
शिक्षा
● उत्तेजम के तहत स्कूलों में खराब नतीजों के मद्देनजर कक्षाओं की अवधि शुरू में एक घंटा और आखिर में एक घंटा बढ़ा दी गई। लगातार दो साल तक ऐसा किया गया। जागतिअल ने एसएससी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का रिकॉर्ड बनाया।

तुकाराम मुंडे
नवी मुंबई
प्रोद्यौगिकी कार्यान्वयन
● इंटीग्रेटेड इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आइआइटीएस) से स्टॉप पर बसों के नहीं ठहरने, रुट में न चलने, तेज चलने या धीमें चलने की शिकायतें 50 फीसद घट गईं।

डॉ. प्रशांत भोलानाथ नरनावरे
उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
कृषि
● किसानों की आत्महत्या के लिए चर्चित एक इलाके में कृषि क्रांति योजना के तहत वित्तीय मदद सुनिश्चित की गई और गांवों को फूलों के पैदावार का केंद्र बना दिया गया।

सी आर खर्सन
वलसाड (गुजरात)
समावेशी नवाचार
● 2016 में बाढ़ से 26 लोगों ने जान गंवाई। 2018 में पूर्व सूचना प्रणाली, ई-मेघ से सुनिश्चित किया गया कि कोई मौत न हो। इसमें रियल टाइम डेटा, स्वयंसक्रिय कॉल, एसएमएस और बाढ़ मानचित्र का इस्तेमाल किया गया।

कार्तिकेय मिसरा
पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)
नक्सलग्रस्त जिला
● गूगल के 'एक्स एफसोक' तकनीक के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी। वहीं राज्य के फाइबर ग्रिड नेटवर्क ने सात आदिवासी बाहुल्य गांवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा।

राकेश कंवर
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
सामाजिक कल्याण
● समुद्र से 1250 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास नदी के तट पर एक कूड़ा घर को प्राकृतिक पार्क का रुप दिया गया है। पांच किलोमाटर दूर से अच्छी मिट्टी लाकर डाला गया और कचरे को उसके नीचे दबा दिया गया।

डॉ. माधवी खोड़े चावरे
नागपुर (महाराष्ट्र)
बाल विकास
● आदिवासी स्कूलों में किताबें एवं अन्य शिक्षण समाग्री उपलब्ध करवाई गई, ताकि बच्चे अपने अधिकारों को जानें और अपनी बेहतरी के लिए आवाज उठा सकें।

आशीष सक्सेना
झाबुआ (मध्य प्रदेश)
महिला विकास
● साथीदार अभियान ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त किया। अधिकारियों ने नेताओं से मिलकर आदिवासी समाज में व्याप्त उन कुरीतियों को खत्म किया, जिसके तहत दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को दहेज दिया करता था।

डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी
उधमपुर (जम्मू-कश्मीर)
जम्मू कश्मीर जिला
● राहत परियोजना के माध्यम से गांवों तक संपर्क पहुंचा। 170 पुलों के बनने से 327 स्कूलों और 183 राशन डिपो तक पहुंच बनी।

डॉ. एस लखमनन
कछार (असम)
सीमावर्ती जिले
● भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन 'देबो ना नेबो ना' (ना देंगे, ना लेंगे) के तहत 13,075 शिकायतें फोन द्वारा, 30,000 ड्रॉप बाक्स द्वारा और 472 शिकायतें एप द्वारा दर्ज की गईं।

राहत कार्य में लगा हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत तीन लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 21 अगस्त।

● सहायक पायलट के साथ ही एक स्थानीय निवासी की भी हादसे में मौत

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट में राहत कार्य में लगा एक हेलिकॉप्टर बुधवार दोपहर सवा बारह बजे बिजली के तारों से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुर्घटना में हेलिकॉप्टर के पायलट और सहायक पायलट के साथ ही एक स्थानीय निवासी की भी मौत हो गई। यह हेलिकॉप्टर राहत सामग्री लेकर उत्तरकाशी जिले के मोरी से मोल्डी गाव जा रहा था।

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर का मलबा और तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। यह हादसा हैलीकाप्टर के बिजली के तारों में उलझने से हुआ। यह हादसा मोल्डी गांव में हुआ।

इस घटना के बाद इस इलाके में राहत और बचाव कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की है।

हेलिकॉप्टर में सवार मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी पायलट रंजीव पाल, कलकत्ता निवासी सहायक पायलट इंजीनियर शैलेश कुमार और एक स्थानीय निवासी राजपाल सिंह राणा के रूप में हुई है।

यह हेलिकॉप्टर निजी हेली कंपनी हैरिटेज का था। उत्तरकाशी जिला प्रशासन को इस हादसे की खबर मिलने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर रवाना हो गईं। शुरू में हादसे की जगह का पता नहीं लग पा रहा था।

मोल्डी गांव के जंगल में एक जगह धुंआ उठता हुआ दिखाई दिया, तब बचाव दल वहां पहुंचा। बचाव दल ने हेलिकॉप्टर का मलबा तथा मृतकों के क्षत-विक्षत शव बरामद कर लिए हैं।

रतुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से अदालत का इनकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में गैर जमानती वारंट को रद्द करने से बुधवार को अदालत ने मना कर दिया।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वारंट रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है। दरअसल पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रूख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। निचली अदालत ने बैंक कर्ज फर्जीवाड़े से जुड़े धनशोधन के एक अलग मामले में मंगलवार को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छह दिन की हिरासत में भेज दिया था। अदालत का ताजा आदेश ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जज ने कहा, 'मुझे आरोपी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आरोपी रतुल पुरी की याचिका खारिज की जाती है।' आदेश में कहा गया कि ईडी के लगातार नोटिसों के बावजूद आरोपी अलग-अलग तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए। अदालत ने ईडी की दलील का भी उल्लेख किया जिसमें आरोपी की ओर से सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका प्रकट की गई है।

प्रणय रॉय, राधिका रॉय पर सीबीआइ ने कसा शिकंजा

पेज 1 का बाकी

आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में उसका और उसके प्रवर्तकों का भारत की न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है। वह कंपनी की पत्रकारिता की निष्पक्षता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दुर्भावनापूर्ण और साजिश के तहत स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की आवाज बंद करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। यह किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की लड़ाई नहीं है बल्कि यह पत्रकारिता की आजादी को बनाए रखने की बड़ी लड़ाई है, जिसके लिए भारत को हमेशा से जाना गया है।

सीबीआइ ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया

पेज 1 का बाकी

के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया।

एजंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पी चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है।' सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने कहा कि चिदंबरम को एक सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि चिदंबरम को उनके आवास पर गिरफ्तार करने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जा गया जहां उनकी मेडिकल जांच कराई गई। सूत्रों के अनुसार चिदंबरम को सीबीआइ मुख्यालय के भूतल पर एजंसी के अतिथि गृह के सुइट नंबर 5 में रखा गया है। उन्हें गुरुवार को विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया जाएगा जहां एजंसी उनकी रिमांड की मांग करेगी।

इससे पहले अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सामने आए चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं और वह कानून से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि संरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अपराध का आरोपी नहीं है। अदालत शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।

चिदंबरम ने बुधवार रात कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्रता है। मैंने स्वतंत्रता का चुनाव किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ जिससे बहुत लोगों को चिंता हुई और भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मैं किसी अपराध का आरोपी नहीं हूं। मेरे परिवार का कोई सदस्य इस मामले में आरोपी नहीं है। लेकिन ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि उनके एवं उनके बेटे ने बड़ा अपराध किया है। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है।

चिदंबरम ने कहा कि मैंने अग्रिम जमानत की मांग की। मेरे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सुनवाई की जाए। मैं पूरी रात वकीलों के साथ काम कर रहा था। आज पूरे दिन भी वकीलों के साथ काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं कानून से बच नहीं रहा था, कानूनी बचाव का प्रयास कर रहा था। मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं। मैं कानून का पालन करूंगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि जांच एजंसियां भी कानून का सम्मान करेंगी। अपनी बात रखने के बाद चिदंबरम अपने घर के लिए रवाना हो गए।

अदालत से राहत नहीं मिलने के मद्देनजर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस के वार रूम में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। इसी बैठक में यह तय किया गया कि चिदंबरम मीडिया के समक्ष आकर अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ही चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सहित तमाम अन्य नेता मौजूद थे

सीबीआइ का लुकआउट परिपत्र

पेज 1 का बाकी

इजाजत दी जाए। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, प्रवर्तन एजंसी अवैध 'विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' (एफआइपीबी) एवं 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (एफडीआइ) मंजूरी के कम से कम चार मामलों में पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका की छानबीन कर रही है। ये मामले डियाजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटारा होल्डिंग्स, एस्सार स्टील लिमिटेड और एलफोर्ज लिमिडेट से संबद्ध हैं। ईडी को संदेह है कि आइएनएक्स मीडिया एवं एअरसेल-मैक्सिस के अलावा कम से कम चार और कारोबारी सौदों में कथित अवैध 'एफआइपीबी' मंजूरी देने में उनकी संदिग्ध भूमिका थी। साथ ही, कई मुखौटा कंपनियों के मार्फत करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी। ईडी के मुताबिक अवैध एफआइपीबी एवं एफडीआइ मंजूरी प्रदान करने के एवज में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने के बाद एक शेल कंपनी में गैरकानूनी ढंग से 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि कथित तौर पर डाली गई थी।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा कैबिनेट सचिव नियुक्त

पेज 1 का बाकी

संभाला था। 60 वर्षीय गौबा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समेत कई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। गौबा को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में नीति निर्माण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदों पर रहने का व्यापक अनुभव है।

पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया था। वह 15 महीने तक झारखंड के मुख्य सचिव रहे और बाद में 2016 में केंद्र सरकार की सेवा में लौट आए। उन्होंने चार साल तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

गृह सचिव के तौर पर उन्हें आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद, मध्य व पूर्वी भारत में नक्सली समस्या समेत अन्य विषयों को संभालने का अनुभव है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून का मसौदा तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका रही।

गौबा के अलावा सरकार ने बुधवार को अजय कुमार को रक्षा सचिव, बृज कुमार अग्रवाल को लोकपाल के सचिव और सुभाष चंद्रा को रक्षा उत्पादन विभाग का सचिव नियुक्ति किया। रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग के सचिव नियुक्त किए गए कुमार केरल कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। फिलहाल, वह रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव हैं। संजय मित्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद कुमार उनकी जगह लेंगे। मित्रा पश्चिम बंगाल कैडर के 1982 बैच के आइएएस अधिकारी हैं।

हिमाचल प्रदेश कैडर के 1985 बैच के आइएएस अधिकारी अग्रवाल को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव नियुक्त किए गए चंद्रा कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह रक्षा विभाग के विशेष सचिव हैं।

आयुध कारखानों के 83 हजार कर्मचारी हड़ताल पर

पेज 1 का बाकी

कारखाना संगठन के तहत 41 आयुध कारखाने आते हैं। इनका मुख्यालय ऑडर्नेस फैक्टरी बोर्ड के नाम से कोलकाता में है। इसका रक्षा उत्पादन में दो सौ साल से ज्यादा का अनुभव है। हड़ताली कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त तीन संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि सरकार एक तरफ जहां सेना को ताकतवर बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा संस्थानों के निजीकरण का षड्यंत्र रच रही है। हड़ताली कर्मचारियों के मुताबिक, सरकार का यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिए घातक साबित होगा।

दूसरी ओर, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओएफबी के निजीकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये भ्रामक हैं और इनका मकसद कर्मचारियों को गुमराह करना है। जिस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है वह इसे रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) बनाने का है, जो 100 फीसद सरकारी स्वामित्व वाला होगा। कर्मचारियों ने 20 अगस्त से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने ओएफबी अध्यक्ष समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की थी।

इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार एक तरफ सेना को मजबूत करने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। आयुध कारखानों में तोपखाने, टैंक, राइफल, कारबाइन, मोर्टार, रॉकेट लांचर, सभी प्रकार के गोला-बारूद का निर्माण किया जाता है। साथ ही, इन कारखानों में टी -90 टैंक, अर्जुन टैंक, टी -72, बख्तरबंद वाहन, नाइट विजन डिवाइस, वर्दियां, पुल, नाव, विभिन्न प्रकार के पैराशूट, ट्रक और खदान संरक्षित वाहन बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इनके उत्पादों की कीमत बहुत ज्यादा है, उनके खराब गुणवत्ता को लेकर भी कई शिकायतें हैं।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

पेज 1 का बाकी

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के पीठ के समक्ष पहले बुधवार सुबह जिक्र किया, जिसने इसे तत्काल सुनवाई पर विचार करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उठाने को कहा। चिदंबरम का पक्ष रख रहे वकीलों की टीम को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने पर जब किसी तरह की सूचना नहीं मिली तो सिब्बल ने भोजनावकाश के बाद बैठी उसी पीठ के सामने फिर से इसका जिक्र किया।

सिब्बल के साथ मौजूद अन्य वरिष्ठ वकीलों विवेक तन्खा और इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि अब जांच एजंसियों ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है जैसे कि वे भागने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा-याचिका को सूचीबद्ध किए बिना, हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।

सिब्बल ने जब मामले पर बुधवार को ही सुनवाई करने की मांग दोहराई तो पीठ ने कहा- माफ कीजिए श्रीमान सिब्बल। हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते। महान्यायवादी तुषार मेहता ने मौखिक उल्लेख के आधार पर चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई का यह कह कर विरोध किया कि उनके पास कागजात नहीं हैं। भोजनावकाश के बाद पीठ के फिर से बैठने पर सिब्बल ने कहा कि वे एक बार फिर सूचीबद्ध किए जाने के लिए मामले का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसे सूचीबद्ध किए जाने को लेकर रजिस्ट्री से कुछ भी पता नहीं चला है।

पीठ ने उनसे कहा कि याचिका में कुछ खामियां थीं और रजिस्ट्री ने उसे इस बारे में सूचित किया है। जब सिब्बल ने कहा कि खामियों को दूर कर लिया गया है, तो पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह को बुलाया और खामियों के बारे में पूछा। रजिस्ट्रार ने कहा कि खामियों को दुरुस्त किया गया है और याचिका को उचित पीठ के समक्ष आबंटित किए जाने के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

मोदी से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन, 21 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस सप्ताहांत में फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो उनसे कश्मीर के हालात तथा भारत-पाक के बीच तनाव कम करने में मदद करने पर चर्चा करेंगे।

मेहमान रोमानियाई राष्ट्रपति क्लॉज लोहानिस का स्वागत करते हुए ट्रंप ने मंगलवार को वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच वे कश्मीर के हालात को शांत करने की कोशिश करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

ट्रंप ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अलग-अलग फोन पर बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांस के बियारिज में जी7 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलूंगा। मैं फ्रांस में सप्ताहांत उनके साथ रहूंगा।' उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में यहां आए थे। मैं उन दोनों के साथ वाकई सहज महसूस करता हूं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'कश्मीर के हालात बहुत कठिन हैं।' उन्होंने कहा, 'यह लंबे वक्त से चल रहा है।' ट्रंप ने कहा, 'दोनों देशों के बीच बहुत समस्याएं हैं। मैं सुलह के लिए या कुछ करने की भरसक कोशिश करूंगा। दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन वे दोनों फिलहाल मित्रवत व्यवहार नहीं रखते। जटिल हालात हैं।'

हालांकि भारत ने अमेरिका से स्पष्ट कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो बहुत विस्फोटक स्थिति है। मैंने कल प्रधानमंत्री खान से बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी से भी की थी। वे दोनों मेरे दोस्त हैं। वे महान लोग हैं और अपने देश को प्यार करते हैं।' ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच असहज स्थिति बनने की मुख्य वजहों में धर्म भी है। उन्होंने कहा, 'धर्म को लेकर काफी कुछ करना होगा। धर्म एक जटिल विषय है।'

अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी : ट्रंप

वाशिंगटन, 21 अगस्त (भाषा)।

- ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान सैनिकों की वापसी और लंबे समय से अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को खत्म करने का संकल्प लिया था।
- ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी। उनका कहना है कि अमेरिका को इस युद्धग्रस्त देश में 'मौजूद' रहना ही होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान फिर से यहां अपना कब्जा स्थापित न करे। ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अमेरिका का लंबे समय से अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध का खत्म करने का संकल्प लिया था। ट्रंप ने अपने ओवल कार्यालय में मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, 'हमारे पास खुफिया जानकारी रहेंगी, और हमारा कोई न कोई वहां हमेशा मौजूद रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता पर संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे कई विकल्पों पर गौर करना चाहेंगे।

उन्होंने कहा, 'एक विकल्प तो अभी चल ही रहा है। हम एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं-मुझे नहीं पता कि मुझे यह योजना स्वीकार होगी या नहीं, हो सकता है कि वह उन्हें स्वीकार न हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं। हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और हम देखेंगे कि क्या होता है। अन्य राष्ट्रपतियों ने जो किया है, यह उससे ज्यादा है।'ट्रंप ने अफगानिस्तान से पूरी तरह से सैनिकों की वापसी से इनकार करते हुए कहा, 'हमने संख्या कम की है। हम अपने कुछ सैनिकों को वापस ला रहे हैं। लेकिन हमें वहां अपनी उपस्थिति रखनी होगी।'

सऊदी अरब में महिलाओं पर यात्रा प्रतिबंध में ढील

रियाद, 21 अगस्त (एएफपी)।

सऊदी अरब में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने और किसी पुरुष 'संरक्षक' की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की इजाजत संबंधी ऐतिहासिक सुधारों को लागू कर दिया गया है। इन सुधारों की घोषणा इसी महीने की शुरुआत में की गई थी। मंगलवार को इन्हें लागू कर दिया गया। इस कदम से प्रतिबंधात्मक संरक्षकता प्रणाली कमजोर हुई है जो लंबे समय से महिलाओं के दमन का प्रतीक रही है।

विभाग ने ट्विटर पर कहा, 'पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने या पासपोर्ट जारी करने और देश से बाहर यात्रा की अनुमति के संबंध में 21 वर्ष और उससे अधिक महिलाओं के आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं।' इससे पहले महिलाओं को इन कामों के लिए उनके पुरुष 'संरक्षकों'-पति, पिता और अन्य पुरुष संबंधियों की इजाजत की आवश्यकता होती थी।

अमेरिका में एक झील में भारतीय छात्र डूबा

वाशिंगटन, 21 अगस्त (भाषा)। अमेरिका के ओरेगोन राज्य में क्रेटर लेक में 27 साल का एक भारतीय छात्र डूब गया। पार्क की प्रवक्ता मार्शा मैककेब ने कहा कि ओरेगोन स्टेट विवि का छात्र मन्नार 25 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। अधिकारी अभी तक घटना के कारण का पता नहीं लगा सके।

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 156/2016 केनरा बैंक बनाम मै. वरुण डीजल्स एवं अन्य तिथिः 17.7.2019

ई-नीलामी बिक्री सूचना

"आदेश"

मेरे आदेश तिथि 17.7.2019 के अनुसार केनरा बैंक बनाम मै. वरुण डीजल्स एवं अन्य के मामले में ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 11.10.2019 **को 3.00 बजे अप से 4 बजे अप तक।** (यदि जरूरी हुआ, समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार उपबंध के साथ।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति सं 234 (पूर्वी दिशा), बाणी विहार, उत्तम नगर, (माप 50 वर्ग यार्ड्स) जो ग्राम बिन्दापुर, नई दिल्ली में है।	रु. 36,00,000/- (रुपये छत्तीस लाख मात्र) ईएमडीः रु. 3,60,000/- (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)

नियम एवं शर्ते

1. नीलामी/बोली वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति द्वारा होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकरण कराना होगा तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धत्ति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर हीं वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. ईएमडी का भुगतान 9.10.2019 तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ABC procure), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत), टेली. +91 079 61200594/598/568/587/538 से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा उनकी ही वेबसाईट http://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" द्वारा यह बोली आयोजित होगी। किसी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री नितीश झा, मो. नं. 7982880393, ई-मेल delhi@Auctiontiger.net, support@auctiontiger.net.
5. किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के अधिकारी श्री रणजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक सीएच बैंक, मो. नं. 9773670093 से सम्पर्क कर सकते हैं।
6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईट http://www.bankeauctions.com देखें।
7. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य के नीचे नहीं बेचा जायेगा।
8. बोलीदाता रु. 50,000/- के गुणक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
9. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार**" पर की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री की घोषणा के अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी को समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है तो फिर अगले कार्य दिवस को।
11. सफल बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 1000/- तक 2% तथा रु. 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा।
12. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा वह मूल्य जिस पर बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
13. रिकवरी अधिकारी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हैं।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S. AJIT AUTOMOTIVE SERVICES PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1	Name of corporate debtor	M/s. Ajit Automotive Services Private Limited
2	Date of incorporation of corporate Debtor	29.03.1995
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies NCT Delhi & Haryana
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	CIN: U74899DL1995PTC066882
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Registered Office:** C-91/10, Wazirpur Industrial Area, Ring Road, New Delhi - 110052
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	19.08.2019 (Date of Order) (Order of Hon'ble NCLT uploaded on website on 20.08.2019)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	15.02.2020 (180 days beginning Insolvency Commencement Date)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Mohinder Singh IBBI/IPA-001/IP-P00593/2017-18/11046
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: 1102, 11th Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi — 110008 Email: mohinder@singhandsingh.in
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 1102, 11th Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi — 110008. Email: cirp.ajtauto@gmail.com
11	Last date for submission of claims	02.09.2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. NA 2. NA 3. NA
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/download-form.html Physical Address: NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s. Ajit Automotive Services Private Limited on 19.08.2019.

The creditors of M/s. Ajit Automotive Services Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [NA] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Place: New Delhi
Date: 22.08.2019

MOHINDER SINGH
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-001/IP-P00593/2017-18/11046

AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED ("AIIL" or the "Target Company")

(Corporate Identification Number: L51109MH1982PLC319008)
Registered Office: 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029
Tel. No.: (022) 6178 8000, Fax No.: (022) 6178 8008
Corporate Office: 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No.-212, Kolkata- 700 001, Telefax: (033) 40088296
E-mail Id: authum.investment@gmail.com, Website: www.authum.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Authum Investment & Infrastructure Limited ("AIIL" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

1	Date	21.08.2019
2	Name of the Target Company	Authum Investment & Infrastructure Limited
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer is being made by the Acquirer for the acquisition of 6282810 (Sixty Two Lakhs Eighty Two Thousand Eight Hundred Ten) fully paid-up equity shares of Rs.10/- each representing 54.50% of the equity and voting share capital of the Target Company at a price of Rs. 22.78 (Rupees Twenty Two and Seventy Eight Paisa Only) per equity share, payable in cash in terms of regulation 3(1) & (4) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto **("SEBI (SAST) Regulations")**.
4.	Name of the Acquirer ~~and PAC with the Acquirer~~	Mrs. Alpana B Dangi **("Acquirer")**. There is no person acting in concert with the Acquirer in the captioned Open Offer.
5	Name of the Manager to the offer	VC Corporate Advisors Private Limited
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Chairman: Mrs. Barkha Agarwal Member: Mr. Tapan Sadani All the members of IDC are Independent Directors of Target Company.
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equityshares owned, any other contract/ relationship), if any	All IDC Members are Independent Directors of the Target Company. Except for being Directors of the Company, they have no other relationship with the target company. They are not holding any equity shares in the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares/ other securities of the Target Company since their appointment.
9	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
10	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, the IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed (a) Public Announcement **("PA")** dated 12.12.2018, (b) Detailed Public Statement **("DPS")** published on 19.12.2018 and (c) Letter of Offer **("LOF")** dated 09.08.2019; and are of the opinion that the Offer Price, being offered by the Acquirer, of Rs. 22.78 per fully paid-up equity share is fair and reasonable and recommends the acceptance of the Open Offer, in the light of the following: • the shares are frequently traded on the BSE Limited; • the offer price offered by the acquirer is in line with the regulation prescribed by SEBI under the SEBI (SAST) regulations and prima facie appears to be justified; and • the Offer Price also includes interest of Rs. 0.78 (Seventy Eight Paise Only) @ 10% per annum for delay in payment on account of delayed approval from Reserve Bank Of India. However, it is advised to the shareholders to independently evaluate the Open Offer price vis-à-vis current share price and take an informed decision before participating in the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any	None
14.	Any other matter to be highlighted	No

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For **AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED**
Sd/-
(Barkha Agarwal)
Chairman- Committee of Independent Directors
DIN: 05190461

Place: Kolkata
Date: 21.08.2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
जे. एल. निट (इंडिया) लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जे. एल. निट (इंडिया) लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	18.1.1993
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U17303DL1993PLC051784
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी-21, मानसरोवर गार्डन, कीर्तिनगर, नई दिल्ली-110015
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश की तिथिः 8.8.2019 तथा आईआरपी द्वारा आदेश तिथि 20.8.2019 को तनावग्रस्त परिसम्पत्ति स्थिरीकरण फंड (फाइनांसिय क्रेडीटर) से ईमेल द्वारा प्राप्त हुई।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	16.2.2020 (दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	संदीप कुमार भट्ट पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091 ईमेलः skbmica@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091 ईमेलः skbmica@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	3.9.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनए
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads ख) 83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 8 अगस्त, 2019 (आईआरपी द्वारा आदेश 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त की गई) जे.एल.निट (इंडिया) लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा जे.एल.निट (इंडिया) लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 3.9.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं-आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एन ए।

प्रमाण के साथ दावे क्रम सं. 14 में वेब लिंक में दर्शाई गई अधोलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों में दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ जमा किये जा सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षर
तिथि एवं स्थानः 22.8.2019, दिल्ली **संदीप कुमार भट्ट**
IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
केएमजी ए टू जेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	केएमजी ए टू जेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.12.1999
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1999PTC102816
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	जी 65ए, एलजीएफ कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश की तिथिः 6.8.2019 तथा आईआरपी द्वारा आदेश तिथि 20.6.2019 को ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स (फाइनांसियल क्रेडीटर) से ईमेल द्वारा प्राप्त हुई।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	3.2.2020 (दिवाला शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	संदीप कुमार भट्ट पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091 ईमेलः skbmica@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091 ईमेलः skbmica@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	3.9.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनए
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads ख) 83 बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 6 अगस्त, 2019 को (आईआरपी द्वारा आदेश 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त की गई) केएमजी ए टूजेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा केएमजी ए टूजेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 3 सितम्बर 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं-आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एन ए।

प्रमाण के साथ दावे क्रम सं. 14 में वेब लिंक में दर्शाई गई अधोलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों में दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ जमा किये जा सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षर
तिथि एवं स्थानः 22.8.2019, दिल्ली **संदीप कुमार भट्ट**
IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
किवीजोन एयर कंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51390DL2011PTC215580)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **Q-31, ओल्ड डबल स्टोरी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **21 अगस्त, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से

सुस्ती की आशंका से शेयर सूचकांक 268 अंक लुढ़का

मुंबई, 21 अगस्त (भाषा)।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर चिंता के बीच निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ने से बुधवार को शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक शुरुआती कारोबार में 305 अंक तक नीचे आने के बाद अंत में 267.64 अंक के नुकसान से 37,060.37 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 98.30 अंक के नुकसान से 10,918.70 अंक पर बंद हुआ।

कारोबारियों ने कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियों की बिक्री के आंकड़े नीचे आ रहे हैं और उनमें छंटनियां हो रही हैं। ऐसे में बाजार के भागीदार सरकार की ओर से वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले और उपभोक्ताओं की धारणा में सुधार के उपायों का इंतजार कर रहे हैं। सूचकांक की कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर सबसे अधिक 9.29 फीसद नीचे आया। यस बैंक में 8.21 फीसद का नुकसान रहा। अन्य कंपनियों में टाटा स्टील, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, एसबीआइ, एलएंडटी, आइटीसी, वेदांता, एचसीएल टेक, आइसीआइसीआइ बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.26 फीसद तक नीचे आए। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचयूएल, बजाज आटो, मारुति, एनटीपीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.78 फीसद तक लाभ में रहे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती का सिलसिला लंबा खिंचने से औद्योगिक, बुनियादी ढांचा और वित्तीय क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि धातु, तेल व गैस और निर्यात क्षेत्र में कमजोर अंतरराष्ट्रीय मूल्य से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। कमजोर कारोबारी परिदृश्य की वजह से भारत का प्रदर्शन खराब हो रहा है। इस स्थिति में सुधार के लिए तेज सुधारों की जरूरत है।

भारत की जीडीपी में जुलाई-सितंबर तिमाही में सुधार की उम्मीद : नोमुरा

नई दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा)।

सेवा क्षेत्र में सुस्ती, कम निवेश और खपत में गिरावट के बीच देश की आर्थिक वृद्धि इस साल जून तिमाही में 5.7 फीसद रहने का अनुमान है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने अपनी रपट में यह कहा है। नोमुरा के मुताबिक दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में सुस्ती के बावजूद जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यस्था में कुछ सुधार आने की उम्मीद है।

कंपनी ने अपने शोध नोट में कहा कि उच्च आवृत्ति कारकों में नरमी बरकरार रहेगी। इसमें सेवा क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, निवेश में कमी, बाहरी क्षेत्र में सुस्ती और खपत में भारी गिरावट शामिल है। 2018-19 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होकर 6.8 फीसद पर आ गई। ख्सममें कहा गया है कि उपभोक्ताओं का विश्वास कम हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। व्यापार और मुद्रा को लेकर चल रहे टकराव ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। हालात का जायजा लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों और उद्योग से जुड़े दिग्गजों के साथ कई बैठकें की हैं। बैठक में उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर विचार-विमर्श किया गया।

कंपनियों को ऋण चूक की पूरी जानकारी रेटिंग एजंसियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी

सेबी निदेशक मंडल की हुई बैठक में कई अन्य फैसले

मुंबई, 21 अगस्त (भाषा)।

भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) के ताजा फैसले के अनुसार अब कंपनियों को ऋण चूक या डिफॉल्ट से संबंधित पूरी जानकारी रेटिंग एजंसियों को देनी अनिवार्य होगी। यह फैसला ऐसी स्थिति में किया गया है जबकि बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता का हवाला देकर कंपनियों की ओर से ऋण की किस्त चुकाने में देरी या चूक होने की जानकारी देने से कतराते हैं।

इसको लेकर चिंताओं के बीच बाजार नियामक ने बुधवार को नए नियमों की घोषणा की। बड़ी कंपनियों के ऋण भुगतान में चूक के काफी मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) का मामला भी सामने आया है। इससे क्रेडिट रेटिंग एजंसियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। रेटिंग एजंसियों द्वारा जिन प्रतिभूतियों या इकाइयों की रेटिंग दी गई है, उनको लेकर संभावित जोखिमों का वे पता लगाने में विफल रही हैं। हालांकि, रेटिंग एजंसियों ने इसका पूरा दोष कंपनियों पर डालते हुए कहा है कि उन्हें बैंक के ऋण भुगतान में देरी या चूक से संबंधित पूरी जानकारी इकाइयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

अधिकारियों ने कहा कि कई ऐसे मौके आए हैं जब कुछ इकाइयों ने नियामकीय खामियों का फायदा उठाया है। इसकी वजह यह है कि बैंकों का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है जबकि कंपनियां सेबी के नियमनों के दायरे में आती हैं। गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में यह समस्या और बढ़ जाती है। इस नियामकीय खामी को दूर करने के लिए सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजंसियों के संबंध में अपने नियमनों में बदलाव किया है। ऐसे में किसी भी सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध इकाई को रेटिंग हासिल करने से पहले रेटिंग एजंसियों को अपने मौजूदा और भविष्य के कर्ज व ऋण भुगतान में देरी या चूक की पूरी जानकारी देनी होगी।

सेबी के निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में इस बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नियामक का कहना है कि इससे रेटिंग एजंसियों को संभावित डिफॉल्ट के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी। इस कदम से रेटिंग एजंसियों को रेटिंग वाली इकाइयों की वित्तीय स्थिति का बेहतर तरीके से आकलन करने में मदद मिलेगी। रेटिंग एजंसी और उसके ग्राहक या प्रतिभूतियों को जारी करने वाले के बीच रेटिंग करार के प्रावधानों की निगरानी सेबी (साख निर्धारण एजंसियां) नियमन के तहत की जाती हैं। यह नियमन 1999 में बना था।

भेदिया कारोबार की जानकारी देने वालों को एक करोड़ तक का इनाम

भेदिया कारोबार के बारे में सूचना देने वालों को इनाम के रूप में बाजार नियामक सेबी से एक करोड़ रुपए तक मिलेंगे। इस व्यवस्था के तहत सेबी गलत तरीके से कमाए गए प्राप्त धन का 10 फीसद और अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का इनाम देगा।

गोपनीयता बनाए रखने के साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए हॉटलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जांच में सहयोग के बदले छोटी गड़बड़ियों के लिए माफी या उसके निपटान का प्रावधान किया गया है। सेबी ने भेदिया कारोबार निरोधक (पीआइटी) नियमन के तहत नई सूचना प्रणाली के लिए विस्तृत नियमों को मंजूरी दे दी गई। हालांकि यह लाभ केवल लोगों और कंपनियों को मिलेगा। आडिटर जैसे पेशेवरों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी।

सेबी के पीआइटी नियमन में प्रस्तावित संशोधन के तहत सूचना देने वालों को स्वैच्छिक सूचना घोषणा फार्म (वीआइडीएफ) देने की जरूरत है। इसमें भेदिया कारोबार मामले से जुड़ी विश्वासनीय, पूरी और मूल सूचना देनी होगी। इसमें अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान या नियमों का उल्लंघन कर कारोबार करना आदि शामिल है। इसमें सूचना के स्रोत के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा और यह लिखित में देना होगा कि उसे संबंधित जानकारी सेबी या अन्य संबंधित नियामक में कार्यरत किसी व्यक्ति से नहीं मिली है।

आवास वित्त व एनबीएफसी कंपनियों के लिए शेयर पुनर्खरीद नियमों में ढील

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए शेयर पुनर्खरीद नियमों को उदार किया है। विशेष रूप से ऐसी कंपनियां, जिनकी आवास वित्त या गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) में अनुषंगी इकाइयां हैं, के लिए पुनर्खरीद नियमों में ढील दी गई है।

सेबी, पुनर्खरीद नियमन के साथ कंपनी कानून के तहत सूचीबद्ध कंपनियों की शेयर पुनर्खरीद की निगरानी करती है। कंपनियों को जिस प्रमुख शर्त को पूरा करना होता है उनमें एक शर्त यह है कि पुनर्खरीद पेशकश कुल चुकता पूंजी या कंपनी के मुक्त आरक्षित कोष के 25 फीसद से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन पुनर्खरीद का आकार 10 फीसद से अधिक होने पर विशेष प्रस्ताव के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी लेना जरूरी है। पुनर्खरीद की अनुमति उसी स्थिति में दी जा सकती है जब कंपनी का गारंटी या बिना गारंटी वाला कर्ज पुनर्खरीद के बाद चुकता पूंजी या मुक्त आरक्षित कोष का दोगुने से अधिक न हो।

एफपीआइ के लिए नियमों को आसान बनाया

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) के लिए नियामकीय व्यवस्था को आसान करते हुए उनके लिए केवाइसी (ग्राहक को जानो) नियमों को सरल बनाया। साथ ही बाजार के बाहर प्रतिभूतियों के लेन-देन की अनुमति भी दी है।

सेबी के बोर्ड की बैठक में एफपीआइ के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अब एफपीआइ को तीन के बजाए दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। सेबी ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि केवाइसी के लिए जरूरी दस्तावेजी कामकाज को आसान बनाया गया है।

इसके अलावा विदेश में जारी डेरिवेटिव उत्पाद के सब्सक्रिप्शन और जारी करने की जरूरतों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। म्यूचुअल फंड की ओर से पेश विदेशी कोषों को एफपीआइ के रूप में पंजीकरण करने के बाद देश में निवेश करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आइएफएससी) में स्थापित इकाइयों को एफपीआइ के मानदंडों को ही मानना होगा। एफपीआइ को घरेलू या विदेशी निवेशकों को बाजार के बाहर प्रतिभूतियों के लेन-देन की अनुमति होगी। ये प्रतिभूतियां असूचीबद्ध, निलंबित, आसानी से नकदी में नहीं परिवर्तित होने वाली होंगी। बहु-निवेश प्रबंधक के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। ऐसे केंद्रीय बैंक, जो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के सदस्य नहीं हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में पंजीकरण करने के लिए पात्र होंगे। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है।

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

OA No. 694/2017
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड .....वादी
विरुद्ध
रीतु शर्मा एवं अन्य .....प्रतिवादी

To,
सुश्री रीतु शर्मा (प्रतिवादी सं. 01) पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह निवासी फ्लैट नं. ए-703, अलकनन्दा अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर-56, गुड़गांव, हरियाणा-122001,
यहां भी : (ए) 54-बी, ब्रदर्स अपार्टमेन्ट्स, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
(बी) इंडारएम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, चतुथ तल, बिल्डिंग नं. 10ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा

यतः उपरोक्त नामित वादी ने रू. 80,22,417/- (रुपये अस्सी लाख बाईस हजार चार सौ सत्रह मात्र) की वसूली हेतु आपके विरूद्ध वाद संस्थित किया/किये है तथा न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको साधारण रूप से यह दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस विज्ञापन के द्वारा आपको निर्देशित करते हुए यह सूचना दी जाती है की दिनांक 12-09-2019 को इस अधिकरण के समक्ष प्रातः 10:30 बजे उपस्थित हो। सूचित रहें कि आपकी उपस्थिति में निर्दिष्ट दिनांक एवं समय पर चूक होने पर मामले की सुनवाई एवं उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर एवं इस अधिकरण की मुद्रा द्वारा आज दिनांक 21.06.2019 को दिया गया।
न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
सील
पंजीयक

Fruition Venture Limited
Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi- 110009
Email id: csfruitionventure@gmail.com; website: www.fvl.co.in
Ph No: +91-011-47561818; Fax: +91-011-47561818
CIN No: L74899DL1994PLC056824

Public Notice for Book closure and Information on E-voting

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company shall remain closed from Wednesday, 11th September, 2019 to Tuesday, 17th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of ensuring Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Wednesday, 18th September, 2019 at 21-A, 4th Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi- 110009 to transact the business as mentioned in the notice of the AGM which has already been dispatched to all the members and other persons entitled to receive the same.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of the 25th AGM of the Company. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules given here under:

Date of completion of sending of notices: 22nd August, 2019

Date and time of commencement of voting through electronic means: Saturday, 14th September, 2019 (10.00 a.m. IST)

Date and time of end of voting through electronic means: Tuesday, 17th September, 2019 (5.00 p.m. IST)

Voting through electronic means shall not be allowed beyond Tuesday, 17th September, 2019 (5.00 p.m. IST)

The notice of the AGM is available on company's website www.fvl.co. in.

For electronic voting instructions, shareholders may go through the instructions in the notice of 25th AGM of the Company and in case of any queries/ grievances connected with the electronic voting, shareholders may refer e-voting user manual for shareholders available at the website of CDSL.

For Fruition Venture Limited
Sd/-
Place: New Delhi — Sanhit Jain
Date: 21st August, 2019 — Whole time Director

वैलिएंट कम्युनिकेशन्स लि.
CIN: L74899DL1993PLC056652
पंजीकृत कार्यालयः 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
फोनः +91-11-25928415, फैक्सः 91-11-41055604
Email: investors@valiantcom.com, वेबः www.valiantcom.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वैलिएंट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 25 सितंबर, 2019 को 9.30 बजे पूर्वा. में ए 7/523, मुंडका गाँव, नई दिल्ली- 110041 में आयोजित की जाएगी जिसमें इस तिथि को ई-मेल/ प्रेषित की जा चुकी एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 19 सितंबर, 2019 से बुधवार, 25 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा लागू होने वाले नियमों (यथा संशोधित) के अनुसार यह कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा 26वें एजीएम में विचार किए जाने के प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने की सुविधा अपने सभी सदस्यों (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले) को उपलब्ध करा रही है।

पुनः सभी सदस्यों को यह सूचित किया जाता है किः
क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 21 सितंबर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। तथा मंगलवार, 24 सितंबर, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) अर्थात बुधवार, 18 सितंबर, 2019 को सदस्यों/ लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
ग) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका के साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा 26वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.valiantcom.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है।
घ) यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 18 सितंबर, 2019 को शेयरधारित करते हों, वे investors@valiantcom.com पर अनुरोध भेज कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ड.) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
च) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/ समस्याओं के लिए सदस्य **www.evotingindia.com** पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए **Frequently Asked Questions ("FAQ's)/ e-voting** यूजर मैन्युअल देखें अथवा श्री मेहबूब लखानी- सहायक प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई 400013; फोन नं. 18002005533, ई-मेल आईडीः **helpdesk.evoting@cdslindia.com** से संपर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
मनीश कुमार
कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 21.08.2019
आईसीएसआई सदस्यता सं. A16483

यूपी होटल्स लिमिटेड
CIN: L55101DL1961PLC017307
पंजीकृत कार्यालयः 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन.: 011-23722596-8, फैक्सः 011-23312990
ईमेल.: clarkssuryakiran@yahoo.co.in वेबसाईटः www.hotelclarks.com

58वीं वार्षिक साधारण सभा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूपी होटल्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 58वीं (अन्ठावन वीं) वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 25 सितम्बर, 2019, को 2.30 बजे अप. में मोदी हॉल, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना तिथि, 2 अगस्त, 2019 में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुपालन में यह कंपनी उक्त सूचना में निर्दिष्ट सभी साधारण एवं विशेष व्यवसाय के सभी मदों पर उन्हें मतदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से रिमोट ई-वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2019 को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. एजीएम सूचना तिथि, 2.8.2019 में निर्दिष्ट सभी साधारण तथा विशेष व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
ii. 58वें एजीएम सूचना के प्रेषण की पूर्णता तिथिः 21 अगस्त, 2019
iii. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः 21 सितम्बर, 2019 तथा 9.30 बजे पूर्वा.
iv. रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः 24 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं
v. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 से बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।
vi. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथिः 18 सितम्बर, 2019
vii. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2019 को शेयर धारित करते वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
viii. 24 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ix. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन, एजीएम में उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार 18 सितंबर, 2019 जो कट-ऑफ तिथि है, को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों में अनुपात में होगा।
x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
xi. कंपनी तथा एजंसी- एनएसडीएल की वेबसाईट का पता जहां सूचना प्रदर्शित हैः www.hotelclarks.com तथा www.evoting.nsdl.com क्रमशः पुनः सार्वजनिक सूचना (समाचार पत्र प्रकाशन) को कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट क्रमशः www.hotelclarks.com तथा www.bseindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।
xii. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।
xiii. रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संपर्क का विवरणः श्री प्रकाश चंद्र प्रुस्ती, कंपनी सचिव से पंजीकृत कार्यालयः 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नंबरः 011-23722596-8, ई-मेल आईडीः clarkssuryakiran@yahoo.co.in.

निदेशक मंडल के आदेश से
यूपी होटल्स लिमिटेड
स्थानः नई दिल्ली
हस्ता./-
तिथिः 21.8.2019
प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती (कम्पनी सचिव)

MB CLUB LTD.
NOTICE
Notified that
ANNUAL GENERAL MEETING
of M B Club Ltd will be held
at Club premises on
14 Sep 2019 at 2 PM
CEO & Secretary
MB Club Ltd

सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : वाई-4-ए-सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028
Ph.: 9350150766
Emailld: supremecommercial@gmail.com
CIN: L5I909DL1983PLC016724

सूचना

सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मंडल की रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक एवं किताबी बंदीकरण तिथि/रिकार्ड तिथि तय के अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 02 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे वाई-4-ए-सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028 में आयोजित की जायेगी।

पुनः सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) नियमन, 2015 के अनुसरण में कम्पनी की ट्रेडिंग खिड़की 22.08.2019 से कार्यालय घंटों के शुरू होने से 48 घंटों तक मंडल की बैठक के निष्कर्ष तक बंद रहेंगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता०/-
(मीनाक्षी बी० चौधरी)
तिथि: 22.08.2019 — कम्पनी सचिव
स्थान: दिल्ली

SBI
बैंकिंग परिचालन विभाग, 6ठी मंजिल, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

बैंक की अपनी आस्तियों/जोखिमों के बीमे के लिए इंश्योरेन्स ब्रोकर फर्म/कंपनी की सूचीबद्धता हेतु रुचि की अभिव्यक्ति

भारतीय स्टेट बैंक प्रख्यात और अनुभवी इंश्योरेन्स ब्रोकर फर्म/कंपनी से सूचीबद्धता के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है. विस्तृत जानकारी/ईओआई कागजात बैंक की वेबसाइट **www.bank.sbi** या **www.sbi.co.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं. पूर्ण ईओआई सभी संबंधित कागजातों/दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उपरोक्त पते पर 11.09.2019 को शाम 5:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए.

हस्ताक्षर
स्थान: मुंबई — उप महाप्रबंधक
दिनांक: 22/08/2019 — (बीओडी)

भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लि.
(भारत सरकार का उद्यम- मिनी रत्न)
CIN No: U74899DL1999GOI101707

खुली ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आईआरसीटीसी- पश्चिम मंडल द्वारा पैन्ट्री कार रहित पहचान की गई मेल/ एक्सप्रैस/ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में ट्रेन साइड वेण्डिंग (टीएसवी) के माध्यम से ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं के प्रावधान के लिये खुली ई-निविदा (दो बोली प्रणाली के माध्यम से) आमंत्रित हैः

नवीन टीएसवी सेक्शन्स	टीएसवी सेक्शन्स की सं.	ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता	जमा करने की अंतिम तिथि
1) एसटी- यूडीएन- जेएल तथा 2) एडीआई- वीजी- डीएचजी- एसआईओबी- जीआईएमबी- भुज एवं एसआईओबी- पीएनयू	02	30.08.2019	23.9.2019 के 15.00 बजे तक
1) वीजी- एसयूएनआर- आरजेटी- एचएपीए- जेएएम- केएनएलएस-ओखा तथा डब्ल्यूकेआर- एमबीआई- डीएसी- एमएएलबी	01	30.08.2019	
1) एसयूएनआर- डीएलजे- एसओजेएन- पीआईटी/ वीवीपी; एसयूएनआर- डीएलआई- आरएलए- एमएचवी; पीबीआर- डब्ल्यूएसजे- जेएलआर- आरजेटी; पीबीआर- डब्ल्यूएसजे- एलपीजे- केएनएलएस- जाम- आरजेडटी (वाया एचएपीए)/ ओखा (वाया केएनएलएस); एसएमएनएच- वीआरएल- जेएनडी- जेएलआर- आरजेटी/ ओखा (वाया डब्ल्यूएसजे)	01	30.08.2019	
कोटा- एमटीजे	01	29.08.2019	
वर्तमान टीएसवी खंडों के लिये संवर्धन			
1) बीआरसी- एमएम,सीटी, 2) बीआरसी- यूजेएन (वाया आरटीएम) एवं 3) बीआरसी- पीएनयू (वाया एडीआई)/ एमएसएच- पीटीएन- बीएलडीआई/ वीजी- एमएसएच	03	21.8.2019	13.9.2019 15.00 बजे तक
1) एनजीपी- ईटी एवं 2) एनजीपी- बीएसएल/ एनजीपी- बीपीक्यू/ बीएसएल- बीपीक्यू (वाया वर्धा)	02	26.8.2019	17.9.2019 15.00 बजे तक
1) जेवीपी- केटीई- एसटीए- एमकेपी/ रेवा तथा जेबीपी- बीना (वाया केटीई)	01	29.8.2019	20.9.2019 15.00 बजे तक
1) आरटीएम- कोटा (वाया एनएडी)/ आरटीएम- कोटा (वाया सीएनए)/ आरटीएम- आरटीए	01	29.8.2019	20.9.2019 15.00 बजे तक
1) एमएचओडब्ल्यू- आईएनडीबी- डीडब्ल्यूएक्स- यूजेएन- एमकेसी-बीपीएल, डीडब्ल्यूएक्स- एमकेसी तथा आईएनडीबी- आरटीएम (वाया एफटीडी)	01	29.8.2019	20.9.2019 15.00 बजे तक

निविदा दस्तावेज का डाउनलोड तथा भागीदारी वेबसाईटः www.tenderwizard.com/irctc पर किया जा सकता है।
उपरोक्त विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र/ संवर्धन जारी की जाती है तो वह वेबसाइटः www.irctc.com एवं www.tenderwizard.com/irctc पर प्रकाशित होगा।
कार्यालय का पताः आईआरसीटीसी लि., अंचल कार्यालय (पश्चिम अंचल), 2रा तल, नवीन प्रशासनिक भवन, डी.एन. रोड, मध्य रेलवे, सीएसएमटी, मुंबई-400001; टेली.: 022-22618062/63/64

"अपना भोजन ऑनलाइन बुक करने के लिये www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग आन करें अथवा टोल फ्री नं. 1323 पर कॉल करें।"

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
M/S AKPS INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED (CIN: U72200DL2004PTC128708)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-9/13, अलकनंदा अपार्टमेंट, श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली -110019 स्थित है, के मामले में
.

कश्मीर के मसले पर ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश का मिला साथ

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली/पेरिस/ढाका, 21 अगस्त।

कश्मीर के मुद्दे पर भारत को ब्रिटेन, फ्रांस और बांग्लादेश का साथ मिला है। तीनों देशों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला बताया एवं कहा कि मसले के हल के लिए दोनों देशों को राजनीतिक वार्ता करनी चाहिए। कश्मीर मुद्दे को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। दूसरी ओर, फ्रांस एवं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों ने इस मुद्दे पर बयान जारी कर अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया है और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। नई दिल्ली में जारी प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई। बोरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट कहा कि कश्मीर भारत एवं पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की महत्ता पर जोर दिया।' जॉनसन ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच साझेदारी की महत्ता पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ मुहिम छेड़ने को लेकर बातचीत की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, के प्रवक्ता के मुताबिक, प्रवक्ता के मुताबिक, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच अपार संभावनाएं हैं, जिनसे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब सप्ताहांत में फ्रांस में जी7 बैठक होगी। दूसरी ओर, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है और दोनों ही पक्षों को राजनीतिक वार्ता से मतभेदों को सुलझाना चाहिए। तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां येव्स ले द्रियां की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान के उनके समकक्ष शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के कदम के बाद कश्मीर के हालात पर उनसे मंगलवार को चर्चा की।

बांग्लादेश ने भी बयान जारी कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत शीर्ष नेतृत्व से बात की थी। इसके एक दिन बाद इस मामले पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'बांग्लादेश यह मानता है कि अनुच्छेद 370 हटाने का भारत सरकार का फैसला भारत का आंतरिक मामला है।' उसने कहा कि बांग्लादेश ने हमेशा वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखना और विकास करना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मनसे कार्यकर्ता ने आग लगा कर की आत्महत्या

ठाणे, 21 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जबकि पार्टी के एक नेता ने बुधवार को दावा किया कि कार्यकर्ता मनसे प्रमुख राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय से भेजे गए नोटिस की वजह से परेशान था। पुलिस ने कहा कि उसे कोई पत्र नहीं मिला है और आत्महत्या के पीछे की वजह जानने के लिए जांच जारी है।

पुलिस उप निरीक्षक महेश कावड़े ने कहा कि आत्महत्या करने वाला 27 वर्षीय प्रवीण चौगुले को शराब की लत थी और वह अवसाद में भी था। कावड़े ने कहा कि मंगलवार को कलवा टाउनशिप क्षेत्र में चौगुले ने खुद पर किरासन तेल डालकर अपने आवास पर आग लगा लिया। उन्होंने बताया कि चौगुले के कुछ पड़ोसियों ने उनके घर से धुआं उठते हुए देखा, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और उसको स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि वह लगातार अवसादग्रस्त हो जाता था और शराब का आदी था। इससे पहले भी उसने दो-तीन बार आत्महत्या की कोशिश की थी। मनसे ठाणे इकाई के प्रवक्ता नैनेश पाटनकर ने कहा कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिलने की वजह से चौगुले ने यह कदम उठाया।

छह महीने बाद मिग 21 के कॉकपिट में लौटे विंग कमांडर अभिनंदन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान ने मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर दिया है। इस साल फरवरी में पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराने के बाद पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाने वाले भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन को कुछ दिन पहले स्वास्थ्य जांच के बाद विमान उड़ाने की अनुमति मिली थी।

वर्द्धमान ने करीब छह महीने बाद फिर से लड़ाकू विमान उड़ाया है। दरअसल, 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई द्वंद्व के दौरान उनका विमान गिरा दिया गया था और विमान में से निकलने के दौरान वह चोटिल हो गए थे। सेना के शीर्ष अधिकारी ने बताया, 'उन्होंने (वर्द्धमान ने) विमान उड़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल, वर्द्धमान राजस्थान में भारतीय वायुसेना के एक अड्डे पर सेवा दे रहे हैं।'

उन्होंने पाकिस्तानी विमानों के साथ आसमान में हुई लड़ाई में अपने मिग 21 बाइसन विमान से पाकिस्तान का अत्याधुनिक विमान एफ-16 मार गिराया था। इसके बाद उनके मिग 21 को मार गिरा दिया गया था। वह विमान से सुरक्षित निकल गए थे, लेकिन पेराशूट से पाकिस्तानी क्षेत्र में उतरे थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया था।

मिग 21 विमान से निकलने के दौरान वह चोटिल हो गए थे। इस वजह से उन्हें विमान उड़ाने की ड्यूटी से हटा दिया गया था। डिब्रिफिंग और अस्पताल में जांच प्रक्रिया पूरी करने बाद वह ड्यूटी पर लौटे। वर्द्धमान को पाकिस्तानी एफ-16 लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।

पाक को नदी का पानी रोकने के लिए उठा रहे कदम : शेखावत

मुंबई, 21 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किए बिना हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शेखावत ने मंगलवार शाम कहा कि (सिंधु संधि के तहत) पाकिस्तान को प्रवाहित होने वाले पानी को रोकने का काम शुरू हो चुका है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान को जाता है और मैं सिंधु जल संधि को तोड़ने की बात नहीं कर रहा।

पुलवामा में आतंकी हमले और इसके बाद भारत द्वारा बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमले के कारण पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के निचले स्तर पर पहुंचने के बीच भारत के मंत्री का यह बयान महत्त्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में और गिरावट आई है।

पश्चिमी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक आज गोवा में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार, अनुभवों के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए केंद्र और राज्यों के मंच पश्चिमी आंचलिक परिषद की 24 वीं बैठक गुरुवार को गोवा के पणजी में होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिन भर चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्री तथा दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली के प्रशासक शिरकत करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। प्रत्येक राज्यों के दो मंत्री और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली से जुड़े साझा हित और वन एवं पर्यावरण, आवास, शिक्षा, खाद्य और परिवहन से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। इनके अलावा शहरी आवासीय क्षेत्र, पुलों के निर्माण, मछुआरों को बॉयोमीट्रिक पहचान कार्ड और कार्ड रीडर जारी करने जैसे क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

राज्यों को पांच जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन की परिषद में हर राज्य के मुख्यमंत्री, दो मंत्री और मुख्य सचिव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आंचलिक परिषद (जोनल काउंसिल) के अध्यक्ष हैं और हर जोन एक मुख्यमंत्री को इसके उपाध्यक्ष के लिए रोटेशन आधार पर नामित करता है।

गुमशुदा की तलाश

सईयाद रफिकुल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम : **सईयाद रफिकुल अली** पुत्र : **मोहम्मद अली**, निवासी : **मकान नं. ई-13, कोढ़ी कॉलोनी, मदर डेरी के नजदीक, नन्द नगरी, दिल्ली**, उम्र : **30 साल**, लम्बाई : **5'7''**, रंग : **सांवला**, चेहरा : **लम्बा**, शरीर : **पतला**, पहनावा : **ऑटो वाली यूनिफार्म और पैरों में जूते पहने हैं**, जो **27.07.2019** से अपने घर से गुमशुदा /अपहृत है। इस सन्दर्भ में **DD. No. 59-A dated 28.07.2019** को पुलिस थाना, नन्द नगरी, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से इस गुमशुदा /अपहृत व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की गई मगर कुछ पता नही चला।
अगर किसी को इस गुमशुदा /अपहृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित को सूचित करें।
वेबसाइट: http://cbi.nic.in, मेल आईडी cic@cbi.gov.in,
फोन नं.: 011-24368638, 24368641, फैक्स : 011-24368639

DP/7248/NE/19. थानाध्यक्ष
थाना नन्द नगरी, दिल्ली
फोन नं. 011-22585985, 22583307, 8750870733

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **22nd August, 2019** को (ब्रांक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **24th October, 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोन्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **22nd August, 2019** को (ब्रांक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **14th October, 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोन्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.06.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 27.08.2019

Faridabad - Neelam Flyover: MUL-652, 729, 732, 734, 796, 917, 1084, 1123, 1143, 1238, 1249, 1295, 1374, **Faridabad - Nehru Ground:** MLS-321, MSL-25754, 54027, 54029, MUL-2885, 2908, 2980, 3120, 3250, 3271, 3276, 3314, 3388, 3421, 3538, MWS-82, 84, 93, 175, 408, 462, 585, 662, 800, 828, 846, 1025, 1049, 1124, 1451, 1543, 1729, 1747, 1873, 2041, 2515, 2910, 2966, 3043, **Faridabad Sec - 15:** MSL-12604, 12669, 12672, 12725, MUL-495, 573, 581, 692, 924, **Faridabad - Sec 29:** MGL-1178, MSL-23248, 23267, 23276, MUL-1410, 1414, 1429, 1475, 1566, 1587, 1603, 1633, 1640, 1662, 1713, 1751, 1775, 1817, 1832, MWS-7, 8, 50, 78, 89, 125, 132, 151, 158, 210, 243, 255, 258, 329, 543, 594, 643, 750, 761, 766, 825, 981, 1108, 1142, 1186, 1279, **Faridabad - NIT:** MSL-17578, 17579, MUL-1233, 1431, 1463, 1470, 1564, 1590, 1643, 1646, 1769, 1793, 1837, 2056, 2062, 2099, 2125, 2189, 2192, MWS-126, 396, 490, **Faridabad - Sec 16:** MUL-1137, 1153, 1242, 1335, 1430, 1431, 1437, 1441, 1530, 1540, 1553, 1554, 1756, 1757, 1786, 1817, 1820, 1947, 1948, 2018, 2033, 2052, 2091, **Faridabad - Sec 21C:** MSL-9558, MUL-751, 755, 833, 876, 903, 1038, 1123, 1303, 1345, 1352, 1474, **Old Faridabad:** MSL-10092, 10136, 10262, 10267, 10344, 10590, MUL-770, 915, 951, 994, 1175, 1187, 1253, 1332, 1355, 1448, 1506, 1509, 1521, 1647, MWS-36, 63, 90, **Faridabad - Sec 17:** MSL-8983, MUL-464, 600, 646, 708, 765, 811, 826, **Ballabhgarh:** MSL-12500, 12549, MUL-1019, 1051, 1056, 1189, 1276, 1306, 1311, 1319, 1324, 1326, 1338, 1368, 1373, 1396, 1428, 1486, 1510, 1560, 1563, 1726, 1752, 1765, 1773, 1827, 1830, 1834, 1848, 1881, 1980, 1984, 2014, MWS-58, 113, 129, **Faridabad - Neelam Flyover Sec - 20:** MUL-1185, 1292, 1394, 1517, 1564, 1585, 1657, 1659, 1705, 1728, 1804, 1820, 1863, 2006, 2044, 2138, 2152, 2167, MWS-72, **Faridabad - Sec 55:** MSL-8594, 8632, 8635, 8643, 8778, 8977, MUL-942, 952, 1029, 1044, 1120, 1145, 1179, 1180, MWS-71, 234, 442, 521, 642, 775, 880, 1049, 1092, 1104, **Faridabad - Sec 22:** MSL-5176, MUL-673, 675, 685, 695, 739, 791, 796, 846, 899, 939, 945, 983, 988, 1001, 1006, 1012, 1030, 1041, 1055, 1057, 1105, 1182, 1269, 1333, 1391, 1393, 1450, 1480, 1500, 1517, 1545, 1582, **Faridabad - Sec 34:** MUL-781, 835, 1050, 1080, 1127, 1307, 1602, **SGM Nagar:** MSL-8, MUL-300, 309, 325, 397, 399, 453, 461, 488, 539, 574, 606, **Faridabad - Parvatiya Colony:** MUL-378, 401, 479, 494, 502, 550, 658, 563, 596, 618, 625, 648, 680, 696, 770, 780, 802, 810, 889, 917, 1033, 1065

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 27.08.2019

Faridabad Sec - 29: MAL-1767, MUL-1786, 2006, 2007, MWS-1055, **Faridabad - Sec 16:** MUL-1991, 2779, 3229, **Faridabad - Sec 21C:** MUL-1488, **Old Faridabad:** MDL-291, MUL-972, 1629, 1749, MWS-717, 840, **Faridabad - Sec 17:** MUL-467, **Faridabad - Sec 55:** MWS-1188, **Faridabad - Sec 22:** MUL-1774, **SGM Nagar:** MUL-564

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **28.08.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Ground Floor, Premises No 1 & 2, Susbana Palace, Sec 20 B, Ajronda Chowk, Near Neelam Flyover, Faridabad - 121001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोन्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
RESOLUTION, RECOVERY & LAW CLUSTER OFFICE, Faridabad नीलम लोक एनक्लेव, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा)
फोन: 0129-2415525, ई-मेल: rrl_7622@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 14.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता **मैसर्स एस आर सी इंडस्ट्रीज (क्र.सं. 14)** की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 31.08.2019 को होनी थी, हम इस सम्पत्ति की ई-नीलामी को निरस्त करते हैं। ई-नीलामी के शेष खाता व उनके नियम व शर्तें पहले के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

समक्ष : राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली
कम्पनी याचिका सं. सीपी-40 (पीबी)/2019
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए)-179 (पीबी)/2018
के साथ संबंधित
कम्पनी अधिनियम, 2013
(2013 का 18) के मामले में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के मामले में
तथा
समामेलन की स्कीम के मामले में
तथा
निम्नलिखित के मामले में:
वाया रेड कन्सोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
...याचिकाकर्ता/अंतरणकर्ता कम्पनी
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका **पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 40, साउथ पार्क अपार्टमेंट्स, बी-ब्लॉक, कालकाजी, नई दिल्ली-110019** में स्थित है)
तथा
रेडबुल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
...याचिकाकर्ता/अंतरिती कम्पनी
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-84, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली-110020 में स्थित है)

याचिका की सुनवाई की सूचना

उपरोक्त नामक याचिकादाताओं द्वारा (अंतरणकर्ता कम्पनी) का (अंतरिती कम्पनी) के साथ समामेलन की स्कीम की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 और लागू प्रावधानों के तहत एक संयुक्त याचिका 24 अक्टूबर, 2018 (प्रथम प्रावेदन) और 07 मार्च, 2019 (द्वितीय प्रावेदन) को प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष 16 सितम्बर, 2019 को की जानी नियत की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना जो उसके अपने रूप के अथवा उसके अधिवक्ता के नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, फोन नो और याचिकादाता के अधिवक्ता को नीचे दिए पते पर भेज सकता है, जो याचिकादाता के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु नियत तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति याचिका को विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अलग एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता/-
विवेक सिंह
अधिवक्ता
याचिकादाताओं हेतु अधिवक्ता
लेक्स अलायंस
ए-414, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
फोन: 011-46644435/36
ई-मेल: lexalliance.vivek@gmail.com
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 21 अगस्त, 2019

प्रपत्र स, आइएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में और
M/S GAIN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
(CIN : U45201DL2004PTC128187)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/13, आजाद अपार्टमेंट श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली -110016 स्थित है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 15 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक शिकायत प्रकष्ठ फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके ऊपर लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते व की ओर से
GAIN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
हस्ता/-
अशुल अग्रवाल
निदेशक
DIN : 07122331
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21.08.2019

प्रपत्र स, आइएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में और
M/S CHORUS TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
(CIN: U63040DL2004PTC128182)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/13, आजाद अपार्टमेंट श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली - 110016 स्थित है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 15 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक शिकायत प्रकष्ठ फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके ऊपर लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते व की ओर से
CHORUS TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
हस्ता/-
अंशुल अग्रवाल
निदेशक
DIN 07122331
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21.08.2019

कोवेन्ट्री क्वॉयल-ओ-मैटिक (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 87 कि.मी. एनएच-8, ग्राम सालावास, पी.ओ. संगवारी जिला रेवाड़ी-123401 (हरियाणा), ईमेल: info@coilomatic.com,
फोन: 9896033299, CIN: L74999HR1988PLC030370

वर्ष 2019 के लिये 31वीं वार्षिक साधारण सभा के लिये अभिलिखित तिथि एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2014 की धारा 96 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में उसके पंजीकृत कार्यालय ग्राम सालावास, पी.ओ. संगवारी, जिला रेवाड़ी-123401 (हरियाणा) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सूचना तिथि 29 मई, 2019 में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट तथा अपनी 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम सूचना) की भौतिक प्रतियों का प्रेषण पूरा कर लिया है। पुनः वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना ई-मेल द्वारा ऐसे शेयरधारकों को भेज दी गई है जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी में पंजीकृत कराये हैं। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट- www.coilomatic.com पर भी उपलब्ध है।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में भागीदारी के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है जो लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लेटफार्म (Insta Vote) के द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी।

ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 को 6.00 बजे सायं में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् 07 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धत्ति या डीमैटेरियलाइज पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिये लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के Insta Vote द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। पास्वर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया सूचना में वर्णित है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2014 की धारा 91 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 7 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) (पुस्तक बंद रहने की अवधि) तक कम्पनी की 31वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कोवेन्ट्री क्वॉयल-ओ-मैटिक (हरियाणा) लिमिटेड के लिए

स्थानः रेवाड़ी
तिथिः 21.8.2019
आर.एम. बाफ्ना
प्रबंध निदेशक

स्चैबलोना इंडिया लिमिटेड

CIN: L51109DL1983PLC318655
पंजी. कार्यालय: 82/19, बाराखम्बा रोड, मुंडका, नई दिल्ली-110041, **फोन

खबर कोना

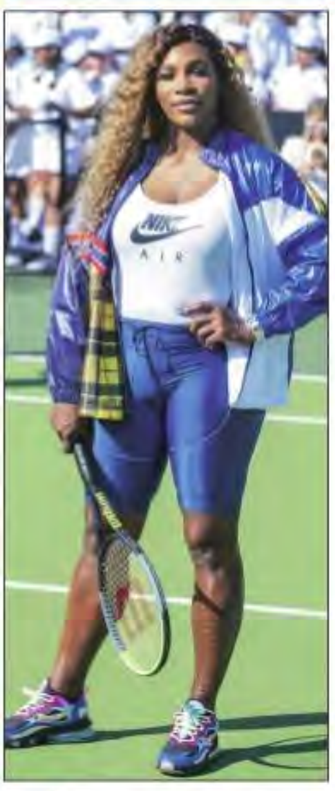

क्विंस ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम के दौरान स्टार टेनिस सेरेना विलियम्स।

मनगांवकर को महाराष्ट्र ओपन का खिताब

मुंबई, 21 अगस्त (भाषा)।

शीर्ष वरीयता प्राप्त महेश मनगांवकर ने बुधवार को यहां 44वीं महाराष्ट्र राज्य सीनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। पुरुषों के ओपन फाइनल में मनगांवकर ने दूसरी वरीयता प्राप्त अभिषेक प्रधान से पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने 9-11, 11-3, 11-5, 11-3 से जीत दर्ज की। लड़कों के अंडर-19 फाइनल में गोवा के अनुभवी यश फड़ते ने गैरवरीयता प्राप्त नील जोशी को 11-5, 12- 10, 11-7 से हराया। महिला ओपन में तन्वी खन्ना ने योशना सिंह को 11-4, 11-6, 11-6 से हराकर खिताब जीता जबकि लड़कियों के अंडर-19 फाइनल में योशना सिंह ने अमिरा सिंह को 11-9, 13-11-5, 5-11, 12-10 से पराजित किया।

'ओप-ब्लू फ्रीडम' के दिल्ली चरण की शुरुआत

नई दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा)।

खेल मंत्री किरन रिजीजू और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने बुधवार को 'ओप-ब्लू फ्रीडम' के दिल्ली चरण की शुरुआत की। 'ओप-ब्लू फ्रीडम' एक ऐसा अभियान है जिसमें सशस्त्र बलों का अनुभवी समूह खेल में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को आत्मरक्षा और विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग मुहैया कराता है जिसमें लोगों के लिए स्कूबा डाइविंग कार्यक्रम शामिल है। चंडीगढ़ चरण में सफलता के बाद एक ग्रुप ने सोमवार को एसपीएम तैराकी पूल परिसर में डाइविंग की। इस ग्रुप में आठ अनुभवी तैराक शामिल हैं। नागरिकों (इसमें दिव्यांग और सामान्य लोग) के लिए डाइव सत्र 22 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। रिजीजू ने कहा कि मैं आज इस 'ओप-ब्लू फ्रीडम' डाइव का हिस्सा बनकर खुश हूं। मैं देशवासियों को इस एडवेंचर खेल के बारे में जागरूक करना चाहता हूं।

ब्राजीली मूल का एलिक्सन चीन की फुटबाल टीम में

शंघाई, 21 अगस्त (एएफपी)।

चीन ने विश्व कप के अपने पहले क्वालीफायर मैच के लिए बुधवार को ब्राजीली मूल के खिलाड़ी एलिक्सन को अपनी राष्ट्रीय टीम में चुना। इस तरह से वे चीनी फुटबाल टीम का हिस्सा बनने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनकी चीन से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। कोच मार्सेलो लिप्पी के इस फैसले ने चीनी फुटबाल प्रेमियों और विशेषज्ञों को दो भागों में बांट दिया है। लिप्पी हालांकि चीन को दूसरी बार विश्व कप का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले लंदन में जन्में मिडफील्डर निको येनारीस को चीनी टीम में शामिल किया गया था। बेजिंग गुआआन के खिलाड़ी ने चीनी नाम ली के नाम से इस साल जून में चीन की तरफ से पदार्पण किया था।

महिला टीम की जापान पर खिताबी जीत

तोक्यो, 21 अगस्त (भाषा)।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को यहां मेजबान जापान को एक संघर्षपूर्ण मैच में 2-1 से हराकर ओलंपिक टैस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता। ओआइ हॉकी स्टेडियम में विश्व में दसवें नंबर की भारतीय टीम की तरफ से नवजोत कौर ने 11वें लालरेमसियामी ने 33वें मिनट में गोल किए। जापान की तरफ से एकमात्र गोल मिनामी शिमिजु ने 12वें मिनट में किया।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक रवैया अपनाया। पहले दस मिनट में भारत का दबदबा रहा और उसे 11वें मिनट में इसका फायदा भी मिला जब एक बेहतरीन मूव पर नवजोत गोल करने में सफल रहीं। भारत की खुशी हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रही और जापान ने जवाबी हमला करके अगले मिनट में गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने अपनी रक्षापंक्ति पर ध्यान दिया। दोनों टीमों ने कुछ मौके बनाए लेकिन वे गोल करने में नाकाम रही। इससे मध्यांतर तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर ही रहा। मध्यांतर के बाद भारत ने आक्रामक तेवर अपनाए और उसने 33वें मिनट में पेनल्टी कार्नर हासिल किया। भारतीय ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर का शॉट जापानी गोलकीपर मेगुमी कागेयामा ने बचा दिया लेकिन युवा फारवर्ड लालरेमसियामी रिबाउंड पर गोल करने में सफल रहीं।

जापान को भी 42वें मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन भारतीय रक्षकों ने उसका बचाव करके भारतीय बढ़त बरकरार रखी। भारत को 45वें मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन इस पर वह गोल नहीं कर पाया। भारत आखिरी क्वार्टर में गोल बचाने की कवायद में जुट गया और इसमें वह सफल भी रहा। जापान को आखिरी क्षणों में लगातार दो पेनल्टी कार्नर मिले लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता ने दोनों अवसरों पर अच्छा बचाव किया।

ओलंपिक टेस्ट चैंपियनशिप

जीत के बाद मोनिका के साथ जश्न मनातीं लालरेमसियामी।

पुरुष टीम ने भी न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया

तोक्यो, 21 अगस्त (भाषा)।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउंड रॉबिन चरण में मिली हार का बदला चुकता करते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में 5-0 से हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह (सातवां मिनट) ने पहला गोल किया। शमशेर सिंह (18वां), नीलकांत शर्मा (22वां), गुरसाहिबजीत सिंह (26वां) और मनदीप सिंह (27वां) ने बाकी गोल दागे। भारत को राउंड रॉबिन चरण में न्यूजीलैंड ने 1-2 से हराया था। कप्तान हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा कि हमने अच्छा खेला। हम शुरुआत में ही मौके बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि फाइनल कठिन होता ही है और न्यूजीलैंड ने तो हमें लीग मैच में हराया था। हमने अभ्यास सत्रों में अपनी गलतियों को सुधारने पर काफी मेहनत की।

दोनों टीमों ने संभलकर खेलना शुरू किया। भारत को सातवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर गोल नहीं हो सका लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने उसी मिनट मिले दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने गेंद पर नियंत्रण जारी रखा और पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त कायम रही। शमशेर ने 18वें मिनट में भारत के लिए दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागा।

न्यूजीलैंड की टीम दूसरे क्वार्टर में दो बार सर्कल में घुसने में कामयाब रही जबकि भारत ने तीन और गोल दाग दिए। नीलकांत ने 22वें मिनट में तीसरा गोल किया। इसके बाद गुरसाहिबजीत सिंह और मनदीप ने लगातार गोल दागे। इसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका। आखिरी क्वार्टर में भारतीय डिफेंडरों ने दमदार प्रदर्शन करके न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं दिया।

'चयन समिति के अध्यक्ष पद के लिए कुंबले आदर्श उम्मीदवार'

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की क्षमता उन्हें चयन समिति के अध्यक्ष के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती है। साथ ही उन्होंने इस पद से जुड़ा वेतन बढ़ाने की भी वकालत की। अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर पूर्व सलामी बल्लेबाज सहवाग ने कहा कि बीसीसीआइ को चयन समिति के प्रमुख को अधिक वेतन देने की जरूरत है।

सहवाग ने नई ऐप 'द सलेक्टर' के लांच के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि चयन समिति के अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुंबले सही दावेदार होंगे। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के साथ एक खिलाड़ी के रूप में बात की है और युवाओं के साथ कोच के रूप में। सहवाग ने कहा कि जब मैंने वापसी की थी (आस्ट्रेलिया श्रृंखला 2007-08) तो कप्तान कुंबले मेरे कमरे में आए थे और कहा था कि अगली दो श्रृंखला में आपको नहीं हटाया जाएगा। खिलाड़ी को इसी तरह के आत्मविश्वास की जरूरत होती है।

सहवाग ने हालांकि कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कुंबले इस पद के लिए राजी होंगे क्योंकि अध्यक्ष को अभी वार्षिक एक करोड़ रुपए का वेतन मिलता है।

कोहली की टीम विंडीज चुनौती के लिए तैयार

नॉर्थ साउंड, 21 अगस्त (भाषा)।

भारतीय टीम पहली विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले में गुरुवार को वेस्ट इंडीज के सामने उतरेगी। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली सटीक टीम संयोजन को लेकर जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। भारत अगर यह मैच जीतता है तो बतौर कप्तान कोहली की 27वीं टैस्ट जीत होगी और वह महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेंगे। इस मैच में शतक जमाने पर वह बतौर कप्तान 19 टैस्ट शतक के रिकी पोंटिंग के रेकार्ड की बराबरी कर लेंगे।

कोहली, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल और रोहित शर्मा के रहते भारतीय टीम कागजों पर मजबूत लग रही है लेकिन जैसन होल्डर की अगुआई वाली कैरेबियाई टीम को हलके में नहीं लिया जा सकता। इंग्लैंड को इसका अनुभव हो चुका है जिसे इस साल की शुरुआत में वेस्ट इंडीज की जीवंत पिचों पर 1-2 से पराजय झेलनी पड़ी थी। एंटीगा के सर विवियन रिचडर्स स्टेडियम की विकेट भी तेज गेंदबाजों की मददगार है।

कोहली ने पहली विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के बारे में कहा कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि टैस्ट क्रिकेट प्रासंगिक नहीं रह गया है या खत्म हो रहा है। मेरा तो यह मानना है कि प्रतिस्पर्धा दुगुनी बढ़ गई है। खिलाड़ियों को चुनौती का सामना करके जीत का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी होंगे और टैस्ट मैच रोमांचक हो जाएंगे।

मैच का समय
शाम सात बजे से

ट्रायल नहीं देने का फैसला बीएफआइ का : मैरी कॉम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

विश्व चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 सदस्यीय टीम में एमसी मैरी कॉम को बिना ट्रायल के शामिल किया गया। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन, छह बार की विश्व चैंपियन खिलाड़ी का कहना है कि ट्रायल का फैसला पूरी तरह से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का था। 51 किग्रा वर्ग में ट्रायल को लेकर निकहत जरीन खफा हैं और उन्होंने खुद को दावेदार बताया। हालांकि बीएफआइ ने मैरी कॉम के प्रदर्शन और पदक की दावेदारी को देखते हुए टीम में शामिल करने का फैसला किया।

इसके बारे में पूछने पर राज्यसभा सदस्य मैरी कॉम ने भारतीय गेमिंग महासंघ (एआइएफएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि ट्रायल मेरे हाथ में नहीं है। महासंघ ही सबकुछ देखता है और उनसे जो कहा गया वही उन्होंने किया। टीम चयन के लिए ट्रायल की प्रक्रिया को हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसे सीधे ही टूर्नामेंट के लिए कोटा मिल जाना चाहिए।

उन्होंने अन्य खेलों का उदाहरण देते हुए कहा कि और भी खेलों में ऐसा होता है, जैसे बैडमिंटन। उसमें कौन ट्रायल देता है। क्या साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने ट्रायल दिया। लेकिन हमारे खेल में ट्रॉयल-ट्रॉयल। मैरी कॉम ने कहा कि ट्रायल नहीं कराने के बारे में आप बीएफआइ से ही पूछो। मैं यह फैसला अकेली नहीं ले सकती। यह सब महासंघ के हाथ में है।

मैरी कॉम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में रखा गया था। उन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति की शनिवार को होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए हुई बैठक से खुद को अलग कर लिया था। उनके कोच छोटेलाल यादव इस पुरस्कार की दौड़ में थे। चयन पैनल में मैरी कॉम के शामिल होने की आलोचना हो रही थी। मुक्केबाजी महासंघ ने यादव का नाम उनकी सलाह पर भेजा था। चयन समिति से खुद को अलग करने के सलाव पर उन्होंने कहा कि 'पहले विवाद खड़ा कर दिया, फिर इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं।' यह दुर्भाग्यपूर्ण था।

विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि तैयारी अच्छी चल रही है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। अगले साल जनवरी से क्वालीफिकेशन शुरू हो जाएंगे। मुकाबला आसान या कठिन होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूं। मुक्केबाजी लगातार प्रगति के पथ पर है। हम लोग योजना बना रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि बेहतर करूं।

मैरी कॉम ने अन्य खेलों का उदाहरण देते हुए कहा कि और भी खेलों में ऐसा होता है, जैसे बैडमिंटन। उसमें कौन ट्रायल देता है। क्या साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने ट्रायल दिया। लेकिन हमारे खेल में ट्रॉयल-ट्रॉयल।

मोहन बागान और गोकुलम केरला में होगा डूरंड कप का फाइनल

कोलकाता, 21 अगस्त (भाषा)।

सुपरसब वीपी सुहेर के अतिरिक्त समय में किए गए दो गोल की मदद से मोहन बागान ने बुधवार को यहां रीयल कश्मीर को 3-1 से हराकर 129वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका मुकाबला गोकुलम केरला से होगा। बागान एक समय साल्वा चामोरो के पहले हाफ में किए गए गोल से जीत की तरफ बढ़ रहा था लेकिन रीयल कश्मीर के नोहोर क्रिजो ने दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम (90+3 मिनट) में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद सुहेर ने अतिरिक्त समय में दो गोल दागकर बागान को फाइनल में पहुंचा दिया।

इससे पहले गोकुलम केरला ने ईस्ट बंगाल पर 3-2 की जीत से फाइनल में प्रवेश किया। इससे ईस्ट बंगाल की अपने 100वें साल में 17वां खिताब जीतने की उम्मीद टूट गई। साल्टलेक स्टेडियम में निर्धारित समय में स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद अब गोकुलम केरला से खेल रहे ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर सीके उबेद ने दो शानदार बचाव किए जिससे उनके क्लब ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत हासिल की। ईस्ट बंगाल के कप्तान लालरिंडिका राल्टे ने शूटआउट में पहला गोल किया। इसके बाद उबेद ने जेमी सांटोस कोलाडो को गोल करने से रोकने के बाद टोंडोम्बा नाओरेम के प्रयास को भी विफल कर दिया। इससे गोकुलम की टीम ने एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। गोकुलम के लिए ब्रुनो पेलिसारी, जस्टिन जॉर्ज और लालरोमाविया ने शूटआउट में गोल किए। निर्धारित समय में ईस्ट बंगाल ने समद अली मलिक के 18वें मिनट में किए गए गोल से 1-0 से बढ़त बनाई। लेकिन मार्कस जोसफ ने नौंवा गोल करते हुए अपनी टीम गोकुलम को बराबरी दिलाई।

सीआइएसएफ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

चीन के चेंगदू शहर में आयोजित विश्व पुलिस और अग्नि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों सीआइएसएफ के खिलाड़ियों को बुधवार को सम्मानित किया गया। बल के महानिदेशक राजेश रंजन ने कहा कि बल कर्मियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने और प्रतिभाशाली खेल कर्मियों को उचित अवसर देना सुनिश्चित करता है ताकि वे अपनी क्षमता का पूरी तरह से प्रदर्शन करें। विश्व पुलिस और फायर गेम्स एक ओलंपिक शैली की प्रतियोगिता है। इसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के कानून प्रवर्तन, अग्निशामकों, परिवीक्षा, सीमा सुरक्षा, आव्रजन और सीमा शुल्क के अधिकारी या प्रतिनिधी 60 से अधिक खेलों में भाग लेते हैं। विश्व पुलिस और अग्नि खेलों 2019 का आयोजन आठ से 18 अगस्त तक चेंगदू (चीन) में किया गया था। इसमें सीआइएसएफ के खेल कर्मियों ने 10 पदक जीते।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

जेडओएसएआरबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली
टेली.: 011-23341320

ई-नीलामी
बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना

अधोलिखित परिसम्पत्तियों जो बैंक के **भौतिक कब्जे** में है की नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार बैंक के प्रतिभूत ऋण तथा लागत एवं चार्जेज तथा उस पर आगे के ब्याज की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' पर ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर 11.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी। यह नीलामी वेबसाईट **https://bob.auctiontiger.net** पर होगी।

क्रम सं.	ऋणधारक/मार्टगैजर का नाम एवं पता	प्रतिभूत ऋण 30.6.2019 को (रु. लाख में)	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	प्राधिकृत अधिकारी/ सम्पर्क संख्या	ईएमडी खाता नं./ आईएफएससी कोड
1.	मै. गोवर्धन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	7172.00 लाख + ब्याज	औद्योगिक खाली प्लाट- खसरा नं. 202, 203 एवं 211, ग्राम परसोना, परगणा डासना, दिल्ली-हापुर रोड, एनएच-24, हापुर, उ.प्र. माप 23752 वर्ग यार्ड्स	665.00 लाख	66.50 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 BKDN0711109
2.	राजेश कपूर	16.83 लाख + ब्याज	3रा तल, सम्पत्ति सं. 10, पॉकेट-4, सेक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली	17.50 लाख	1.75 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 BKDN0711109
3.	केसल मेडिकोज	रु. 236.82 लाख + ब्याज	बेस्मेन्ट की सम्पत्ति संख्या 274, खसरा नं.- 189/150/1, 189/150/2/1/1, 189/150/3, ग्राम गढ़ी, झरिया मारिया संत नगर, नई दिल्ली, माप 405 वर्ग फीट	12.00 लाख	1.20 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 IBKDN0711109
4.	सीगुल्स	रु. 35.89 लाख + ब्याज	खसरा नं. 164/1, ग्राम अकबरपुर-बेहरामपुर, जिला गाजियाबाद, माप 50 वर्ग यार्ड्स।	11.43 लाख	1.15 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 IBKDN0711109
5.	ग्रीन व्यू अपार्टमेन्ट एंड क.	48.73 लाख+ब्याज	ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली-110047 के लाल डोरा के विस्तारित आबादी में स्थित प्लॉट/सम्पत्ति सं. 164, भूमि माप 10 बिसवा, लगभग 504 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 839 के भाग पर निर्मित 3रे तल पर यूनिट/फ्लैट टी-1 जो 3 बीएचके का है, एरिया माप 1450 वर्ग फीट	34.00 लाख	3.40 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 BKDN0711109
			ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली-110047 के लाल डोरा के विस्तारित आबादी में स्थित प्लॉट/सम्पत्ति सं. 164, भूमि माप 10 बिसवा, लगभग 504 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 839 के भाग पर निर्मित 3रे तल पर यूनिट/फ्लैट टी-2 जो 2 बीएचके का है, एरिया माप 1060 वर्ग फीट	23.00 लाख	2.30 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 BKDN0711109
			ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली-110047 के लाल डोरा के विस्तारित आबादी में स्थित प्लॉट/सम्पत्ति सं. 164, भूमि माप 10 बिसवा, लगभग 504 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 839 के भाग पर निर्मित 3रे तल पर यूनिट/फ्लैट टी-3 जो 2 बीएचके का है, एरिया माप 1060 वर्ग फीट	23.00 लाख	2.30 लाख	श्री राहुल प्रताप 9152941109	110911999999 BKDN0711109

नियम एवं शर्तें

(1) वैध डिजीटल प्रमाण पत्र रखने वाले इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करें।
(2) इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए। विवरणों के लिये सम्पर्क करें मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि., श्री विजय शेट्टी, मो. नं. +91-9619002431/ 9619120214, श्री राम, मो. नं. +91-8000023297, ई-मेलः delhi@auctiontiger.net ऑन लाइन वेब पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए https://bob.auctiontiger.net, सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी, श्री राहुल प्रताप, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एआरएमबी (ई-देना) सम्पर्क नं. +91-9152941109, 011-23441320, ईमेलः arbdel@denabank.co.in, dbadel@bankofbaroda.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं।
(3) ब्याज मुक्त ईएमडी का भुगतान यहां वर्णित खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।
(4) केवल वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रखने वाले तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा ईएमडी की भुगतान का प्रमाण पत्र रखने वाले क्रेता ही ऑन लाइन नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य होंगे।
(5) बोली निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन पद्धति में ही जमा की जायेगी।
(6) ईएमडी तथा ऑन लाइन बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करने की अंतिम तिथि 9.9.2019 है।
(7) सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिक्री मूल्य में समायोजित की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता पूर्व अनुमति के साथ किसी भी कार्य दिवस को साइट पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बोलीदाता रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। यह उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं का संतुष्ट कर लें।
(8) यदि कोई बोली समा न समय के अंतिम 5 मिनट में प्राप्त होती है तो अंतिम समय अगले 5 मिनट के लिये स्वतः आगे बढ़ जायेगा तथा यदि कोई बोली अंतिम कोट की गई उच्चतम बोली से अधिक विस्तारित 5 मिनट में प्राप्त नहीं होती है तो विस्तारित 5 मिनट की समाप्ति पर नीलामी स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(9) जो बोलीदाता उच्चतम बोली जमा करते हैं (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑन लाइन बोली की समाप्ति के बाद, तो उन्हें प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृत के अधीन सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
(10) बिक्री की पुष्टि पर सफल क्रेता को तत्काल 25% बोली मूल्य (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जायेगा अन्यथा बोलीदाता द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता का सम्पत्ति राशि के प्रति कोई दावा/अधिकार नहीं रहेगा।
(11) जहां सम्पत्ति का बिक्री मूल्य रु. 50,00,000/- (रुपए पचास लाख अथवा उससे अधिक है, सफल क्रेता को सम्पत्ति/यों के स्वामी के नाम में1% टीडीएस की कटौती कर आय कर अधिनियम की धारा 194 आईए के अनुसार उसे आय कर विभाग में जमा करना होगा तथा 99% बिक्री मूल्य बैंक के पास जमा करना होगा।
(12) सम्पूर्ण बिक्री मूल्य के भुगतान तथा बिक्री की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पर सफल क्रेता को सरफैसी अधिनियम एवं नियमावली, 2002 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। क्रेता को स्टाम्प शुल्क/अंतरण चार्जेज, शुल्क आदि तथा बिक्री प्रमाणपत्र पर यदि लागू हो, पंजीकरण शुल्कों का वहन करना होगा।
(13) सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, रेट्स गण्ना चार्जेज, शुल्क तथा सम्पत्ति पर देय अन्य बकाये का वहन क्रेता को ही करना होगा। बिक्री की शर्तों का जिस प्रस्ताव में अनुपालन नहीं किया जाता है उसे निरस्त कर दिया जायेगा। बैंक को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी भी/सभी प्रस्तावों/बोलियों को निरस्त करने का तथा प्राप्त की गई एक या अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार है।
(14) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्तियों पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता अधिभारों नीलामी पर रखी गई सम्पत्तियों के टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/देयताओं के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी का यह विज्ञापन बैंक की ओर से किसी प्रतिबद्धत्ता अथवा प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी थर्ड पार्टी के दावे। अधिकारों/देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
(15) आगे, यदि कोई हो, किसी भी पूछताछ एवं/अथवा बिक्री के नियम एवं शर्तें प्राधिकृत अधिकारी/शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
(16) प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से नीलामी को निरस्त करने अथवा बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व सम्पूर्ण अद्यतन ब्याज के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया यदि कोई हो ऋणधारकों/ गारन्टरों से ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जाएगी।

तिथिः 19.8.2019, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, देना बैंक, अब बैंक ऑफ बड़ौदा

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 277, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।